

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT OF LOWER ORR DAM, MADHYA PRADESH, UNDER KEN- BETWA LINK PROJECT (PHASE-II)



VOLUME-IV PUBLIC HEARING PROCEEDINGS



NATIONAL WATER DEVELOPMENT AGENCY

(Ministry of Water Resources, River Development &
Ganga Rejuvenation, Government of India)



CONSULTANT:
WAPCOS LIMITED
(A Government of India Undertaking)
email: environment@wapcos.gov.in

DECEMBER 2015

CONTENTS

CONTENTS

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS

| | | |
|----|---|----|
| 1. | General | 1 |
| 2. | Proceedings of Public Hearing Held in District Shivpuri | 3 |
| 3. | Proceedings of Public Hearing Held in District Ashoknagar | 9 |
| 4. | Proceedings of Public Hearing Held in District Datia | 17 |

LIST OF FIGURES

Figure-1: Project Location Map

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS

1. GENERAL

The Lower Orr dam which is a part of Ken-Betwa link Project Phase-II and envisages construction of a composite dam (Earthen and Concrete) across the Orr river near Didauni village on the border of Shivpuri and Ashok Nagar districts in Madhya Pradesh. Lower Orr river is a tributary of Betwa River in Yamuna Basin. The main aim of the Lower Orr project is to provide irrigation and domestic water supply to water deficit areas of Shivpuri and Datia districts of Madhya Pradesh (MP). The proposed dam site is located at a distance of about 6 km from Chanderi town near Lalitpur. The total catchment area of Orr river up to Lower Orr dam is 1843 sq. km. The 75% and 50% dependable annual yield of the sub-basin up to the proposed dam site has been assessed as 362.53 MCM and 501.15 MCM respectively. In the proposed composite dam, the concrete dam portion is 487 m long with 247 m long spillway and 240 m long non overflow blocks. The earthen portion of dam is 1731 m long with a maximum height of 45.0 m. A 91.26 km long main canal has been proposed on the left bank of river. The FRL of the Lower Orr project is kept as 380 m. The submergence area at FRL is 2723.7 ha. The proposed project will provide annual irrigation to 67,570 ha in Shivpuri and Datia districts of MP with 150% irrigation intensity utilizing 329.67 MCM. Beside 6 MCM water will be provided for drinking water supply to the enroute villages and towns in the vicinity of the canal. About 1.65 lakh people will get drinking water at a consumption rate of 100 lpcd. The project location map of proposed Lower Orr irrigation project is enclosed as Figure-1.

The submergence area of the proposed Lower Orr Reservoir is 2723.70 ha which affects 12 villages of Ashok Nagar and Shivpuri districts. Seven villages of Ashok Nagar district will be fully submerged while 3 villages of Ashok Nagar and 2 villages of Shivpuri shall be partially submerged. In partially affected villages, only agriculture land is coming under submergence and no homesteads shall be acquired. A total of about 944 families will be affected due to reservoir submergence. A total of about 408 families will be losing 1006 ha of land due to land acquisition for canal network. Thus, a total of 1352 PAFs will be losing land, of which 870 will be losing homestead.

The Environmental Impact Assessment (EIA), Social Impact Assessment (SIA), Environmental Management Plan (EMP) and Executive Summary reports for the proposed Lower Orr irrigation project were submitted to Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB), Bhopal for conducting the Public Hearing. Most of the land acquisition for construction of dam, submergence and canal network will be in Shivpuri

and Ashok Nagar districts. However, some land acquisition will be required for canal portion in Datia district also. Therefore, MPPCB conducted the public hearing in all the three districts, in accordance of the provisions laid down in EIA Notification issued by Ministry of Environment and forest (MoEF) on 14.09.2006.




Figure-1: Project Location Map

The advertisement for conducting the public hearing in Shivpuri and Ashok Nagar districts was published on 18.08.2015 in the following newspapers:

- Patrika
- Nai Duniya
- Hindustan Times

The advertisement for conducting the public hearing in Datia district was published on 18.08.2015 in the following newspapers:

- Dainik Bhaskar
- Times of India

The first public hearing was organised in Unnayan Primary School Kanchanpura, village Didavani district Shivpuri on 17.09.2015, followed by public hearing in Junior High School, Piraud district Ashok Nagar on 18.09.2015. Public hearing for Datia district was organised in village Nauner 19.09.2015.

The detailed proceedings of all the three Public Hearings with relevant documents i.e. Letters issued by District Collectors and MPPCB regarding public hearing, xerox copy of public notices published in news papers, duly signed Minutes of Meeting (MOM) in Hindi and English, xerox copy of attendance sheets of the participants, xerox copy of written observations received during public hearings, photographs of public hearing are given in Annexures I to III.

2 PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT SHIVPURI

Public notice for conducting the public hearing in Shivpuri districts was published in Patrika, Nai Dunia and Hindustan Times on 18.08.2015. Public Hearing for district Shivpuri was organised in Govt. Unnayan Primary School Kanchanpura, Gram Panchayat- Didawani, Tehsil- Khaniyadhana, Distt- Shivpuri (MP). The meeting was organised by Mr. P.C. Uchariya, Regional Officer, MP Pollution Control Board, Vijaipur, Distt-Guna on 17.09.2015.

The Public Hearing meeting was chaired by Mr. Z.U.Sekh, Additional District Collector, Shivpuri. Mr. Mukesh kumar Sharma, SDM Pichor and Mr. J.P.Gupta, Tehsildar Khaniyadhana were also present during the Public Hearing. Senior officers from NWDA i.e. Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer, New Delhi, Mr. S. C. Awasthi, Superintending Engineer, Gwalior, Mr.S.S.Nayak Superintending Engineer, Bhopal, Mr. C .P. S. Sengar Executive Engineer, Jhansi, Mr. Afroz Alam, Dy director, Lucknow, Mr. Sanjay Singhal Assistant Executive engineer, Gwalior, Mr. Suresh Babu and Mr.P.K. Mishra, Assistant Engineer attended the Public Hearing.

Mr. Z.U.Sekh, Additional District Collector, Shivpuri started the meeting with brief introduction of the proposed project and anticipated socio-economic impacts of the Lower orr irrigation project. Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending

Engineer from NWDA presented the details of the various project components for the participants. Mr. S. M. Dixit, Dy Chief Engineer and Mr. Amit Sharma, Engineer from EIA Consultants M/s WAPCOS Limited gave a presentation on the EIA/EMP study conducted for the project and presented the anticipated Environmental and Social impacts of the project and suggested Environmental Management Plan for mitigation of adverse impacts and enhancement of positive impacts. Mr. S. M. Dixit, also appraised the Panel members and a large number of gathering from the Project area about the compensation benefits proposed to be given to the Project Affected families as a part of the R&R plan for the project.

The participants in the Public hearing were invited to give their comments & suggestions regarding the project. Some of the participants appreciated the proposed project and requested for early implementation, while some of them raised their concerns on some issues. A total of 65 persons participated in the discussions and sought some information mainly regarding the land acquisition. Additional District Collector, Shivpuri and Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA classified on land acquisition related issues, while Mr. S. M. Dixit clarified on environmental and social aspects of the project. The details of public hearing are given in Annexure-I of the Report. The key issues raised during the public hearing organised in Govt. Unnayan Primary School Kanchanpura, Gram Panchayat- Didawani, Tehsil- Khaniyadhana, Distt- Shivpuri (MP) are shown in Table-1.

Table-1. Key issues raised during the public hearing at Didawani, Shivpuri

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|---|---|--|
| 1. | Mr. Dayaram Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi Village- Didawani, Dist.- Shivpuri | Please, Start the work of construction of Dam very soon. | Construction of the dam shall start, after getting all the statutory clearances from concerned authorities. |
| 2. | Mr. Jagat singh sarpanch s/o Mr. Ramdas Lodhi Village- Rajapur The.-Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | Please, Canal should pass through Khularkhera, Kalipahari, Erawali, Hanumankhera, Harshpura, Rajapur, Gudar, Devkho and Khaniyadhana. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 3. | Mr. Prakash s/o Mr. Sirnaam Village- Rajapur The.- | Nibouda, Erawali, Gudar, Devkho, Khaniyadhana etc. villages are under drought | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|--|---|---|
| . | Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | prone area so please provide any job to villagers of these affected area. | and government policy. The provision for providing jobs for the affected PAFs is given in Livelihood Plan in Environmental Management Plan for the project. |
| 4. | Mr. Jaydev Singh s/o Mr. Jashrath Singh Lodhi Village- Rajapur The.- Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | Canal should be extended beyond Eravali to the villages Sularkheda, Kali Pahadi, Nibauda, Hanumanakhedi, Gudar Rajapur, Devko Motta, Khaniya Dhana and Sinaval Devri. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 5. | Mr. Arvind s/o Mr. LakshmiNarayan Sharma Village- Gudar The.- Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | About 50-60 villages are not covered in the command area. The earlier alignment of canal covering villages Bular, Eravali, Nibodha, Gudar may be kept intact. This will enable about 50 villages to be benefited. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 6. | Mr. Sahab singh s/o Mr. Shripat Parihar Village- Bharsula, Dist.- Shivpuri | Employment to be given as per his eligibility. Preference for land for land to be given, incase this is not possible, then Rs.50 lakh to be given for the construction of house and Rs.7000 for livestock. At least Rs.70 lakh/ acre should be compensation for land. Preference should be given in employment for the project affected area. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 7. | Mr. Ramswaroop Pandey s/o Mr. Ramdeen Village- Bharsula, Dist.- Shivpuri | The people of Bharsula Village may be given employment/ works. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 8. | Mr. Gomati Bai Ex. Sarpanch, Village- Gudar The.- Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | Canal should go through villages Sular, Nibauda, Gudar, Naya Gaon, Devkho, Mota, Khanidhana, Mayapur. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 9. | Mr. Mohan singh s/o Mr. Ravraja Yadav Village- Ratvas, Dist.- Shivpuri Mob.- 9098933249 | At least 50% land for land should be given alongwith the compensation for the remaining 50 % of the land for the project affected families of the Naghori | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|---|--|---|
| . | | dam. Employment to be given as per his eligibility to the PAFs. Markets should be adopted for compensation. | and Resettlement Act, 2013”. |
| 10. | Mr. Chandrapaal singh Lodhi s/o Mr. Rajaraam Lodhi Village- SinawalKala The.-Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | We are facing droughts since last 10 years due to the lack of water availability source such as rivers, streams, ponds etc. the situation is very bad, hence its is suggested that irrigation facilities may be provided. | After construction of dam, possibilities of water will be diverted to the needy areas other than the envisaged in the project and such possibility shall be explored. |
| 11. | Mr. Rajpaal singh Yadav s/o Mr. Jandel Singh Yadav, Mob.- 9479344906 | Adeqaute compensation should be given to PAFs of village Narauni. Compenstaion of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs. 5 lakh for houses should be given. Adeqaute facilities fro satying should be done. Seperate compensation towards loss of trees, wells shall be given along with employment. | Compensation shall be given as per “The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013”. |
| 12. | Mr. Sultan Singh Yadav s/o Mr. Kalyan Singh Yadav, Village- Didawani, Dist.- Shivpuri | Compensation to be given to right land holders. | Appropriate measures shall be taken at district administration level to give compensation to the right land holders. |
| 13. | Mr. Anil Sharma s/o Mr. RamNarayan Sharma, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri Mob.- 8435809750 | The canal should be linked to Bhudna dam project and the construction of canals of Bhudna dam may be takenup. This will be enable the increase in the command area of Bhudna dam and eradicate the problem of water shortage in the Bhudna dam. | The matter shall be discussed and further action will be taken accordingly. |
| 14. | Mr. Jaypaal s/o Mr. Pitambar Jatav, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri Mob.- 7746981653 | Our lands are in the name of our father’s sister in the revenue record books, who is no more. After that the land has been transferred to their son’s name. We could not get our names in the record books. It is suggested that all the stakeholders should be considered during compensation. | Appropriate measures shall be taken and Compensation shall be awarded as per the norms of “The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013”. |
| 15. | Mr. Bhansingh, Mr. Rajveer, Mr. Kalyan, Mr. sarman, Mr. Tilakraam, Mr. Raajpal and All Villagers Village- | Compenstaion of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs. 5 lakh for houses should be given for the village Narouni. At least one member of the PAFs to be given employment. Adeqaute | Suggestion shall be taken for consideration and compensation shall be given as per “The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|--|---|--|
| . | Narouni, Dist.- Shivpuri | arrangement for staying for self and livestock should be provided. Seperate compensation towards loss of trees, wells shall be given. | Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 16. | Mr. Ashok Singh s/o Mr. Govind Singh, Village- Rajapur, Dist.- Shivpuri Mob.- 8959872790 | A per the new survey canal is passing through the village Rajapur. At least 10 villages shall be benefited if the old alignment of the canal is considered. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated before the construction stage. |
| 17. | Mr. Bhattulaal, Village- Kalipahari, Dist.- Shivpuri | The Patta land beraing Sl No.95 of Kalipahari is not entered in the computerized records. The same may be done. | Appropriate measures shall be taken at district administration level. |
| 18. | Mr. Neelam Singh s/o Mr. Pyare Laal Ahirwar, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri Mob.- 8959663098 | Compensation of my land of 3.5 bigha shall be given. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 19. | Mr. Veeran s/o Mr. Preetam Singh Adiwasi, Dist.- Shivpuri Mob.- 9753937673 | Land for resettlement and employment shall be given. | Suggestion shall be taken due consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 20. | Mr. Vijay Singh Jatav s/o Mr. Nathuram Jatav, Dist.- Shivpuri Mob.- 7694889294 | I am an unemployed resident of Village Narouni coming under submergence. Employment and land for resettlement may be given | Suggestion shall be taken for consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy |
| 21. | Mr. Hariram Paal s/o Mr. Karanju Paal, Village- Didawani, The.- Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri | My land is about 3000 ft distance from canal route. We are not using the water in the canal and paying the cess. Please remove the cess. | Corrective measures shall be taken by the concerned authorities. |
| 22. | Mr. Karan Singh Yadav jila panchayat member, Mr. | It is unjustified to omit the villages Pura, Darampura, Badli, Mehrauli, Devri, | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|--|--|---|
| . | Bhagwan Singh (Ex. Sarpanch - Mayapur), Mr. Rajendra Singh, Village- Devari, Dist.- Shivpuri | Peepalgheda, Banota, Mayavur, Nagarela, Badarvaha, Ahar, Bhandpur, Reravani, Nibodha, Sularkhla, Pachara etc. from the command of orr dam project. It is suggested to kindly adopt the old survey alignment covering the entire area which is justifiable. | water in mentioned villages before the construction stage. |
| 23. | Mr. Kaptan Singh Yadav and All Villagers, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri | We should be given land for land. Present market rate is Rs.6-7 lakh/bigha and our compensation should be fixed at Rs.10 lakh/ bigha. House for house should be given. compensation towards loss of trees, wells, ponds shall be given. Rs.50,000 for shifting allowance, Rs.500/sq.ft for the open spaces shall be given. Preference for eligible persons for employment. Employment in the lines of Rajghat project to be adopted. Arrangement for schools should be done. | Suggestion shall be taken in consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 24. | Mr. Jagbhan Singh Lodhi s/o Mr. Harnam Singh, Village- Rajapur, Teh.- Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri | Canal should come up. | We appreciate the comment. |
| 25. | Mr. Avdhesh Sen s/o Mr. Ramsevak Sen, Village- Bharsula, Dist.- Shivpuri Mob.- 9630762275 | Preference to local persons for employment | Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to improve the quality of life of PAFs. |
| 26. | Mr. Komal Singh Lodhi s/o Mr. Balchand Lodhi, Village- Bharsula, Teh.- Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri Mob.- 9755047669 | Employment to one person from each PAFs from submergence area. | Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood Plan has been provided with a view to provide additional benefits to the PAFs. |
| 27. | Mr. Arjun Adiwasi s/o Mr. Janaka Adiwasi, Village- Kalipahari Chanderi Thana BamourKala, Teh.- Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri | Employment should be given. | Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|---|--|--|
| 28. | Mr. Mohan Laal Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi, Village- Didawani, Post.- Bharsula, Dist.- Shivpuri | Dam will be beneficial to us. Employment should be given. | Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs. |
| 29. | Mr. Sarman Jatav s/o Mr. HarSingh Jatav, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri Mob.- 7772881901 | Employment should be given. | Suggestion shall be considered. |
| 30. | Mr. Brahamaraja Yadav, Mr. DeviSingh, Mr. Raajveer Yadav and All Villagers Village- Lakhari Dist.- Shivpuri | Every villagers are of the opinion that due to Lower Orr project, Gram Panchayath Didorakhedi should come under irrigation and all persons are satisfied with the project. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned village. |
| 31. | Mr. Prakashchand Yadav s/o Mr. Harbhan Singh Yadav, Village- Silpura, Dist.- Shivpuri Mob.- 9755499281 | This is the last dam proposed in the Khanikhana region, if Gudar is omitted from the canal alignment, our area will devoid of any future development due to lack of irrigation facilities. | Appropriate measures shall be taken and possibility of the alignment of the canal shall be investigated before the construction stage. |
| 32. | Mr. Suresh Jatav s/o Mr. Nathuram Jatav, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri Mob.- 7354849633 | We are unemployed from Narouni village coming under submergence. Employment shall be given. | Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to improve the quality of life of PAFs. |
| 33. | Mr. Dayaram Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi, Village- Didawani, Dist.- Shivpuri Mob.- 9669663142 | Fair compensation and employment to be given. | Suggestion shall be taken for consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 34. | Mr. Shishupal Singh Lodhi s/o Mr. Ramdayal Singh Lodhi, Dist.- Shivpuri Mob.- 8120220026 | Suggested to start the work and irrigation water to be supplied to the farmers at the earliest. | Suggestion shall be taken for consideration. |

3. PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT ASHOKNAGAR

The Public notice for conducting the public hearing in Shivpuri district was issued through advertisement in *Patrika*, *Nai Dunia* and *Hindustan Times*, which was

published on 18.08.2015. The Public Hearing for district Ashoknagar was organised in Govt. Middle School Piparoud, Block-Chanderi, Distt- Ashoknagar (MP). The meeting was organised by Mr. P.C. Uchariya, Regional Officer, MP Pollution Control Board, Vijaipur, Distt-Guna on 18.09.2015. The Public Hearing meeting was chaired by Mr. S.K.Seble, Additional Collector and A.D.M.Ashoknagar (M.P.).

Mr. Shiv Shanker Singh Gurjar, Nayab Tehsildar Chanderi was also present during the Public Hearing. Senior officers from NWDA i.e. Mr. H. N. Dixit, Chief Engineer, NWDA, Lucknow, Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer, New Delhi, Mr. S. C. Awasthi, Superintending Engineer, Gwalior, Mr.S.R. Mohar Superintending Engineer, Gwalior, Mr. C .P. S. Sengar Executive Engineer, Jhansi, Mr. Afroz Alam, Dy director, Lucknow, Mr. Sanjay Singhal Assistant Executive engineer, Gwalior, Mr. Suresh Babu Mishra, Assistant Engineer attended the Public Hearing.

The Chairman of the meeting Mr. S.K.Seble, Additional Collector and A.D.M.Ashoknagar briefed the participants about the proposed project and anticipated socio-economic aspects of the Lower Orr Irrigation project. Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA presented the details of various project components for the participants. Mr. S. M. Dixit, Dy Chief Engineer from WAPCOS Limited gave a detailed presentation on the EIA-EMP study carried for the project and summarized anticipated Environmental and Social impacts of the project and the proposed measures outlined as a part of Environmental Management Plan. Mr. S. M. Dixit, also appraised the Panel members and the participants of Public Hearing about the details of compensation proposed to be given to the Project Affected Families as a part of the R&R plan for the project.

The participants in the Public hearing were invited to give their comments & suggestions regarding the project. Some of the participants appreciated the proposed project and requested for early implementation, while some of them raised their concerns on some issues. A total of 71 persons participated in the discussions and sought information mainly regarding the land acquisition. Additional District Collector, Shivpuri and Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA replied on land acquisition related issues, while Mr. S. M. Dixit clarified on environmental and social aspects of the project. The details of public hearing are given in Annexure-II of the Report.

The key issues raised during the public hearing organised in Govt. Middle School Piparoud, Block-Chanderi, Distt- Ashoknagar (MP). are shown in Table-2.

Table-2. Key issues raised in public hearing at village Piparoud dist. Ashoknagar

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|--|--|--|
| 1. | Mr. Jawahar Singh Parihar s/o Mr. Toran Singh Parihar Village- Lighora Mohapur Chanderi, Dist. AshokNagar Mob.- 7697031953 | One Member of my family should be given employment. Land for resettlement to be given. Rs. 10 lakh/ bigha compensation and for Kutcha and Pucca houses, market rate (sq.ft) may given. | Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to further benefit for the PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Land cost shall be decided by the district administration. |
| 2. | Mr. Jagrath Singh, Mr. Ramdin s/o Mr. Gyarasa Aadiwasi Village- Daang Bairasia, Dist. AshokNagar | Compensation should be made for trees such as Mango tree, Guava, Lemon , sugar apple trees etc. | Compensation of trees shall be given as per the government policy. |
| 3. | Mr. Chandrabhan singh Rajpoot s/o Mr. Preetam singh Rajpoot Village- Khyavada, Dist. AshokNagar Mob.- 9407200102 | Land for land and house for house to be provided for PAFs of submergence. Compensation should be given at least one year before the commencement of project so that they can start their works. Compensation should also be given for trees. | Availability of land shall be decided by district administration. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Compensation of trees shall be done as per the government policy. |
| 4. | Mr. Parmal singh Rajpoot s/o Mr. Raghuveer singh Rajpoot Chanderi Dist. AshokNagar | Compensation for land should be given above market rate. Pucca houses should be given. one member per family of every PAFs to be given employment. Compensation should also | Land cost shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. Compensation of trees shall be given as per the |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|--|--|---|
| . | | be given for trees. | government policy. |
| 5. | Mr. Ompal singh Kewat s/o Mr. Naththulaal Kevat Village- Piprouda, Dist. AshokNagar Mob.- 8989242594 | I have no objection for construction of dam and I suggest to give employment to villagers. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood Plan shall also be provided to PAFs. |
| 6. | Mr. Vishwanath singh solanki s/o Mr. Komal singh Solanki Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist. - AshokNagar | A compensation of Rs.15 lakh should be given. Employment, house for House should be given. Registration fees should not be taken for buying of new land. Compensation for our livestock should be given. Provide all facilities at the time of resettlement. | Land cost shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |
| 7. | Mr. Sangram singh s/o Mr. Mojilaal Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist. - AshokNagar | How much compensation is given? Is land for land adopted? Do we get land for our houses and schooling facility? | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Availability of land shall be decided by district administration. |
| 8. | Mr. Dashrath s/o Mr. Eshwar singh Village- Koopgad, Teh- Chanderi, Dist. - Ashok Nagar | Our village is getting submerged. What we will do without land. Therefore dam should not come. If dam has to come then, alternate same quality of land to be given at nearby village. One member per family of every PAFs to be given employment. | Availability of land shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan has also been recommended for the PAFs |
| 9. | Mr. Shishupal singh Gurjar s/o Mr. Nihal Singh Rajpoot | Our land and entire village is getting submerged. Hence, appropriate | Compensation of trees, wells shall be given as per the government policy. |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|---|---|---|
| . | Village- Beethala, Teh-Chanderi, Dist.- AshokNagar | compensation of trees ,wells, houses and land to be given. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. |
| 10. | Mr. Mahendra singh s/o Mr. Kalyan Singh Village- Rakhtoura, Teh-Chanderi, Dist.- AshokNagar | Our village is getting submerged which will affect our livelihood. One member per family of every PAFs to be given employment. Land for land and compensation at Rs. 6 lakh/ bigha. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. Availability of land shall be decided by district administration. Land cost/compensation shall be decided by district administration. |
| 11. | Mr. Imrat singh s/o Mr. Bhagun laal Gurjar Village- Khyawada, Teh-Chanderi, Dist.- AshokNagar | We have 10 biswa land and we are 5 brothers. Land for land to be given. | Availability of land shall be decided by district administration. |
| 12. | Mr. Jashrath singh Aadiwasi s/o Mr. Gyarasa singh Aadiwasi Village- Bairasiya, Teh-Chanderi, Dist.- AshokNagar | Either compensation of Rs. 10 lakh or land in lieu of land should be given. If land of city level is not feasible then atleast compensation should be of city level. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. |
| 13. | Mr. Veer singh Gurjar s/o Mr. Lalaram Gurjar Village- Bhaandri, Teh-Chanderi, Dist.- AshokNagar | My family has 15 members and do not have any jobs. My occupation is farming. My family will be ruined as the land is coming in submergence area. Hence, it is requested to kindly give the maximum compensation possible. | The compensation for land and homestead shall be given as per “The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013” |
| 14. | Mr. Mahesh Kumar Ahirwar s/o Mr. Nathuram Ahirwar Village- Lidhaura, Dist.- AshokNagar | We do not have any problem. But we want compensation equal to that of city level, member of every family should be given a job and place to live. Wells, trees and shrubs should be given free of cost in record. Compensation amount should be deposited directly to bank account. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to the PAFs. Compensation of trees, wells shall be done as per the government |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|--|---|--|
| . | | | policy. Mode of disbursement of Compensation shall be done as decided by govt. |
| 15. | Mr. Pawan singh Yadav s/o Mr. Shripat singh Village- Lodhura, Dist.- AshokNagar Mob.- 9424725231 | It is requested that is Dam is constructed then compensation of Rs. 12 lakh/ bigha should be given. The decision to benefit lakh of people by this Save water stop water campaign of Indian government is right. Works related to revenue department should be made free.Compensation amount should be deposited directly in the account. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. The rate for compensation of land shall be decided by the district administration. |
| 16. | Mr. Chandrapal Singh Gour s/o Mr. Jagdish singh Village- Bithala, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | It is requested that the land of 12 villages that is coming under submergence area should be given land only in lieu of it. | Availability of land shall be decided by the district administration. |
| 17. | Mr. Monu Raja s/o Mr. Sitaram Singh Village- Bithala, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | It is requested that leave us on our own and Lower Orr dam should not be constructed. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Impact Assessment Study has been conducted and a detailed impact assessment has been done. An Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. |
| 18. | Mr. Pawan Yadav s/o Mr. Shripat Yadav Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We do not need dam. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Impact Assessment Study has been conducted and a detailed impact assessment has been done. An Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|--|---|--|
| . | | | impacts. |
| 19. | Mr. Sedpal ji Bundele s/o Mr. Shankar singh, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Compensation of our house should be given as per sq. ft rate in Chanderi Tehsil. We do not have land in our name. Who will take care of our children? We have to till forest land forcefully. | The compensation for land and homestead shall be given as per “The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013”. |
| 20. | Mr. Gokul singh s/o Mr. Bhagun singh, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We do not need dam because we will have to face lot of problems because of it. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. |
| 21. | Mr. Gabbar singh Bundela s/o Mr. Sardar singh Bundela, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We all villagers say that we don’t want the dam to be constructed as we don’t want to leave our birthland. If we do so our as well as the future of our children will be uncertain. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. The compensation for land and homestead shall be given as per “The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013”. |
| 22. | Mr. Siyaram Ahirwar s/o Mr. Hardas Harijan, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | It is requested that the Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given for my land. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. |
| 23. | Mr. Shivraj singh Yadav s/o Mr. Dhiraj singh Yadav, Village-Pagara, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We all villagers of Village-Pagara are not willing for the construction of this Dam. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Impact Assessment Study has been conducted and a detailed impact assessment has been done. An Environmental Management Plan has been prepared for |

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|---|--|---|
| . | | | mitigation of adverse impacts. |
| 24. | Mr. Veer singh Lodhi s/o Mr. Gokul singh Lodhi, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | My village is coming under submergence therefore Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Also one member per family of every PAFs to be given employment to earn their living as earlier. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided for PAFs, which will also improve their quality of life. |
| 25. | Mr. Jasman singh Yadav s/o Mr. Shankar singh Yadav, Village- Lakhari, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | As per this scheme Village-Lakhari is coming under submergence. It is therefore requested that enough compensation is given. One member per family of every PAFs to be given employment. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 26. | Mr. Palluram Ahirwar s/o Mr. UddaramAhirwar, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Resettlement should be provided. One member of our family to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts. We don't have any problem. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to the PAFs. The mode of disbursement of Compensation shall be done as decided by govt. |
| 27. | Mr. Netaram Ahirwar s/o Mr. Bhaiyalaal Ahirwar, Village- Lakhari, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob.- 8989143360 | Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Resettlement should be provided. One member of our family to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts. We don't have any problem. | Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan shall be provided to PAFs. The mode of disbursement of Compensation shall be done as decided by govt. |

4. PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT DATIA

Public notice for conducting the public hearing in Datia district was issued in Dainik Bhasker and Times of India on dated 18.08.2015. Public Hearing for Datia district was organised in Govt. High School, Village Noner, district Datia (MP). The meeting was organised by Mr. Alok Kumar Jain, Regional Officer, MP Pollution Control Board, Gwalior on 19.09.2015. The Public Hearing meeting was chaired by Mr. Bhasker laxkar, District Collector, Datia (M.P.).

Mr. Shiv Shanker Singh Gurjar, Nayab Tehsildar Chanderi was also present during the Public Hearing. Senior officers from NWDA i.e. Mr. H. N. Dixit, Chief Engineer, NWDA, Lucknow, Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer, New Delhi, Mr. S. C. Awasthi, Superintending Engineer, Gwalior, Mr.S.R. Mohar Superintending Engineer, Gwalior attended the Public Hearing.

Chairman of the meeting Mr. Bhasker laxkar, District Collector, Datia, briefed the participants about the proposed project and anticipated socio-economic aspects of the Lower orr irrigation project. Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA presented the details of the various project components for the participants. Mr. S. M. Dixit, Dy Chief Engineer from EIA Consultants M/s WAPCOS Limited gave a detailed presentation on the EIA/EMP study carried for the project and summarized anticipated Environmental and Social impacts of the project and suggested Environmental Management.

The participants in the Public hearing were invited to give their comments & suggestions regarding the project. Some of the participants appreciated the proposed project and requested for early implementation, while some of them raised other issues. A total of 9 persons submitted their observations in writing and 4 persons participated in discussions regarding the project. Mr. Bhasker Laxkar, District Collector, Datia and Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA replied on land acquisition related issues, while Mr. S. M. Dixit clarified on environmental and social aspects of the project. The details of Public Hearing are given in Annexure-III of the Report. The key issues raised during the public hearing organised in Govt. High School, Village Noner, district Datia (MP) are shown in Table-3.

Table-3. Key issues raised in public hearing at village Noner, district Datia

| S.No | Name of Person | Issues Raised | Response |
|------|---|---|---|
| 1 | Mr. Anand Singh Vill- Raipursani | Project will benefit the poor farmers, we support the project. | Welcome the support |
| 2 | Mr. bahadur Singh Bundela Vill- Noner | Welcome the project and requested to provide culverts in the canal | Welcome the support |
| 3 | Mr.Jashwant Singh Chouhan Vill Noner | We all will be benefitted by the project | Welcome the support |
| 4 | Mr. Harnam Singh Vill- Noner | Asked about the names of the villages in canal/command area | The list of total 17 villages of command area was presented |
| 5 | Mr. Chadameel Ahirwar Vill- Noner | Requested to provide the irrigation facility up to higher elevation areas | Since, canal is designed based on gravity flow, it will not be possible to provide the water at high elevation. However, farmers may lift and use the canal water |

ANNEXURES-I

**PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING
HELD IN DISTRICT SHIVPURI**



Regional Office, Madhya Pradesh Pollution Control Board

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Tanker Parking Area, Gail Complex Vijaipur, Distt-Guna (M.P.) 473112, () -07544-274068
Email- ra.mppcbguna26@gmail.com

क्रमांक 1004 सी.का/प्र.नि.बो./2015

विलायपुर दिनांक 07.11.2015

प्रति,

सदस्य सावित्र महोदय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-रेतव लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत लोअर एर बांध परियोजना ग्राम-दिवावनी, जिला-शिवपुरी /अरोकनगर हेतु भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 17.09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही।

सन्दर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक 4728 दिनांक 12.08.2015
2. इन कार्यों का पत्र क्रमांक 604 दिनांक 14.08.2015, पत्र क्रमांक 632 दिनांक 17.08.2015, पत्र क्रमांक 635 दिनांक 17.08.2015.

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए) अधिनियम क्रमांक एस.ओ. 533 (ई) दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-रेतव लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत लोअर एर बांध परियोजना ग्राम-दिवावनी, जिला-शिवपुरी /अरोकनगर हेतु लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015 दिन-गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे से शासकीय सैन्यन प्राथमिक विद्यालय कन्नपुरा, ग्राम पंचायत-दिवावनी, तहसील-खनियाधाना, जिला-शिवपुरी में सम्पन्न हुई।

लोक सुनवाई जिला अपर कलेक्टर श्री जे.ड.यू.रेख की अध्यक्षता एवं पर्यवेक्षण में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री ओ.पी.सिंह कुशावह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, श्री एस.सी.अग्रवाली अधीक्षण अभियंता ग्वातिगर, श्री एस.एन.माहोर, अधिशासी अभियंता, ग्वातिगर, श्री एस.नाथवर, अधिशासी अभियंता, भोपाल एवं अन्य अधिकारी, श्री मुकेश कुमार शर्मा, एस.डी.एन, पिछोर श्री जे.पी.गुप्ता तहसीलदार, खनियाधाना समीप के नागरिकों सहित क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विलायपुर, गुना के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नलिखित मूल सलमनको सहित संलग्न है-

1. जिला कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई हेतु नियत दिनांक, स्थल तथा स्थान। (01 पृष्ठ)
2. समाचार पत्रों में प्रकाशन (हिन्दुस्तान टाइम्स, नई सुनिया तथा नत्रिका) की प्रति। (03 पृष्ठ)
3. ई.आई.ए. अधिनियम के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संबंधित कार्यालयों में रखे जाने की मायती। (02 पृष्ठ)
4. लोक सुनवाई के मिनिट्स, सार उपस्थिति पत्रका तथा आपत्तियों सुझाव संबंधित कार्यालयों में रखे जाने की पावती। (01 पृष्ठ)
5. कार्यवाही विवरण की प्रति। (03 पृष्ठ)
6. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गए मुद्दे एवं उनका समाधान। (हिन्दी एवं अंग्रेजी) (पृष्ठ 11 + 10)
7. उपस्थित अधिकारियों की सूची। (02)
8. उपस्थित नागरिकों की सूची। (08)
9. लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव/टीका टिप्पणी आदि तूलर, (06 पृष्ठ)।
10. कार्यवाही विवरण की वीटिथी सी.डी.एन फोटोग्राफर। (01 नग एवं फोटो-11 पृष्ठ)

संलग्न-संश्लेषानुसार।

प्रति-
अधीक्षण अभियंता - राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
क्षेत्रीय कार्यालय, 12- संसाधन, सि.पी.सेक्टर, ग्वातिगर -
9993308864

(पी.डी.अग्रवाली)
क्षेत्रीय अधिकारी,
विलायपुर, गुना

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी म0प्र0
क्रमांक/आरडीएम/2015/ 2244 शिवपुरी दिनांक/ 14/08/2015



// विज्ञप्ति //

क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टेंकर पार्किंग ऐरिया गैल कॉम्प्लेक्स विजयपुर, गुना म0प्र0 द्वारा पत्र क्रमांक 603/क्षे.क्रा/प्रनियो/2015 दिनांक 14.08.2015 से अवगत कराया है कि मेसर्स नेशनल वॉटर टेक्नोलॉजी एजेंसी की बेंग-बेटपा लिंक प्रोजेक्ट फेज-2 जिला शिवपुरी हेतु भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव अभिसूचना ईआईए नोटिफिकेशन क्रमांक एसओ/1553 दिनांक 14.09.2008 के तारतम्य में जनता के सुझाव, विचार एवं टीका टिप्पणी तथा आक्षेप आमंत्रित किये जाने हेतु लोक सुनवाई के लिये दिनांक 17.09.2015 स्थल ग्राम पंचायत दिवाघनी तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी निर्धारित की गई है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित दिनांक 17.09.2015 को स्थान ग्राम पंचायत दिवाघनी तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी पर उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं एवं उक्त परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

[Signature]

कलेक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला शिवपुरी म0प्र0

पू0क्र0/आरडीएम/2015/ 2244
प्रतिलिपि-

शिवपुरी दिनांक/14/08/2015

1. सदस्य सचिव म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को और सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री नेशनल वॉटर टेक्नोलॉजी एजेंसी द्वितीय तल 12-साखा भवन सिटी सेंटर ग्वालिबर की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टेंकर पार्किंग ऐरिया गैल कॉम्प्लेक्स विजयपुर, गुना म0प्र0 को और उनके पत्र क्रमांक 603 दिनांक 14.08.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी पिछौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार खनियाधाना की ओर संबंधित ग्राम पंचायत में जन सामान्य के प्रचार-प्रसार हेतु कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जाने हेतु।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खनियाधाना की ओर संबंधित ग्राम पंचायत में जन सामान्य के प्रचार-प्रसार हेतु सचिवों के माध्यम से मुनादी कराई जाने हेतु।
9. सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाश विभाग शिवपुरी की ओर भेजकर लेख है कि लोक सुनवाई हेतु उक्त परियोजना के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु दो समाचार पत्र जिनमें एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र एवं एक अन्य स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

[Signature]
कलेक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट

उत्तर प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है।



एक शिक्षक को बच्चों के साथ बातचीत करते हुए देखा जा रहा है।

यह योजना ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है।

यह योजना ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है।

यह योजना ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है।

बहैज हत्या का केस दर्ज

गुरुवार रात बागी बहाल बहैज में नारायण प्रसाद द्वारा बहैज की गर्ल बहैज हत्या के मामले में पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी नारायण प्रसाद को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। पुलिस ने आरोपी नारायण प्रसाद को गिरफ्तार करने के बाद उसे बहैज हत्या के केस में आरोपी के रूप में नामांकित किया है। पुलिस ने आरोपी नारायण प्रसाद को गिरफ्तार करने के बाद उसे बहैज हत्या के केस में आरोपी के रूप में नामांकित किया है।

आरोपी नारायण प्रसाद को गिरफ्तार करने के बाद उसे बहैज हत्या के केस में आरोपी के रूप में नामांकित किया है। पुलिस ने आरोपी नारायण प्रसाद को गिरफ्तार करने के बाद उसे बहैज हत्या के केस में आरोपी के रूप में नामांकित किया है। पुलिस ने आरोपी नारायण प्रसाद को गिरफ्तार करने के बाद उसे बहैज हत्या के केस में आरोपी के रूप में नामांकित किया है।

स्वतंत्रता दिवस

की सभी कॉलेज्स एवं संस्थाओं में

हार्दिक शुभकामनाएं



समया समया

श्रीजीव कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

देवर गाँव, गुरुवार, गुरुवार, गुरुवार

लोक सुनवाई की सूचना

श्रीजीव कार्यालय द्वारा एक सुनवाई की सूचना जारी की गई है। इस सूचना में बताया गया है कि सुनवाई के दौरान जिन मामलों का निपटारा नहीं हो पाया है, उनके संबंध में सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान जिन मामलों का निपटारा नहीं हो पाया है, उनके संबंध में सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान जिन मामलों का निपटारा नहीं हो पाया है, उनके संबंध में सुनवाई की जाएगी।

(पी.सी. तिवारी)

निर्देशक

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुवार, गुरुवार

समाहित आयोजित

श्री दुनिशा ग्याबियर

सांस्कृतिक महोत्सव

संस्कृत भाषा समिति के आयोजित कार्यक्रमों में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इस वर्ष के महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।



भारतीय कोषालय, प्रप्रदूषण नियन्त्रण

टिकर पार्क, हरिया नगर, काठमाडौं, नेपाल, मु.नं. २७५५००

२-मंसिर २०१५

सं. १०१/२०१५

भारतीय नेशनल कोषालय इन्टरनेशनल एजेंसी वी कौल यावा लिक प्रोजेक्ट फेस-
प्रस्तावित लोक सन्वर्द्ध दिनांक १७.०९.२०१५ से संबन्धित महत्त्वपूर्ण

| क्र.सं. | पत्र क्रमांक | दिनांक | संबन्धित अधिकारी/कार्यालय का नाम | टिप्पणी |
|---------|------------------------|------------|---|----------------------|
| 1 | 621/2015 17/08/15 | 17/08/15 | जिला कार्यालय काठमाडौं जिला-सिन्धुपुरी | प्राप्त 17-8-2015 |
| 2 | 628/2015 17/08/15 | 17/08/15 | नगरप्रबन्धक, जिला उद्योग संस्थान, जिला-सिन्धुपुरी | प्राप्त 17-8-2015 |
| 3 | 627/2015 17/08/15 | 17/08/15 | मुख्य कार्यालय अधिकारी सिन्धुपुरी जिला | प्राप्त 17-8-2015 |
| 4 | 629/2015 17/08/2015 | 17/08/2015 | मुख्य कार्यालय अधिकारी सिन्धुपुरी जिला | प्राप्त 17-8-2015 |
| 5 | | | राष्ट्रीय प्रशासनिक, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली | प्रतिक्रिया संकलन |



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
 (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
National Water Development Agency
 (Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

2. नदी विकास विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार
 420003

सेवा में,
 मुख्य सचिव,
 केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं जल संसाधन,
 ब्लॉक नंबर 3, रविशंकर नगर, गीतपुर

विषय - पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित नैन-बेलवा
 त्रिक परिवर्तन के फेस-1 के अन्तर्गत टिटावनी गाँव के पास प्रस्तावित लाइव उर बाँध जिला
 गीतपुरी अक्षांश नगर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जो मन्सहाड़े के संघ में।

संदर्भ - बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्र. 4726 दिनांक 12-08-2015

महोदय

उपरोक्त विषय में सेवा है कि पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 के अन्तर्गत जो नदी
 नैन-बेलवा त्रिक परिवर्तन के फेस-1 के अन्तर्गत में टिटावनी गाँव के पास प्रस्तावित लाइव उर बाँध
 अक्षांश नगर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जो मन्सहाड़े नगर प्रशासन टिटावनी तहसील गीतपुरी जिला
 प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में अंकित EIA रिपोर्ट Executive Summary (English & Hindi)
 कॉपी (सोडा) आर जलवा संवर्धन कार्यालय अधिकांश करारों में धीरे-धीरे जो रही है।

8/1/15

दिनांक 17/8/15
 अधिसूचना अधिकारी

संबन्धक - यथोक्त

प्रतिक्रिया: 1 अधीक्षण अधिकारी एवं जल विकास अभिकरण कार्यालय को सूचनाएं
 2 क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश पर्यावरण एवं जल संसाधन (गीतपुरी) को दिनांक 14-08-2015 के दिनांक के साथ
 इस अनुसूची के साथ कि अन्य संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करारों हेतु प्रस्ताव पर कार्य किया जाये।
 पर्यावरण पर्यावरण एवं जल संसाधन विभाग में नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

Handwritten signature
 17/8/15
 पर्यावरण एवं जल मंत्रालय / OFFICE
 पर्यावरण एवं जल मंत्रालय (केन्द्रीय)
 Ministry of Environment & Forests (C)
 पर्यावरण एवं जल मंत्रालय (पश्चिम क्षेत्र)
 Ministry of Environment & Forests Region





कार्यालय अधिसूचना अधिकारी, पर्यावरण प्रशासन विभाग, द्वितीय मंज, 12-वां मंज, सिटी सेंटर, ग्वाल्दर - 474 001 (म.प्र.)
 Office of the Executive Engineer, Environment Division, NWDA, IInd floor, 12-5 ADA Bhaswar, City Centre, Gwalior - 474 001 (M.P.)
 ई-मेल / E-mail - nwdajgw@rediffmail.com, बंगलाघ / Web site - nwda.gov.in
 दूरभाष/फैक्स / Tel/Fax - 0761-2301604, 2340003



Regional Office, Madhya Pradesh Pollution Control Board

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Tanker Parking Area, Gail Complex Vijaypur, Distt-Guna (M.P.) -473112. ☎ -07544-274098
Email- ro.mppchguna26@gmail.com

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की कैन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-2 के अंतर्गत लोअर एन बाघ परियोजना ग्राम-दिवावनी, जिला-शिवपुरी /अशोकनगर हेतु भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 17.09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई से संबंधित महत्वपूर्ण डाक की पावती

| क्र० | पत्र क्रमांक | दिनांक | संबंधित अधिकारी/ कार्यालय का नाम | प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर |
|------|--------------|----------|--|---|
| 1. | 976 | 05/11/15 | जिला कलेक्टर, कार्यालय शिवपुरी जिला-शिवपुरी |  |
| 2. | 982 | 05/11/15 | महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र जिला-शिवपुरी |  |
| 4. | 983 | 05/11/15 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-शिवपुरी |  |
| 5. | 984 | 05/11/15 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खनिजाधाना, जिला शिवपुरी |  |
| 6. | | | | |

विषय:-केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना ग्राम दिदावनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर बावल राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015 का कार्यवाही विवरण -

1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015, दिन-गुरुवार को शास. उन्नयन प्रा. विद्यालय कंचनपुरा, ग्राम पंचायत-दिदावनी, तहसील-खनियौधाना, जिला-शिवपुरी (म.प्र.) में सम्पन्न की गई। लोक सुनवाई जिला अपर कलेक्टर शिवपुरी श्री जे.ड.यू.शेख की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री पी.सी.उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी, विजयपुर जिला-गुना श्री आर.के. रोहिताश, कार्यपालन यंत्री सहित बोर्ड के अन्य अधिकारी उनके सहायक के रूप में उपस्थित थे।
2. पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015 के संबंध में आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र "पत्रिका", "नई दुनिया" तथा "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिनांक 18.08.2015 को कराया गया था। प्रस्तावित परियोजना के संबंध में पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट, कार्यपालक सार (हिन्दी एवं अंग्रेजी) इस कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय कलेक्टर शिवपुरी, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, शिवपुरी, कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी, कार्यालय जनपद पंचायत पिछोर, मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड-3 भोपाल, तथा मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल में जनसामान्य के अवलोकन हेतु नियमानुसार एक माह पूर्व रखवा दी गई थी।
3. दिनांक 17.09.2015 को लोक सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री ओ. पी.सिंह कुशवाह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, श्री एस.सी.अवस्थी अधीक्षण अभियंता, ग्वालियर, श्री एस.आर.माहोर, अधिशासी अभियंता, ग्वालियर, श्री ए.एस.नायक, अधिशासी अभियंता, भोपाल, श्री सी.पी.एस. सेंगर, अधिशासी अभियंता झाँसी, श्री अफरोज आलम, टिप्पटी सचिव लखनऊ, श्री संजय कुमार सिंघल, सहायक अधिशासी अभियंता ग्वालियर, श्री सुरेश बाबू मिश्रा, सहायक अभियंता, श्री पी.के.शर्मा, सहायक अभियंता इसी प्रकार वाफ़ोस से श्री एस.एम.दीक्षित, उप मुख्य अभियंता, श्री अमित शर्मा, अभियंता, श्री मुकेश कुमार शर्मा, एस.डी.एम, पिछोर, श्री जे.पी.गुप्ता, तहसीलदार, खनियौधाना, श्री पी.डी.कोरी, कार्यपालन यंत्री, ज.स.वि., खनियौधाना तथा स्थानीय नागरिकगण उपस्थित हुए, जिनका उपस्थिति पत्रक संलग्न है। लोक सुनवाई में 65 आमजनों ने दावे/आपत्ति/सुझाव दिये।
4. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री ओ.पी.सिंह कुशवाह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली द्वारा श्री जे.ड.यू.शेख, अपर कलेक्टर, शिवपुरी श्री एस.आर.माहोर, अधिशासी अभियंता द्वारा श्री पी. सी.उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री एस.के.सिंघल, सहायक अधिशासी अभियंता द्वारा श्री आर.के.रोहिताश, कार्यपालन यंत्री, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा श्री जे.के.राजोरिया, कनिष्ठ वैज्ञानिक प्रदूषण द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा, एस.डी.एम, पिछोर का स्वागत किया गया। इसी तारतम्य में आयोजक म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री के.के.उहेरिया, स्टेनो ग्रेड-1 द्वारा मंच का संचालन करते हुए उपस्थित नागरिकों का स्वागत किया गया तथा प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त परिचय दिया गया। तत्पश्चात् बोर्ड के श्री पी.सी.उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार उपस्थित जनसामान्य को लोक सुनवाई के उद्देश्यों से अवगत कराया गया।

कमल:—(2)

(2)

5 श्री जैद गुरूशंख, अपर जिला कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा उपस्थित नागरिकों को प्रस्तावित परियोजना से आसपास के क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा रोजगार विकास संबंधी जानकारी का परिचय देकर लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध ग्राम दिवावनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के श्री ओ.पी.सिंह कुशवाह अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, वाफोस के श्री एस.एन.दीक्षित, उप मुख्य अभियंता द्वारा दी गई, जो निम्नानुसार है :-

- प्रस्तावित बांध स्थल म.प्र. के शिवपुरी और अशोकनगर जिले की सीमा पर ताहसील-खनियौधाना में ग्राम-दिवावनी के पास उर नदी स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिवपुरी/दतिया जिलों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को सिंचाई तथा घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करना है।
- प्रस्तावित परियोजना में कुल 2218 मीटर लम्बा व 45 मीटर ऊंचा संयोजित बांध बनाया जाएगा। नदी के बांये किनारे से 91.26 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर प्रस्तावित है। लोअर उर बांध का एक.आर.एल. 380 मीटर रखा गया है। एक.आर.एल. पर जलप्लावन क्षेत्र 2723.70 हैक्टेयर है। परियोजना से शिवपुरी/दतिया जिलों में 329.67 एम.सी.एम का उपयोग करते हुए 150 प्रतिशत सिंचाई क्षमता की अधिकता सहित 67,570 हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त नहर के आसपास में पड़ने वाले गांवों और शहरों में भीने की पानी री 6 एम.सी.एम पानी की आपूर्ति की जाएगी जिससे लगभग 1.65 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
- प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 3730 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। जल प्लावन क्षेत्र और नहर नेटवर्क के अंतर्गत आने वाली कुल भूमि क्रमशः 2723.70 और 1006 हैक्टेयर है। परियोजना के लिए लगभग 1038.243 हैक्टेयर वन भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्उद्धार व पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा व पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधान को न्यान में रखा जाएगा तथा परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्उद्धार योजना की तैयारी हेतु श्रेष्ठ विकल्पों की सिफारिश की गई है।
- सभी परियोजना प्रभावितों को जो विस्थापित होंगे उन्हें 150000.00 प्रति परिवार की दर से आवास निर्माण सहायता दी जाएगी।
- पशु गृह के निर्माण हेतु 25000 रु न्यूनतम या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिचूचना के अनुसार उपयुक्त एक बार की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को परिवार शिष्ट करने, भवन सामग्री, सामान तथा पशुओं हेतु 50000.00 रु. की एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- भूमि खोने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को कार्य की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु 3000.00 रु प्रतिमाह के समतुल्य मासिक जीविका भत्ता दिया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनु.जा., व अनु.जन.जाति को जीविका भत्ते के अतिरिक्त 50000.00 रु के समतुल्य राशि प्राप्त होगी।
- प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 50000.00 रु का पुनर्वास भत्ता दिया जाएगा।
- पुनर्वास व पुनर्उद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु 23891.522 लाख का कुल बजट रखा गया है।

कमरा:.....(3)

9)

6. प्रस्तावित लोअर उर सिंचाई बांध (डैम) परियोजना के प्रस्तुतीकरण के पश्चात लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकगणों/ग्रामवासियों से परियोजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, सुझाव, आपत्ति, टीका टिप्पणी लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया तथा लिखित प्रश्नों को आमंत्रित करने हेतु "सुझाव/विचार/आपत्ति/टीका-टिप्पणी प्रपत्र" नागरिकों में वितरित कराया गया जिसके फलस्वरूप 65 सुझाव/आपत्ति/विचार प्राप्त हुए जो मूलतः संलग्न हैं। नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से भी प्रमुख रूप से जमीन अधिग्रहण संबंधित जानकारी पूछी गई, जिन पर श्री जे.ड.यू.शेख, अपर कलेक्टर, शिवपुरी तथा श्री ओ.पी.सिंह कुरावाह, अधीक्षण अभियंता, एन.डब्ल्यू.टी.ए., नई दिल्ली द्वारा नागरिकों की जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्या/जिज्ञासा का समाधान किया गया। प्राप्त लिखित आवेदनों के संबंध में अभिक्रमण (स्टेटमेंट) तथा आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की कैन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना ग्राम दिदावनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर के अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में लिपिबद्ध किया गया। उक्त स्टेटमेंट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मूलतः संलग्न है। तदनुसार उपस्थित लोगों के द्वारा प्रस्तुत सुझाव/आपत्ति/विचार/टीका-टिप्पणी के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

- परियोजना में आरापास के ग्रामवासियों की कृषि भूमि तथा मकानों का उचित मुआवजा देने की मांग प्रमुख रूप से की गई है।
- परियोजना प्रारम्भ होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग मुख्य रूप से की गई।

7. कैन-बेतवा लिंक परियोजना, फेज-1 के अंतर्गत लोअर उर बांध परियोजना की लोक सुनवाई की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई जिसके छायाचित्र एवं वीडियो सी.डी. मूलतः संलग्न हैं। सभी बिन्दुओं पर लोक सुनवाई के सारांश से नागरिकों को अवगत कराया गया है। परियोजना से गांववालों की अधिग्रहित भूमि, कुंओं, मकानों के मुआवजों को और अधिक दिये जाने हेतु प्रभावित लोगों द्वारा मांग की गई है तथा गांव वालों द्वारा स्थानीय नागरिकों को इस परियोजना में रोजगार की मांग की गई है। परियोजना से गांववालों द्वारा भविष्य में लाभ एवं विकास की आशा व्यक्त की गई है। तदोपरान्त जोय सुनवाई के संबंध में जनसामान्य की आशंकाओं का समाधान होने पर अपर कलेक्टर श्री जे.ड.यू.शेख ने कहा कि प्रभावितों को जमीन का मुआवजा परियोजना प्रारम्भ के समय निर्धारित दर अनुसार दिये जाने की बात कही गई। तत्पश्चात श्री पी.सी.उचारिया क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थानीय नागरिकों को धन्यवाद देते हुए प्राप्त सभी मौखिक एवं लिखित सुझावों, टीका टिप्पणियों, आपत्तियों को मूलतः अंग्रेजित करने बाबत आश्वस्त किया गया। लोक सुनवाई की कार्यवाही से प्राप्त निष्कर्ष के मुख्य बिन्दुओं को नागरिकों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया तत्पश्चात अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित नागरिकों से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण होने की घोषणा की गई। समस्त गणमान्य नागरिकों को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं अपने विचारों को निर्भीक रूप से रखने के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया तथा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई। म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री आर.के.रोहितारा, कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रशासन, लोअर उर सिंचाई (बांध) परियोजना के अधिकारियों सहित जनसामान्य का आभार व्यक्त किया गया।


(पी.सी.उचारिया)


क्षेत्रीय अधिकारी,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, गुना


(जे.ड.यू.शेख)

अपर कलेक्टर एवं

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी


(ओ.पी.सिंह कुरावाह)

अधीक्षण अभियंता

Superintending Engineer

जल विकास अभिकरण

National Water Development Agency,

205-411, बहन/201, नई दिल्ली

द्वारा के.मुण, नई दिल्ली/R. K. ... Delhi-65

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना ग्राम दिदावनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर हेतु शास. उन्नयन प्रा.विद्यालय कंचनपुरा, ग्राम पंचायत-दिदावनी, तहसील - खनियाघाना, जिला-शिवपुरी (म.प्र.) में दिनांक 17.09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये मुद्दों का विवरण एवं निराकरण।

| क्र. | आवेदक का नाम | आपत्ति एवं सुझाव | निराकरण। |
|------|---|---|--|
| 1. | श्री दशराम लोधी पुत्र श्री रामचरण लोधी ग्राम-दिदावनी जिला-शिवपुरी | बांध का निर्माण कार्य जल्दी किया जाये। | संबंधित प्राधिकारियों/विभागों से सभी प्रकार की वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद बांध का निर्माण शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। |
| 2. | श्री सियाराम लोधी पुत्र श्री रामचरण लोधी ग्राम-दिदावनी जिला-शिवपुरी | बांध का निर्माण कार्य जल्दी किया जाये। | संबंधित प्राधिकारियों/विभागों से सभी प्रकार की वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद बांध का निर्माण शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। |
| 3. | श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री सूरत सिंह गुर्जर ग्राम-राजापुर जिला-शिवपुरी | ग्राम-खुलारखेड़ा, कालीपहाड़ी, निमौदा, ऐरावली, हनुमानखेड़ा, हर्षपुरा, राजापुर, गूडर, देवखो तथा खनियाघाना में नहर आना चाहिये। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 4. | श्री जगतसिंह सरपंच, पुत्र श्री रामदास लोधी ग्राम-राजापुर तह. खनियाघाना जिला-शिवपुरी | ग्राम-खुलारखेड़ा, कालीपहाड़ी, निमौदा, ऐरावली, हनुमानखेड़ा, हर्षपुरा, राजापुर, गूडर, देवखो तथा खनियाघाना में नहर आना चाहिये। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 5. | श्री प्रकाश पुत्र श्री सिनाम, ग्राम-राजापुर तह-खनियाघाना जिला-शिवपुरी | निमौदा, ऐरावली, गूडर, देवखो, खनियाघाना आदि सूखा क्षेत्र है अतएव क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का कष्ट करें। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पत्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में जीविका योजना में दिया गया है। |
| 6. | श्री जयदेव सिंह पुत्र श्री जगरथ सिंह लोधी ग्राम-राजापुर तह. खनियाघाना जिला-शिवपुरी | ऐरावली से आगे सुलारखेड़ा, कालीपहाड़ी, निमौदा, ऐरावली, हनुमानखेड़ी, गूडर राजापुर, देवखो मोटा, खनियाघाना सिनावल देवरी में नहर आना चाहिये। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 7. | श्री बल्लू पुत्र श्री आशाराम लोधी ग्राम राजापुर तह. खनियाघाना जिला-शिवपुरी | ऐरावली से आगे सुलारखेड़ा, कालीपहाड़ी, निमौदा, ऐरावली, हनुमानखेड़ी, गूडर राजापुर, देवखो मोटा, खनियाघाना सिनावल देवरी में नहर आना चाहिये। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 8 | श्री अरविंद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ग्राम-गूडर तह. खनियाधाना जिला-शिवपुरी | मेरा सुझाव है कि सिंचाई क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सिंचाई में करीब 50-60 गांव सिंचाई से वंचित हो रहे हैं। अतः यहाँ के निवासियों को ध्यान में रखते हुए जो पूर्व में नहर सर्वे बुलार, ऐरावली निबोदा गूडर से लेकर जो सर्वे की गई थी। उसी को यथावत रखें। ताकि 50 गाँव के लोग इस योजना का लाभ ले सकें। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारियों से भी इस संबंध में विचार विमर्श कर संभावना की जांच की जाएगी। |
| 9 | श्री भावसिंह लोधी पुत्र श्री अनरुतसिंह लोधी | आसपास के लोगों को रोजगार दिया जाये। बूढ़े लोगों को अच्छा मुआवजा दिया जाए। वन एवं जीव जंतुओं को नुकसान न हो। | परियोजना से प्रभावित परिवारी हेतु प्रावधान 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013' में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार दिया जाएगा। आने वाले जीविका योजना में दिए गए हैं। वन्यजीव व वन की सुरक्षा के उपाय परियोजना हेतु जैवविविधता प्रबंधन योजना में दिए जाएंगे। |
| 10 | श्री साहबसिंह पुत्र श्री श्रीपत परिवार ग्राम भरसूला जिला-शिवपुरी | यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। जमीन के बदले जमीन दी जाएगी और यदि ऐसा नहीं हो सका तो मकान बनाने के लिए कम से कम 50 लाख और पशुओं के लिए 7000 रु और जमीन का मुआवजा कम से कम 70 लाख एकड़ के हिसाब से होना चाहिये। क्षेत्र के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013' में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को पारदर्शिता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा जिसमें क्षेत्रीय लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा। |
| 11 | श्री वीरसिंह पुत्र श्री रूपसिंह यादव ग्राम मोतीपुर सं.बा. 9575764872 | सुलार, किंगरखेड़ा, निबोदा, ऐरावती गूडर खनियाधाना, देवरी, पुस, बनोटा इन गांवों से नहर निकले जिससे गांव सिंचित हो सकें। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 12 | श्री रामस्वरूप पाण्डेय पुत्र श्री रामदीन ग्राम भरसूला जिला-शिवपुरी | भरसूला के बच्चों को कोई काम या नौकरी दी जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013' में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के प्रावधानानुसार काम/नौकरी दी जाएगी। |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 13 | श्री गणपाल पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह परमार ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी 9326186159 | बांध का निर्माण कराया जाये। | संबंधित विभागों/राज्य तथा केन्द्र सरकार से सभी प्रकार की बैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद बांध का निर्माण शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। |
| 14 | श्रीमति गोमती बाई पूर्व सरपंच ग्राम मूडर हदसील खनियाघाना जिला-शिवपुरी | डैम से सुलार, निबोदा, मूडर नयागाँव, देवखो, मोटा, खनियाघाना मायापुर होता हुआ नहर दिया जाये। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 15 | श्री मोहनसिंह पुत्र श्री तवरराजा यादव ग्राम नारायण जिला शिवपुरी, 90988933249 | नागहोरी डैम से जो परिवार भूमिहीन हो रहे हैं उन्हें अपनी संपूर्ण जमीन का कम से कम 50 प्रतिशत जमीन उपलब्ध कराई जाये और शेष का उचित मुआवजा दिया जाए। डैम के निर्माण कार्य में दूब प्रभावितों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दिया जाये। मुआवजे का मुगतान बाजार दर अनुसार करें। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही प्रभावितों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार अधिनियम के प्रावधानानुसार दिया जाएगा। |
| 16 | श्री बदपाल सिंह लोधी पुत्र श्री राजाराम लोधी ग्राम सिनावलकली खनियाघाना जिला शिवपुरी | हमारे यहाँ लगातार 10 वर्षों से सूखा पड़ता आ रहा है। यहाँ कोई नदी, तालाब, झील की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गाव की स्थिति बहुत खराब है। अतः हमारे लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाये। | बांध के निर्माण के बाद, यदि संभव हुआ तो जल जरूरतमंद क्षेत्रों को पृथक्तरित किया जाएगा और ऐसी संभावनाओं की खोज की जाएगी। |
| 17 | श्री जिवन्त सिंह लोधी पुत्र श्री शिवदयाल लोधी ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी | ग्राम दिदावनी के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का कष्ट करे। बाहर के लोगों को नौकरी नहीं दी जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। |
| 18 | श्री राजपाल सिंह यादव, पुत्र श्री जण्डेल सिंह यादव, 9479344906 | ग्राम नारायणी निवासियों को उचित मुआवजा दिया जाये। मुआवजा 10 लाख रु बीघा एवं 5 लाख रु घर का मुआवजा दिया जाये। रहने की उचित व्यवस्था की जाये। पेड़ पौधों, कुओं का मुआवजा अलग से दिया जाये। नौकरी दी जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उक्त अधिनियम में उल्लेखित रहने हेतु मकान, पेड़ पौधों, कुओं आदि तथा रोजगार सभी हेतु प्रावधान किया गया है। |
| 19 | श्री तिलक राम पुत्र श्री धारुसिंह यादव ग्राम नारायणी जिला शिवपुरी, 8120364717 | 10 लाख बीघा का मुआवजा दिया जाये। 10 फुट के कमरे का मुआवजा 10000 रु मिलना चाहिये। प्रत्येक परिवार के लिए नौकरी दी जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा व रोजगार दिया जाएगा। |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 20 | श्री अरविंद सिंह यादव पुत्र श्री लालाराम यादव ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी 7746981626 | जमीन, मकान, पशु अन्य चीजों का उच्च मूल्य पर मुआवजा दिया जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। |
| 21 | श्री सुलतान सिंह यादव पुत्र श्री कल्याण सिंह यादव ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी | आपसी भाई-भाई का बंटवारा किया जाये। | जिला प्रशासन स्तर पर उपयुक्त उपाए किए जाएंगे। |
| 22 | श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री प्यारराजा चौहान ग्राम देवखो जिला शिवपुरी. 9926264791 | पूर्व सर्वे अनुसार नहर का निर्माण किया जाये। सुलारकलों, ऐरावती, देवखो, गुडर आदि से सर्वे हुआ था। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 23 | श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा ग्राम नारौनी जिला शिवपुरी. 8435809750 | इस परियोजना की नहर को बुधना डेम परियोजना में डाली जाये एवं बुधना डेम से नहरों का निर्माण कराया जावे, जिससे बुधना नहर के कमांड क्षेत्र अधिक हो एवं बुधना डेम में पानी की कमी है जो समस्या का निराकरण होगा। | मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा और तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। |
| 24 | श्री निष्णु सेन पुत्र श्री पप्पूलाल सेन ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी | ग्राम दिदावनी के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। जो लोग गांव से विस्थापित हो रहे हैं ऐसे परिवार के ग्रेज्यूट बच्चों को बांध परियोजना से जोड़ा जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रावता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। |
| 25 | श्री जयपाल, मानसिंह, लालाराम, सुरेश, नीलमसिंह, विजयसिंह, ब्रम्हासजा ग्राम नारौनी जिला शिवपुरी | ग्राम नारौनी के निवासियों की जमीन तथा मकान उर बांध परियोजना के दायरे/डूबक्षेत्र में आ रहे हैं। निवासियों की मांग है कि जमीन के बदले जमीन एवं रहने के लिए उचित जगह दिलायी जाये। परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दी जाये। 10 लाख बीघा के हिसाब से मुआवजा मिले। पुनर्वास के लिए शहर के पास जमीन मिलनी चाहिये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 26 | श्री जयपाल पुत्र श्री पीताम्बर जाटव ग्राम नारौनी जिला शिवपुरी. 7746981653 | जिवेदन है कि हमारी जमीन हमारे पिता के बहन के नाम पर है जिनका स्वर्गवास हो चुका है उसके बाद जमीन के कागज उनके लड़कों के द्वारा अपने नाम पर करा लिये गये। उक्त जमीन तथा हमारे द्वारा खरीदी गई जमीन जिसका नामांतरण नहीं हो पाया है, का मुआवजा हमें प्रदान करने का कष्ट करें। | उचित उपाय किए जाएंगे और 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। |


| | | | |
|----|---|---|--|
| 27 | श्री मलखान सिंह पुत्र श्री हरदास अहिरवार, ग्राम नयागाँव जिला-शिवपुरी, 8481924373 | मेरा सुझाव है कि बांध का निर्माण होकर नहर ग्राम गूडर से होकर जाये जिससे खनियाधाना क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 28 | श्री मित्रसेन अहिरवार पुत्र श्री हरदास अहिरवार, ग्राम नयागाँव जिला-शिवपुरी, 9989038154 | मेरा सुझाव है कि बांध का निर्माण होकर नहर ग्राम गूडर से होकर जाये जिससे खनियाधाना क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 29 | श्री रामदयाल पुत्र श्री महीपसिंह लोधी ग्राम भरसूला जिला-शिवपुरी 9755414493 | दूब क्षेत्र के परिवारों को जमीन के बदले जमीन तथा योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार एवं योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। |
| 30 | श्री सुदामा प्रसाद पुत्र श्री रामकिशन शर्मा तथा ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी, 9165392719 | बांध से जो नहर निकली है, वह हमारे मकानों से ऊपर है। हम निचली बस्ती में रहते हैं। गाँव के लोगों को रोजगार दिया जाये। | असमानता से बचने के लिए सबसे अच्छा संरेखण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाए किए जाएंगे। परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। |
| 31 | श्री भानसिंह, राजवीर, कल्याण, सरमन, तिलकराम, राजपाल समस्त ग्रामवासी ग्राम नारीनी जिला-शिवपुरी | ग्राम नारीनी की जमीन का मुआवजा राशि 10लाख बीघा तथा मकान का 5 लाख रु के हिसाब से दिया जाये। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। हमारे तथा पशुओं के रहने के लिए स्थायी उचित स्थान की व्यवस्था की जाये। कुआ तथा पेड़ पौधों का मुआवजा अलग से दिया जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा एवं परियोजना से प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को पात्रता के आधार पर रोजगार व नियमानुसार पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। |
| 32 | श्री अशोक सिंह पुत्र श्री गोविंद ग्राम राजापुर जिला शिवपुरी 8959872790 | नये सर्वे के अनुसार नहर ग्राम राजापुर के नीचे से जा रही है। पुराने सर्वे के अनुसार यदि नहर ऊपर से जाये तो 10 ग्राम के लोगों को फायदा होगा। | निर्माण स्तर से पहले नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी। नहर का पुराना सर्वेक्षण, यदि कोई है, उसकी भी जांच की जाएगी। |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 44 | श्री कप्तान सिंह यादव एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम नारीनी जिला-शिवपुरी | हमारी मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाये। वर्तमान दर लगभग 6-7 लाख बीघा बिक रही है। लगभग 10 लाख बीघा की दर से मुआवजा दिया जाये। मकान के बदले मकान बनवाकर दिये जाये। तालाब, कुआ, पेड़ पौधों का मुआवजा दिया जाये। कम से कम 50 हजार रु सामान का पुनर्वास मत्ता दिया जाये। मकान के आगे की जगह का कम से कम 500 रु /वर्गफुट से मुआवजा दिया जाये। स्थानीय योग्य युवकों तथा किसानों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये। राजघाट बांध जैसे परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाये। स्कूल की व्यवस्था की जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। प्रभावित जमीन व पुनर्वास हेतु मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 45 | श्री जगभान सिंह लोधी पुत्र श्री हरनाम सिंह ग्राम राजापुर, तहसील खनियाघाना जिला-शिवपुरी | नहर निर्माण होना चाहिये। | हम टिप्पणियों की प्रसंगा करते हैं। |
| 46 | श्री अवधेश सेन पुत्र श्री रामसेवक सेन ग्राम-भरसूला, जिला शिवपुरी, 9630762275 | मेरा सुझाव है कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 47 | श्री कृपाल सिंह पुत्र श्रीपत सिंह राजपूत ग्राम-भरसूला, जिला शिवपुरी, 9769702750 | मेरा सुझाव है कि हम व हमारे आसपास के सभी नागरिकों को किसी न किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिये। | परियोजना प्रभावित और अध्ययन क्षेत्र के गांवों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से लाभ दिया जाएगा। |
| 48 | श्री दिमानसिंह राजपूत पुत्र श्री हरचरण राजपूत ग्राम-भरसूला, जिला शिवपुरी, 8435823245 | मेरा विचार है कि हमारे लिए व हमारे सभी किसान भाईयों को रोजगार प्राप्त होना चाहिये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |


| | | | |
|----|--|--|--|
| 49 | श्री कोमलसिंह लोधी पुत्र श्री बालचंद लोधी ग्राम-भरसूला, तहसील-खनियाधाना, जिला-शिवपुरी 9755047669 | दूब क्षेत्र के प्रभावित/ विस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। परियोजना के अंतर्गत जो गांव आसपास के जुड़े है उन्हें दूसरे स्थान पर नौकरी का दर्जा दिया जाये क्योंकि परियोजना से ये गांव भी प्रभावित हो सकते है। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 50 | श्री सुरेशचंद जैन, पुत्र श्री रत्नचंद जैन आजाद मोहल्ला खनियाधाना, जिला-शिवपुरी, 9425714453 | उर नदी परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहर ग्राम सुलारकलों के पास से निकालकर कस्बा खनियाधाना होकर निकाली जाये जिससे पेयजल समस्या का निदान हो सके। | निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी |
| 51 | श्री राजेन्द्र सिंह बुंदेला पुत्र श्री धीरजसिंह बुंदेला, ग्राम दिदावनी, जिला-शिवपुरी | मैं बेरोजगार हूँ। मेरे पास जमीन कम है। मुझे फोर्ड भी नौकरी दी जाये तो अति दया होगी। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 52 | श्री अर्जुन आदिवासी पुत्र श्री जनका आदिवासी, ग्राम कालीपहाड़ी चंदेरी थाना, बामौरकलों, तह. -खनियाधाना, जिला-शिवपुरी | निवेदन है कि लोअर उर बांध परियोजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा करें। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। |
| 53 | श्री मोहनलाल लोधी पुत्र श्री रामवरण लोधी, ग्राम-दिदावनी, पोस्ट-भरसूला, जिला-शिवपुरी | इस बांध से हम लोगों को बहुत फायदा है और हम गरीब लोगों को नौकरी दिलाई जाये तो श्रीमान और दया होगी। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 54 | श्री सरमन जाटव पुत्र श्री हरसिंह जाटव, ग्राम नारीनी जिला-शिवपुरी 7772881901 | निवेदन है कि बांध परियोजना के तहत नौकरी दी जाये। | परियोजना के प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। |
| 55 | श्री ब्रम्हाराजा यादव, देवीसिंह, राजवीर यादव एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-लखारी, जिला-शिवपुरी | समस्त ग्रामवासियों का विचार है कि लोअर उर बांध परियोजना से ग्राम पंचायत हिडोराखेड़ी, अंतर्गत सिंचाई की व्यवस्था होगी तथा इस परियोजना से रागी ग्रामवासी-लखारी, हिडोराखेड़ी पूर्ण रूप से संतुष्ट है। | उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 56 | श्री नथनसिंह यादव पुत्र श्री धारुसिंह जी शिवपुरी, 9407514658 | निवेदन है कि हमारी जमीन के खाते नम्बर के रिकॉर्ड में से नाम चार वर्ष नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड में नाम सुधारने हेतु पटवारी द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। | इस संबंध में राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से निराकरण हेतु अनुरोध करें। |
| 57 | श्री जगतसिंह, काशीराम, धारासिंह, रामसेवक, रमेश कुमार समस्त ग्रामवासी ग्राम-हर्षपुर तहसील-खनियाघाना, जिला शिवपुरी | निवेदन है कि नहर, ग्राम-सुलारखेड़ा, ऐरावती, निबोदा, हर्षपुरा, राजापुर, हनुमानखेड़ा, गूडर, व नयागाँव, देवखो, खनियाघाना आदि से होते हुए जाना चाहिये। | उल्लेखित गावों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 58 | श्री प्रकाशचंद यादव पुत्र श्री हरभानसिंह यादव ग्राम-सिंतपुरा, जिला- शिवपुरी, 9755499281 | निवेदन है कि खनियाघाना क्षेत्र का ये आखिरी बांध है यदि यह गूडर से होते हुए नहीं जाती है तो इस क्षेत्र के लिए कभी भी पानी नहीं मिलेगा और मविध्य में हमेशा इस क्षेत्र के लिए कभी नहर नहीं मिलेगी तथा क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा। इस लिए प्रहलाद सिंह द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, उसका मैं समर्थन करता हूँ। | उचित उपाए किए जाएंगे और निमाण स्तर से पहले उल्लेखित गावों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 59 | श्री महेंद्र सिंह यादव, पुत्र श्री दिवान सिंह यादव शिवपुरी | मेरा मकान उर बांध के निकट है जिससे हमारे लिये कई परेशानी आएगी। मेरे द्वारा कय की गई जमीन पर मकान बना लिया गया है। मैं एक पैर से कमजोर हूँ। मेरे मकान का मुआवजा देने की कृपा करें। | विचार करने हेतु सुझाव लिए जाएंगे और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2017 में उचित मुआवजा तथा संरक्षिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। |
| 60 | श्री सुरेश जाटव पुत्र श्री नाथूराम जाटव ग्राम-नारौनी, जिला-शिवपुरी, 7354849633 | ग्राम-नारौनी के डूब क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम बेरोजगार हैं। कृपया रोजगार दिलाने का कष्ट करें। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 61 | श्री रामवीर सिंह यादव पुत्र श्री परमाल सिंह यादव, ग्राम-नारौनी, जिला-शिवपुरी | बांध परियोजना के अंतर्गत रोजगार दिलाने का कष्ट करें। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 62 | श्री दयाशम लोधी पुत्र श्री रामचरण लोधी ग्राम-दिदावनी, जिला-शिवपुरी, 9669663142 | अच्छा मुआवजा दिया जाये तथा रोजगार उपलब्ध कराया जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा व रोजगार दिया जाएगा। |
| 63 | श्री शिशुपाल सिंह लोधी पुत्र श्री रामदयाल सिंह लोधी शिवपुरी, 8120220026 | निवेदन है कि बांध का कार्य जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाये तथा किसानों तक जल्दी पानी पहुंचाने की कृपा करे। | हम आपकी टिप्पणी का स्वागत करते हैं। |
| 64 | श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह बुंदेला नगर पालिका अध्यक्ष खनियाघाना जिला शिवपुरी, 9993358260 | नहर योजना सुलार से ब्याया गूडर होते हुए खनियाघाना से निकाले ताकि यज्ञ जो गाँव घूट रहे है उन गाँवों को लाभ मिले और सभी किसानों को इससे फायदा मिले। | निर्माण स्तर से पहले नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |
| 65 | श्री राकेश लोधी सरंपब ग्राम दविया जगन, श्री चतुरसिंह तामर खनियाघाना, राजासिंह, विद्या तामर जनपद सदस्य खनियाघाना जिला-शिवपुरी | उपर बांध परियोजना में नहर से ग्राम-सिनावलकलों, सिनावलखुर्द, देवरी, कुम्हरा, दवियाजगन, नगरेला, वीरपुर आदि को जोड़ा जाये ताकि सभी ग्राम पंचायतों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। | उल्लेखित गाँवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरक्षण की संभावना की जांच की जाएगी। |


(पी. सी. लुचारिया)
क्षेत्रीय अधिकारी,
न.प्र.प्रदूषण निर्वंत्रण बोर्ड,
विजयपुर, गुना


(जे. ड. यू. शिव)
अपर कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
शिवपुरी


(ओ. पी. सिंह कुशवाह)

अतिरिक्त अभियन्ता
Superintending Engineer
राष्ट्रीय जल विकास आयोग
National Water Development Agency
202 पार्क, जल विकास भवन
आ. सं. गुना, न.प्र.प्रदूषण निर्वंत्रण बोर्ड, गुना-505006

STATEMENT OF THE ISSUES RAISED BY THE PUBLIC AND THE COMMENTS OF THE PROPONENT DURING PUBLIC HEARING DATED 17/09/2015 CONDUCTED FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF LOWER ORR DAM AT VILLAGE - DIDAUNI DISTT.- SHIVPURI/ASHOKNAGAR (M.P.) UNDER KEN - BETWA LINK PROJECT PHASE-II

PLACE OF PUBLIC HEARING : GOVT. UNNAYAN PRIMARY SCHOOL, KANCHANPURA, GRAM PANCHAYAT - DIDAUNI, TEHSIL - KHANIYADHANA, DISTT - SHIVPURI (M.P.)

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|--|
| 1. | Mr. Dayaram Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi Village-Didauni, Dist.- Shivpuri | Please, Start the work of construction of Dam very soon. | Construction of the dam shall be start soon after getting all the statutory clearances from concerned authorities/Deptt. |
| 2. | Mr. Siyaram Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi Village-Didauni, Dist.- Shivpuri | Please, Start the work of construction of Dam very soon | Construction of the dam shall be start soon after getting all the statutory clearances from concerned authorities/deptt. |
| 3. | Mr. Ramsingh Gujjar s/o Mr. Surat singh Gujjar, Village-Rajapur, Dist.- Shivpuri | Canal should be passes through Khularkhera, Kalipahari, Erawali, Hanumankhera, Nimoda, Harshpura, Rajapur, Gudar, Devkho and Khaniyadhana | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 4. | Mr. Jagat Singh sarpanch s/o Mr. Ramdas Lodhi Village- Rajapur Teh.- Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | Please, Canal should be passes through Khularkhera, Kalipahari, Erawali, Nimoda, Hanumankhera, Harshpura, Rajapur, Gudar, Devkho and Khaniyadhana. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 5. | Mr. Prakash s/o Mr. Simaam, Village- Rajapur Teh.-Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri | Nibouda, Erawali, Gudar, Devkho, Khaniyadhana etc. vilages are under draught prone area so please provide any job to villagers of these affected area. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibity and govern ment poicy. The provision for providing jobs for the affected PAFs is given in Livelihood plan in Environmental management plan for the project. |
| 6. | Mr. Jaydev Singh s/o Mr. Jashrathi Singh Lodhi, Village- Rajapur Teh.- Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | Canal should be extended beyond Erawali to the vilages Sularkheda, Kali Pahadi, Nbauda, Hanumanakhedi, Gudar Rajapur, Devko Malta, Khaniya Dhana and Sinaval Devri. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned vilages before the construction stage. |
| 7. | Mr. Ballu s/o Mr. Aasha Ram Lodhi, Village-Rajapur Teh.- Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri | Canal should be extended beyond Erawali to the vilages Sularkheda, Kali Pahadi, Nbauda, Hanumanakhedi, Gudar Rajapur, Devko Malta, Khaniya Dhana and Sinaval Devri. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned vilages before the construction stage. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|---|---|
| 8. | Mr. Arvind s/o Mr. LakshmiNarayan Sharma Village- Gudar The- Khaniyadhana Dist.- Shivpuri | About 50-60 villages are not covered in the command area. The earlier alignment of canal covering villages Bular, Eravali, Nibodha, Gudar may be kept intact. This will enable about 50 villages to be benefited. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. In this regard discussion will also be held with the concerned officers of WRD MP to examine the possibility |
| 9. | Mr. BhavSingh Lodhi s/o Mr. AnratSingh Lcdhi | Affected persons from the submergence area may be given compensation. Employment should be given to the persons in the near by area. Efforts should be made to secure the wildlife and forest. | The provision for the affected PAFs shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" Further benefits are given in Livelihood plan Measures to secure the wildlife and forest is given in Biodiversity management plan for the project. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. |
| 10. | Mr. Sahab Singh s/o Mr. Shripat Parihar, Village- Dharsula, Dist.- Shivpuri | Employment to be given as per his eligibility. Preference for land for land to be given, incase this is not possible, then Rs.50 lakh to be given for the construction of house and Rs.7000 for livestock. At least Rs.70 lakh/ acre should be compensation for land. Preference should be given in employment for the project affected area. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. Preference in employment will be given to PAF's people of the area will also be included. |
| 11. | Mr. Veer Singh s/o Mr. Roop Singh Yadav, Village- Motipur, Dist.- Shivpuri Mob- 9575764872 | Canal should go through villages Sular, Kinarkheda, Nibauda, Eravali, Gudar, Khaniya Dhana, Devri, Pura, Banota so that these villages should also be irrigated. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 12. | Mr. Ramswaroop Pandey s/o Mr. Ramdeen, Village- Bharsula, Dist.- Shivpuri | The people of Bharsula Village may be given employment/ works. | Employment/works shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|---|
| 13. | Mr. Yashpal s/o Mr. Lakshman Singh Parmar Village- Didauni Teh- Khaniyadhana Dist- Shivpuri | Construction of Dam should be done | Construction of the dam shall start soon after getting all the required clearances from concerned departments of state and central government. |
| 14. | Mrs. Gomati Bai, Ex. Sarpanch, Village- Gudar Teh.-Khaniyadhana, Dist- Shivpuri | Canal should go through villages Sular, Nibauda, Gudar, Naya Gaon, Devkha, Mota, Khanidhana, Mayapur. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 15. | Mr. Mohan Singh s/o Mr. Ravraja Yadav, Village- Raivas, Dist.- Shivpuri Mob - 9098933249 | At least 50% land for land should be given alongwith the compensation for the remaining 50 % of the land for the project affected families of the Naghori dam. Employment to be given as per his eligibility to the PAFs. Markets should be adopted for compensation. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. |
| 16. | Mr Chandrapsi singh Lodhi s/o Mr. Rajaram Lodhi, Village- SinawaiKala Teh- Khaniyadhana, Dist- Shivpuri | We are facing droughts since last 10 years due to the lack of water availability source such as rivers, streams, ponds etc. the situation is very bad, hence its is suggested that irrigating facilities may be provided. | After construction of dam, if possible water will be diverted to the needy areas and such possibility shall be explored. |
| 17. | Mr Jitendra Singh Lodhi s/o Mr Shivdayal Singh Lodhi, Village- Didauni Dist- Shivpuri | Preference in employment to be given to the PAFs of the village Dedavani. Outsiders should be kept away for employment. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. |
| 18. | Mr Rajpal singh Yadav s/o Mr Jandel Singh Yadav, Mct- 9479344906 | Adequate compensation should be given to PAFs of village Narauni. Compensation of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs. 5 lakh for houses should be given. Adequate facilities for satyng should be done. Separate compensation towards loss of trees, wells shall be given along with employment. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Provision to compensation of house, well, trees, employment for PAF's have been included in the above mentioned Act. |
| 19. | Mr Tilak Ram s/o Mr. Dharu Singh Yadav, Village- Narouri, Dist- Shivpuri Mob - 8120364717 | Compensation of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs.100000for 10 Sq.ft room shall be given. Employment for every PAF's. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|--|
| 20. | Mr. Arvind Singh Yadav s/o Mr. Lalaram Yadav, Village- Didauni, Dist- Shivpuri Mob.- 7746981626 | Compensation for land, house, livestock and others shall be given at higher rate. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |
| 21. | Mr. Sultan Singh Yadav s/o Mr. Kalyan Singh Yadav, Village- Didauni, Dist- Shivpuri | Distribution of "Khatas" among brothers may be done. | Appropriate measures shall be taken at district administration level. |
| 22. | Mr. Jagdish Singh s/o Mr. PyareRaja Chouhan, Village- Devkho, Dist- Shivpuri Mob.- 9926234791 | The earlier alignment of canal covering villages Sularkhata, Eravali, Devko, Gudar may be kept intact. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 23. | Mr. Anil Sharma s/o Mr. RamNareyan Sharma, Village- Narouni, Dist- Shivpuri Mob.- 8435809750 | The canal should be linked to Bhudna dam project and the construction of canals of Bhudna dam may be taken up. This will be enable to increase in the command area of Bhudna dam and eradicate the problem of water shortage in the Bhudra dam. | The matter shall be discussed and further action will be taken accordingly. |
| 24. | Mr. Vishnu Son s/o Mr. Pappulal Sen, Village- Didauni, Dist- Shivpuri | Employment should be given to the persons of Dedavani Village. The Graduated persons of the affected families may be connected with the dam projects. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. |
| 25. | Mr. Jaypal, Mr. Mansingh, Mr. Lalaram, Mr. Suresh, Mr. Neelam singh, Mr. Vijay singh, Mr. Brahma Raja, Village- Narouni, Dist- Shivpuri | Village Narouni is getting affected/ submerged in the dam project. Land for land at the rate of Rs.10 lakh/bigha and proper place for staying may be given. At least one member of the PAFs to be given employment. Resettlement should be made near the city/town. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" In addition livelihood plan to be provided to acquirement for care of PAF's. |
| 26. | Mr. Jaypal s/o Mr. Pitambar Jatav, Village- Narouni, Dist- Shivpuri Mob- 7746981653 | Our lands are in the name of our father's sister in the revenue record books, who is no more. After that the land has been transferred to their son's name. We could not get our names in the record books. It is suggested that all the stakeholders should be consider during compensation. | Appropriate measures shall be taken and Compensation shall be awarded as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|--|---|
| 27. | Mr. Malkhan Singh s/o Mr. Hardas Ahirwar, Village- Nayagaon, Dist.- Shivpuri Mob - 8461924373 | It is suggested that the canal should go through the village Gudar so that the people of Khaniyadhara area shall be benefited. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages. |
| 28. | Mr. Mitrasen Ahirwar s/o Mr. Hardas Ahirwar, Village- Nayagaon, Dist.- Shivpuri Mob - 9989038154 | It is suggested that the canal should go through the village Gudar so that the people of Khaniyadhara area shall be benefited. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages. |
| 29. | Mr. Ramdayal s/o Mr. Mahip Singh Lodhi, Village- Bharsula, Dist.- Shivpuri Mob.-9755414493 | People in the submergence area may be given land for land and employment as per their eligibility. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. |
| 30. | Mr. Sudama Prashad s/o Mr. Ramkishan Sharma, Village- Didauni, Dist.- Shivpuri Mob - 9165392719 | Our houses are getting affected due to the canal and employment shall be given to the villagers. | Appropriate measures shall be taken to ensure best fit alignment to avoid the disparity. Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. |
| 31. | Mr. Bhansingh, Mr. Rajveer, Mr. Kayan, Mr. Sarman, Mr. Tilakram, Mr. Rajpal and All Villagers of Village- Narouni, Dist.- Shivpuri | Compensation of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs. 5 lakh for houses should be given for the village Narouni. At least one member of the PAFs to be given employment. Adequate arrangement for staying for self and livestock should be provided. Separate compensation towards loss of trees, wells shall be given. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. |
| 32. | Mr. Ashok Singh s/o Mr. Govind, Village- Rajapur, Dist.- Shivpuri Mob - 8959872790 | As per the new survey canal is passing through the village Rajapur. At least 10 villages shall be benefited if the old alignment of the canal is considered. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated before the construction stage. Old alignment, if any, shall also be examined. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|--|---|
| 33. | Mr. Bhaiyasaheb s/o Mr. Jandel Singh Yadav, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri Mob.- 9669461714 | Either land for land or Rs. 10 lakh/ bigha compensation should be given for the sustenance. The Graduated persons of the affected families should be given employment. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. |
| 34. | Mr. Bhattalal, Village- Kalipahari, Dist.- Shivpuri | The Patta land bearing Sl No.95 of Kalpahari is not entered in the computerized records. The same may be done. | Appropriate measures shall be taken at district administration level. |
| 35. | Mr. Neelam Singh s/o Mr. Pyare Lal Ahirwar, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri Mob.- 8959663098 | Compensation of my land of 3.5 bigha shall be given. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 36. | Mr. Veetan s/o Mr. Preetam Singh Adiwasi, Dist.- Shivpuri Mob.- 9753937673 | Land for resettlement and employment shall be given. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. |
| 37. | Mr. Pyatelal s/o Mr. Gampal Jatav, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri | We are coming under submergence. We may be given land for land and land for construction of house. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 38. | Mr. Vijay Singh Jatav s/o Mr. Nathuram Jatav, Dist.- Shivpuri Mob.- 7694889204 | I am an unemployed resident of Village Narouni coming under submergence. Employment and land for resettlement may be given | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. |


| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|--|--|
| 39 | Mr. Kishana, Mr. Govinda, Mr. Dhaniya Adiwasi, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri | The names of the lands of the tribes who are migrated from Village Narouni may be entered in the Patvari records and also corrections in the records for the missing persons may be done for the adequate compensation. | Appropriate measures shall be taken at district administration level. |
| 40 | Mr. Hariram Paal s/o Mr. Karanju Pal, Village- Didauni, Teh- Khaniyadhana, Dist- Shivpur | My land is about 3000 ft distance from canal route. We are not using the water in the canal and paying the cess. Please remove the cess. | At present this project is proposed project, the problem raised shall be sorted out by concerned officers of State Govt. |
| 41 | Mr. Balwant Singh s/o Mr. Toofan Singh, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri Mob.- 9407219658 | Compensation of Rs. 10 lakh/Bigha for land should be given. At least one member of the PAFs to be given employment. Adequate arrangement for staying should be provided. Separate compensation towards loss of trees, wells, buildings shall be given as per the new rates. | Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. |
| 42 | Mr. Karan Singh Yadav Ex. Jila panchayat member, Mr. Bhagwan Singh (Ex. Sarpanch -Mayapur), Mr. Rajendra Singh, Village- Devani and others | It is unjustified to omit the villages Pura, Darampura, Badli, Mehrauli, Devri, Peepalgheda, Banota, Mayavur, Nagarela, Badarvaha, Ahar Bhandpur, Feravani, Nibodha, Sularkhla, Pachara etc. from the command of urr darn project. It is suggested to kindly adopt the old survey alignment covering the entire area which is justifiable. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. If any survey work for alignment as suggested was done earlier by WRD, MP shall also be examined and possibility will be explored |
| 43 | Mr. Dinesh Pal s/o Mr. Hariram Pal, Village- Didauni, Dist.- Shivpuri Mob.- 8959616926 | Employment should be given. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. |
| 44 | Mr. Kaptan Singh Yadav and All Villagers, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri | We should be given land for land. Present market rate is Rs.6-7 lakh/bigha and our compensation should be fixed at Rs.10 lakh/ bigha. House for house should be | Compensation for land and resettlement shall be given as per The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|--|
| | | given. compensation towards loss of trees, wells, ponds shall be given. Rs.50,000 for shifting allowance, Rs.500/sq.ft for the open spaces shall be given. Preference for eligible persons for employment. Employment in the lines of Rajghat project to be adopted. Arrangement for schools should be done | and Resettlement Act, 2013. Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 45. | Mr. Jagbhan Singh Lodhi s/o Mr. Harnam Singh, Village- Rajapur, Teh.- Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri | Canal should come up. | We appreciate the comment. |
| 46. | Mr. Avdhesh Sen s/o Mr. Ramsevak Sen, Village- Bharsula, Dist.- Shivpuri Mob.- 9630762275 | Preference to local persons for employment | Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 47. | Mr. Kripal Singh s/o Mr. Shripat Singh, Village- Bharsula, Dist.- Shivpuri Mob.- 9769702750 | Benefits should be made available to all the persons of the project affected and nearby areas. | Benefits from the local area development plan shall be given to the project affected and study area villages. |
| 48. | Mr. Dimaan Singh Rajput s/o Mr. Harcharan Rajput, Village- Bharsula, Dist.- Shivpuri Mob.- 8435823245 | Employment to us and for all farmers shall be given | Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 49. | Mr. Komal Singh Lodhi s/o Mr. Balchand Lodhi, Village- Bharsula, Teh.- Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri Mob.- 9755047669 | Employment to one person from each PAFs from submergence area. | Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 50. | Mr. Suresh Chand Jain s/o Mr. Ratan Chanit Jain, Azad Mohalla, Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri Mob.- 9425714453 | The canal alignment of the Orr project should pass through village Sularkhla, Khaniyadhana so that the problem of drinking water can be tackled. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. |
| 51. | Mr. Rajendra Singh Burdela s/o Mr. Dhiraj Singh Burdela, Village- Didauni, Dist.- Shivpuri | I am unemployed with very less land. Any employment for me shall be done | Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|--|--|
| 52. | Mr. Arjun Adiwasi s/o Mr. Janaka Adiwasi, Village- Kalipahar, Chanderi Thana BamcurKala, Teh.- Khaniyadhana, Dist- Shivpuri | Employment should be given. | Employment to PAFs shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 53. | Mr. Mohan Lal Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi, Village- Didauni, Post.-Bharsula, Dist- Shivpuri | Dam will be beneficial to us. Employment should be given. | Employment to PAFs shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs. |
| 54. | Mr. Sarman Jatav s/o Mr. Har Singh Jatav, Village- Narouni, Dist.- Shivpur Mob - 7772681901 | Employment should be given. | Employment to PAFs shall be given as per the eligiblity and Govt. policy. |
| 55. | Mr. Brahamaraja Yadav, Mr. Devi Singh, Mr. Rajveer Yadav and All Villagers Village- Lakhari Dist- Shivpuri | Every villagers are of the opinion that due to Lower Orr project, Gram Panchayat Didorakhedi should come under irrigation and all persons are satisfied with the project. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned village. |
| 56. | Mr. Nathan Singh Yadav s/o Mr. Dharu Singh I, Dist.- Shivpur Mot - 9407514658 | The missing names may be entered in the Patvari revenue records so that compensation should be available to us. | Concerned officers of State Govt. may be requested to resolved/sorted out this issue. |
| 57. | Mr. Jagat Singh, Mr. Kashiram, Mr. Dhara Singh Mr. Ramsevak, Mr. Ramesh Kumar and All Villagers Village- Harshpura Teh - Khaniyadhana Dist - Shivpuri | Canal should go through vilages Sulakheda, Eravali, Nibauda, Harshpura, Rahjapur Hanumangheda, Gudar and Naya Gaon. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned village. |
| 58. | Mr. Prakashchand Yadav s/o Mr. Harbhan Singh Yadav, Village- Silpura, Dist- Shivpuri Mob - 9755499281 | This is the last dam proposed in the Khaniyadhana region, if Gudar is omitted from the canal alignment, our area will cevoid of any future development due to lack of irrigation facilities. | Appropriate measures shall be taken and possibility of the alignment of the canal shall be investigated before the construction stage. |
| 59. | Mr. Mahendra Singh Yadav s/o Mr. Diwan Singh Yadav, Dist.- Shivpuri | We will face difficult as our house is near the dam. As I already constructed house in the allotted land and I am physically handicapped also, adequate compensation may be given. | Suggestion shall be taken for consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|--|--|
| 60. | Mr. Suresh Jatav s/o Mr. Nathuram Jatav, Village- Narouni, Dis:- Shivpuri Mob- 7354849633 | We are unemployed from Narouni village coming under submergence. Employment shall be given. | Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs too. |
| 61. | Mr. Ramveer Singh Yadav s/o Mr. Parmal Singh Yadav, Village- Narouni, Dist.- Shivpuri | Employment shall be given. | Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs too. |
| 62. | Mr. Dayaram Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi, Village- Didauni, Dist.- Shivpuri Mob.- 9669663142 | Fair compensation and employment to be given. | Compensation and employment shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |
| 63. | Mr. Shishupal Singh Lodhi s/o Mr. Ramdayal Singh Lodhi, Dist.- Shivpuri Mob.- 8120220026 | Suggested to start the work and irrigation water to be supplied to the farmers at the earliest. | We all appreciate your views/suggestion. The project will be started soon after obtaining all statutory clearances. |
| 64. | Mr. Shailendra Pratap Singh Bundeia (President of Nagar Palika- Khaniyadhana), Dist.- Shivpuri Mob.- 9993358260 | Canal alignment may be taken from Sular village to Gudar through Khaniyadhana so that we can get the benefits. | Possibility of the alignment of the canal shall be investigated before the construction stage. |
| 65. | Mr. Rakesh Lodhi (sarpanch Davia jagan), Mr. Chatur Singh Tomar, Khaniyadhana, Mr. Rajasingh, Vidhya Tomar, member of Janpad Khaniyadhana, Dist.- Shivpuri | Canal should go through villages Sinaval khatan, Devri, Kumhara, Daviyajagan, nagarela, Veerpur etc., so that all Grampanchayats should get the irrigation benefits. | Possibility of the alignment of the canal shall be examined and explored for supply of water in mentioned villages. |


 (P.C. Uchariya)
 Regional Officer,
 MP Pollution Control Board, Vijaipur, Distt-Guna


 (Z.U. Shekh)
 Additional Collector and
 A.D.M. Shivpuri (M.P.)













 (O.P. Singh Kushwah)

अभियन्ता
 Senior Inter of Eng Engineer
 एम. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 No. 1/2014-15
 Agency
 शा. प्र. 1/2014-15

विषय :- मेसर्स नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी कैन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, जिला-शिवपुरी की प्रस्तावित बांध (डैम) परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015 में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का उपस्थिति पत्रक ।

दिनांक - दिनांक 17.09.2015, दिन-गुरुवार, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ।

स्थान - शास.उन्नयन प्रा.विद्यालय कंचनपुरा, ग्राम पंचायत-दिदावनी, तहसील- खनियाघाना, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)।

| क्र. | उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद | पता | हस्ताक्षर |
|------|--|---|--|
| 1. | जे. डी. सु. शर्मा A.D. M. | शिवपुरी - |  17-9-15 |
| 2. | पी. ए. उचारिया. इंजीनियर अधि. न. उ. उड्डयन निष्कांठ बोर्ड गुवा | MPPCB गुवा |  |
| 3. | मुकेश कुमार शर्मा S. D. M. पिप्यार | पिप्यार जिला - शिवपुरी |  17/09/15 |
| 4. | जे. पी. गुप्ता तहसीलदार खनियाघाना | खनियाघाना |  17/9/15 |
| 5. | अमरेंद्र कुमार इ. नि. रा. व. वि. क., लखनऊ | रा. ज. वि. क. लखनऊ |  |
| 6. | पी. डी. कारी - कर्मचारी राजधानी नहर संयंत्र - खनियाघाना | रा. ज. वि. क. लखनऊ |  17/9/15 |
| 7. | श्रीराम शर्मा अगुलाजीय अधिकारी राजधानी नहर संयंत्र का-पंदेरी | रा. ज. वि. क. लखनऊ |  |
| 8. | चंद्रपाल सिंह सेगर अधिशामी कर्मचारी, N.W.D.A. | A-3/6, Rajahat Lohay, Jhansi. |  |
| 9. | राम जी नामक मजदूर दिदावनी तहसील का-पंदेरी | A-3, लखनऊ परिपत्र 211/15 का मजदूर |  |
| 10. | आर. पी. उडा रा. ज. वि. क. राजधानी नहर (खनियाघाना) | खनियाघाना |  17/9 |
| 11. | संजय कुमार सिंघल सहायक अधिशामी अधिकारी राजधानी नहर संयंत्र का-पंदेरी | 12 Sada Bhawan City Centre Gwalior |  17-9-15 |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 12. | सुदेश कानू मिश्रा सहायक आयुक्त रा.प.स.वि.अ. अ. का | 12 Sada शालक जग | (सुदेश कानू मिश्रा) 17-9-15 |
| 13. | P. K. Sharma Assistant Finance Officer | 12 Sada Bhawan City Center Gwal. | <u>Sharma</u> 17/9/15 |
| 14. | सुन्दर . क. पालेदे क. क. निमित्त | 23 - महाराष्ट्र परिवार शाहपुरा हाथल | <u>3</u> |
| 15. | जीठ लख. सोनी सू. इंजीनियर | A-27, आवा. भ. वि. कु.स. मदनपुरा, भांसा | <u>ज. सोनी</u> 17/9 |
| 16. | अमित शर्मा | 76-C, Sector-18 गुडगांव, हरियाणा | <u>अमित शर्मा</u> 17/9/15 |
| 17. | S. M. Dixit, DCE, WAPCOS | 76-C, Sector-18, Gurgaon, Haryana | <u>S. M. Dixit</u> 17/09/15 |
| 18. | S. C. Anwar CE NWDA, Gwalior (MP) | 12 Sada City Center Gwalior | <u>S. C. Anwar</u> 17/9/15 |
| 19. | सिमा राम साहेब आयुक्त रा.प.स.वि.अ. अ. का | 12 साडा मक सिटी सेंटर गुवाहाटी | <u>S. Ram</u> 17/9/15 |
| 20. | सु. क. प. वि. अ. का रा.प.स.वि.अ. अ. का रा.प.स.वि.अ. अ. का | 205 पालेदे मदनपुरा मदनपुरा 09560037176 | <u>S. K. P. V. A. K.</u> 17/9/15 |
| 21. | वि. अ. का रा.प.स.वि.अ. अ. का रा.प.स.वि.अ. अ. का | रा.प.स.वि.अ. अ. का रा.प.स.वि.अ. अ. का | <u>V. A. K.</u> |
| 22. | G. K. Rajniya In Scientist. RMPER Guna | Tank Road Guna Gwalior Guna. | <u>G. K. Rajniya</u> 17/9/15 |
| 23. | Kailash Deharia Personal Secretary RMPER Guna | — | <u>K. Deharia</u> 17/9/15 |
| 24. | M. K. Nagdave, U.D.C | — | <u>M. K. Nagdave</u> 17/9/15 |
| 25. | R. K. Rohitash, EE, R.O., M.P.P.C.T.S. Guna | R.F.L. Guest house | <u>R. K. Rohitash</u> 17/9/15 |

2. Jitendra Jalariya

Guna.


J. Jalariya
17/9/15

7








विषय - मेसर्स नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, जिला-शिवपुरी की प्रस्तावित बाध (डैम) परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015 में उपस्थित नागरिकगणों का उपस्थिति पत्रक ।

दिनांक - दिनांक 17.09.2015, दिन-गुरुवार, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ।

स्थान - शास.उन्नयन प्रा.विद्यालय कंचनपुरा, ग्राम पंचायत दिदावनी, तहसील- खनियाघाना, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)।

| क्रमांक | उपस्थित नागरिक का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---------|--|--------------|---|
| 1. | श्री लक्ष्मण सिंह यादव S/o श्री लक्ष्मण सिंह | गाँव नारौनी | पुंजगान |
| 2. | श्री परमान सिंह S/o श्री हरनाथ सिंह | गाँव नारौनी | परमान सिंह |
| 3. | श्री राजेश S/o श्री ज्योत्सना | गाँव नारौनी |  |
| 4. | श्री लोकाराम कोधी S/o श्री राजेश्वर | गाँव भरसूला | लोकाराम |
| 5. | श्री शिवलाल S/o श्री मरदन | गाँव भरसूला | शिव लाल |
| 6. | श्री विमान सिंह विमान सिंह कोधी S/o हरचरण | गाँव भरसूला | विमान सिंह |
| 7. | श्री कृपाल सिंह S/o श्री पत कोधी | गाँव भरसूला | कृपाल सिंह |
| 8. | लखन | भरसूला | लखन |
| 9. | श्री कैलाश S/o श्री अना | गाँव कंचनपुर | कैलाश |
| 10. | श्री डावगार सिंह S/o श्री राजेन्द्र | गाँव नारौनी | डावगार सिंह |
| 11. | श्री अशोक सिंह कोधी S/o श्री अनुराग सिंह कोधी | गाँव भरसूला | अशोक |

| | | | |
|-----|---|------------------|----------------|
| 12. | श्री कालूराम लोधी S/o श्री रामचरण | ग्राम : कंचनपुरा | कालूराम |
| 13. | श्री प्रीराम S/o श्री-कमला | ग्राम - कंचनपुरा | |
| 14. | श्री केशव सिंह लोधी S/o श्री-राजम | ग्राम सितावल/कला | केशव |
| 15. | श्री चन्द्रपाल सिंह लोधी S/o श्री-राजाराम लोधी | ग्राम सितावल कला | चन्द्रपाल सिंह |
| 16. | श्री लक्ष्मण सिंह S/o श्री महीव सिंह | ग्राम : दिवावनी | कल्याण सिंह |
| 17. | श्री लक्ष्मण S/o श्री विन्दी | ग्राम कंचनपुरा | |
| 18. | श्री रामकिशन लोधी S/o श्री मोहनलाल | ग्राम थरसूला | रामकिशन |
| 19. | श्री हजली (सापंच) S/o श्री-बाधारी | ग्राम थरसूला | उज्ज्वल |
| 20. | श्री शरथ सिंह पटेल S/o शंकर सिंह बुढेवा | ग्राम : दिवावनी | शरथ सिंह पटेल |
| 21. | श्री भैरवराज S/o श्री वहापुर | ग्राम थरसूला | श्री भैरवराज |
| 22. | श्री हीराम S/o करण | ग्राम दिवावनी | हीराम |
| 23. | श्री तिलक राम S/o श्री-दादोसिंह | ग्राम नारोनी | तिलक राम |
| 24. | श्री लक्ष्मण सिंह S/o इन्दरसिंह | ग्राम नारोनी | लक्ष्मण सिंह |
| 25. | श्री कामल आरुवासी S/o श्री भीमा | ग्राम दिवावनी | कामल |

| | | | |
|----|---|---------------------|--|
| 26 | श्री प्रीति पि० श्री वेणक | ग्राम नारोनी |  |
| 27 | श्री दिनेश पाल S/o श्री हरीराम | ग्राम दिदावनी | दिनेश पाल |
| 28 | श्री राजशान भादव S/o श्री संजयसिंह | ग्राम दिदावनी | राजशान भादव |
| 29 | श्री धनश्याम पि० श्री जगन्नाथ | ग्राम दिदावनी | धनश्याम |
| 30 | श्री हरीशंकर पि० श्री शंकरदास | ग्राम नारोनी |  |
| 31 | श्री पवन S/o श्री धनपत | ग्राम मत्त हरीनी | पवन |
| 32 | श्री सुन्दरभाई भादव पि० श्री संजयसिंह भादव | ग्राम दिदावनी | सुन्दरभाई |
| 33 | श्री नेपासिंह पि० श्री संजयसिंह | ग्राम नारोनी | नेपासिंह |
| 34 | श्री-नेत्रपाल सिंह पि० श्री-भगवान सिंह | ग्राम नारोनी | नेत्रपाल सिंह |
| 35 | श्री-कपानसिंह भादव पि० श्री-डा. धर्म सिंह | ग्राम नारोनी | कपानसिंह |
| 36 | श्री राजेश सिंह पि० श्री सत्यनारायण सिंह | ग्राम नारोनी |  |
| 37 | श्री-धामर सिंह पि० श्री-हल्के | ग्राम दिदावनी |  |
| 38 | श्री-सुशीलका पि० श्री-रघुवर | ग्राम दिदावनी |  |
| 39 | श्री-जयदेव सिंह पि० श्री सुधम सिंह | ग्राम नारोनी |   |

(4)

| | | | |
|----|--|-----------------|-----------|
| 40 | श्री बालवीर सिंह S/o नारायण सिंह | ग्राम - गारोंगी | बालवीर |
| 41 | श्री सोनार सिंह S/o श्री जयराज सिंह | ग्राम दिदावनी | सोना सिंह |
| 42 | श्री मुंशी S/o श्री विपारज | ग्राम गारोंगी | मुंशी |
| 43 | श्री महेश S/o श्री हरजगद | ग्राम दिदावनी | |
| 44 | श्री लोटेराजा S/o श्री सरदार सिंह | ग्राम दिदावनी | |
| 45 | श्री कृष्णलाल S/o राजू | ग्राम दिदावनी | |
| 46 | श्री सोमराज S/o राजकुमार | ग्राम दिदावनी | सोमराज |
| 47 | श्री अरुण - लोहानु S/o श्री एनी - पति | ग्राम - लंदेरी | Arun |
| 48 | श्री रामेश्वर लोधी S/o श्री प्रभुलोधी | ग्राम भरसूला | |
| 49 | श्री वृणेश कुमार S/o लक्ष्मण लाल | ग्राम दिदावनी | वृणेश |
| 50 | श्री चंदन लाल S/o श्री - सुबल | ग्राम दिदावनी | चंदन |
| 51 | श्री अरविंद सिंह S/o श्री बालकृष्ण सिंह | ग्राम दिदावनी | अरविंद |
| 52 | श्री लक्ष्मण लोधी S/o श्री लक्ष्मण लोधी | ग्राम दिदावनी | लक्ष्मण |
| 53 | श्री सिमराम लोधी S/o श्री रामचरण लोधी | ग्राम दिदावनी | सिमराम |

| | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|----|-------------------------|-------------------|-------------|
| 51 | रविशंकर (नामके) | गा.क. भा.पे.के) | रविशंकर |
| 52 | मानसिंह नारोनी | ग्राम नारोनी | मानसिंह |
| 53 | नारोनी | क.म.प.ना.ज | |
| 54 | नवलचन्द्रादेवराज नारोनी | 9407219688 | प.प. नारोनी |
| 55 | वीरसिंह | नारोनी | वीरसिंह |
| 56 | प्रहाराज पादल | नारोनी | 9669461714 |
| 57 | वीरपालसिंह नारोनी | वीरपालसिंह नारोनी | |
| 58 | सुरेश | नारोनी | 9406508377 |
| 59 | सरमज जादव | नारोनी | 7772881901 |
| 60 | सुखदेवसिंह जादव | नारोनी | |
| 61 | वीरसिंह | नारोनी | |
| 62 | विजयसिंह | नारोनी | 7694889274 |
| 63 | जयपाल | नारोनी | 7746981653 |
| 64 | जयदेवजी | नारोनी | |

| | | | |
|----|---------------------|------------|---|
| 69 | विद्यालय वाइलड | पुस्तकालय | गामना रोली विद्यालय |
| 70 | वाइलड | | वाइलड वाइलड नदीन अविनायक डी.डी. डी.डी. डी.डी. |
| 71 | इमरत विपंड | कुंडान पुट | वाइलड |
| 72 | दुआवाली नदीनी | | 966 900 3142 |
| 73 | पुस्तकालय | | पुस्तकालय |
| 74 | वीरसो इ प्रियस | | वीरसो इ |
| 75 | वाल्ड डी.डी. निर्मा | | महिला नदी लक्ष्मीनगर 10. डी.डी. |
| 76 | वाइलड | | वाइलड |
| 77 | वाइलड | | वाइलड |
| 78 | दिवावनी | | दीवाना |
| 79 | दिवावनी | | करगारसिंह |
| 80 | दिवावनी | | दिवावनी |
| 81 | दिवावनी | | दिवावनी |
| 82 | दिवावनी | | दीवाना |
| 83 | दिवावनी | | दीवाना |

| | | |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 81 | बजे-प्रिये-कु-कुला विद्यावती | बजे-प्रिये-कु-कुला |
| 82 | देवी-मणि-पिह | दिमान-पिह |
| 83 | सिंदूर-मिह-विद्यावती | सिंदूर-मिह |
| 84 | पशु-मिह-विद्यावती | पशु-मिह-विद्यावती |
| 85 | जन्म-मिह-विद्यावती | |
| 86 | जन्म-मिह-विद्यावती | जन्म-मिह-विद्यावती |
| 87 | श्री-मिह-विद्यावती | श्री-मिह-विद्यावती |
| 88 | श्री-मिह-विद्यावती | श्री-मिह-विद्यावती |
| 89 | श्री-मिह-विद्यावती | श्री-मिह-विद्यावती |
| 90 | श्री-मिह-विद्यावती | श्री-मिह-विद्यावती |
| 91 | श्री-मिह-विद्यावती | श्री-मिह-विद्यावती |
| 92 | श्री-मिह-विद्यावती | |
| 93 | श्री-मिह-विद्यावती | |
| 94 | श्री-मिह-विद्यावती | |
| 95 | श्री-मिह-विद्यावती | श्री-मिह-विद्यावती |

| | | | |
|-----|----------------------------|------------|--|
| 96 | प्रकाश लोधी राजापुर | प्रकाश | |
| 97 | रामारेण्डु गुजि राजापुर | रामारेण्डु | |
| 98 | गुहावाहे राजापुर | गुहावाहे | |
| 99 | नेवराण्डु निरनवमा राजापुर | नेवराण्डु | |
| 100 | धारासिंह राजापुर | धारासिंह | |
| 101 | जयदेव सिंह लोधी राजापुर | जयदेवसिंह | |
| 102 | कारामसिंह राजापुर | कारामसिंह | |
| 103 | काशीराम राजापुर | काशीराम | |
| 104 | जगन्मान राजापुर | जगन्मान | |
| 105 | रामशैवक राजपुर | रामशैवक | |
| 106 | बल्लभ राजापुर | बल्लभ | |
| 107 | रमेश राजापुर | रमेश | |
| 108 | शैवक राजापुर | शैवक | |
| 109 | सुन्दर राजापुर | सुन्दर | |

केन-बेतवा लिंक परियोजना फेस- II के अंतर्गत लोअर उर बाँध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम-दिदावनी, तहसील-खनिर्यौधाना, जिला-शिवपुरी, दिनांक - 17.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय, गध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, जिला-गुना
आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

केन-बेतवा लिंक परियोजना फेरा- II के अंतर्गत लोअर उर बाँध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम-दिदावनी, तहसील-खनियाँधाना, जिला-शिवपुरी, दिनांक - 17.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, जिला-गुना
आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

ANNEXURES-II

**PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING
HELD IN DISTRICT ASHOKNAGAR I**



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, BHOPAL- 462 016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : (0755) 2462742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

No. 5882 /TS/MPPCB/2015

Date: 4-12-15

**The Secretary,
Govt. of India,
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
3rd Floor, Indira Paryawaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
NEW DELHI - 110 003.**

Sub: Proceedings of public hearing conducted as per provisions under EIA Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06 for the proposed Ken-Betwa Link Project, Phase-II at Shivpuri & Ashoknagar districts (M.P.) by NWDA.

Ref : TOR issued by MoEF&CC, Govt vide letter No. J-12011/31/2011-IA-I, dated: 27/08/13.

The M. P. Pollution Control Board has conducted public hearing on 18/09/15 at Govt. Middle School, village: Piprod, Block: Chanderi, dist. Ashoknagar (M.P.) as per the provisions of EIA Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06 for the proposed Ken-Betwa Link Project Phase-II at Shivpuri & Ashoknagar districts (M.P.) by M/s. National Water Development Agency (NWDA).

The hard and soft copy of the proceedings of public hearing along with objections and suggestions are enclosed herewith in original for necessary action.

Encls: As above

Encl. No. 5883 /TS/MPPCB/2015
Copy to:-

dated: 4-12-15

(A. A. Mishra)
Member Secretary

1. Dy. Secretary, Urban Development & Environment Department, Govt. of M.P., Mentralaya, Bhopal for information.
2. O/o Executive Engineer, (Inv. Div.) National Water Development Agency (NWDA) IIInd Floor, 12-SADA Bhawan, City Centre, Gwalior - 474 011 (M.P.) Please find enclosed herewith a copy of information alongwith the copy of public hearing documents for further submission to MoEF for Environmental Clearance as per Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06.
3. I.T. Section, M. P. Pollution Control Board, Bhopal along with the copy of Public Hearing document for display on website soft copy of document is enclosed.

(A. A. Mishra)
Member Secretary



Regional Office, Madhya Pradesh Pollution Control Board

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Tanker Parking Area, Rail Complex Vijaypur, Dist-Guna (M.P.) -473112, ☎ -07544-274098

Email- ro.mppcbguna26@gmail.com

क्रमांक 1005 डे.का/प्र.नि.बो./2015

प्रति,

सदस्य सचिव महोदय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल (म.प्र.)



विजयपुर, दिनांक 10.11.2015

विषय- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के अंतर्गत लोअर उर बांध परियोजना ग्राम-दिदावनी, जिला-शिवपुरी /अशोकनगर हेतु भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 18.09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही।

सन्दर्भ- 1. आपका पत्र क्रमांक 4728 दिनांक 12.08.2015

2. इस कार्या. का पत्र क्रमांक 696 दिनांक 14.08.2015, पत्र क्रमांक 607 दिनांक 14.08.2015, पत्र क्रमांक 621 दिनांक 14.08.2015.

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना ग्राम-दिदावनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर हेतु भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015, दिन-शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे से शासकीय माध्यमिक विद्यालय पिपराँद, विकासखण्ड-चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.) में सम्पन्न हुई।

लोक सुनवाई जिला अपर कलेक्टर, श्री दरा.करोबले की अध्यक्षता एवं पर्यवेक्षण में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री एच.एन.दीक्षित मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ, श्री ओपी.सिंह सुराणा, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, श्री एस.सी.अवरथी, अधीक्षण अभियंता ग्वालियर, श्री एस.आर.माहोर, अधिशासी अभियंता, ग्वालियर, श्री सी.पी.एस. सेंगर, अधिशासी अभियंता, झाँसी, श्री अफरोज आलम, डिप्टी डायरेक्टर, लखनऊ, श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार, चंदेरी तथा समीप के नागरिकगण सहित क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, गुना के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.सी.उच्चारिया उपस्थित थे।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नलिखित मूल संलग्नकों सहित संलग्न है-

1. जिला कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई हेतु नियात दिनांक, स्थल तथा स्थान। (01 पृष्ठ)
 2. समाचार पत्रों में प्रकाशन (हिन्दुरतान टाइम्स, नई दुनिया तथा पत्रिका) की प्रति। (04 पृष्ठ)
 3. ईआईए, अधिसूचना के अनुसार आवश्यक दरतावेज संबंधित कार्यालयों में रखे जाने की पावती। (02 पृष्ठ)
 4. कार्यवाही विवरण की प्रति। (03 पृष्ठ)
 5. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गए मुद्दे एवं उनका समाधान। (हिन्दी एवं अंग्रेजी) (पृष्ठ 15 + 17)
 6. उपस्थित अधिकारियों की सूची। (03)
 7. उपस्थित नागरिकगणों की सूची। (07)
 8. लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव/टीका टिप्पणी आदि मूलतः, (71 पृष्ठ)।
 9. कार्यवाही विवरण की वीडियो सी.डी.एवं फोटोग्राफ्स। (01 नग एव फोटो-10 पृष्ठ)
- संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(एन.पी.सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी,
विजयपुर, गुना

प्रति

अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
द्वितीय तल, 12-साइड भवन, सिटी सेंटर ग्वालियर

कार्यालय कलेक्टर जिला अशोकनगर (म.प्र.)

अशोकनगर, दिनांक

14-8-15



कमीश / एल.सी.2 / 2015 / 1695

राष्ट्रीय महाप्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिला गुना (म.प्र.)

विषय -

सर्वोच्च नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी की कोन-वेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-2 जिला अशोकनगर हेतु भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना ई.आई.ए नोटिफिकेशन क्रमांक एस.ओ. 1553 दिनांक 14.08.2015 के अनुसार लोक सुतबाई की कार्यवाही बायपास।

संदर्भ -

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्रमांक 008 क्षेत्र/एम.प्र./2015 जिलागुना, दिनांक 14.08.2015।

विषयवर्ती संबंधित पत्र का अवलोकन कर, जिसमें सर्वोच्च नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी की कोन-वेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-2 जिला अशोकनगर में लोक सुतबाई के लिये दिनांक 18.08.2015 स्थल-ग्राम पंचायत पिपरौद, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) में उपस्थित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रभारी कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

U. M. Bhasin
The Director
UPIC, BPP, C-1
Sector 14, Gurgaon
Haryana, India
Phone: 0122-4151111
Fax: 0122-4151112
E-mail: upic@bpp.com

Notable and growing in
annual production has been
the rise of the domestic
market. In fact, the
growth of the domestic
market has been the
main reason for the
growth and demand for
the domestic market. The
growth of the domestic
market has been the
main reason for the
growth and demand for
the domestic market.

and the growth of the
domestic market has been
the main reason for the
growth and demand for
the domestic market. The
growth of the domestic
market has been the
main reason for the
growth and demand for
the domestic market.

Employment News dated 19-25 July 2014 may be
treated as cancelled due to administrative reasons.
Director U.C. NIB

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI 110 508
Admission Notice No. 10/2015

POST DOCTORAL COURSES - JANUARY 2016 SESSION

For Medical Sciences by the following applications for Entrance Examinations:
M.D. in Postgraduate (MD/MS/M.Ch.) (3 years/MD) and Post-Doctoral
(Hospital Administration/PHD) Courses Programme for January 2016

| Online Registration for applications | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| | Opens on | Closes on |
| 3 years/MD/MS | 25.08.2015 | 17.09.2015 at 5.00 PM |
| Hospital Administration/PHD | 1.09.2015 | 05.10.2015 at 5.00 PM |

| Date of Entrance Examination | | |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| | Date of Exams | Time of Exams |
| 3 years/MD/MS | 01.12.2015 | 09.00 AM to 01.00 PM |
| | 02.12.2015 | 09.00 AM to 11.30 AM |
| Hospital Administration/PHD | 01.12.2015 | 09.00 AM to 04.30 PM |
| | 02.12.2015 | 09.00 AM to 11.30 AM |

For Postgraduate details information etc. please visit the website
www.aicms.ac.in. All applicants are required to visit the website regularly since all
important admission updates will be included in the website only.
Date: 15/08/2015
ASSISTANT CONTROLLER (EXAMS)

H.T. Bhatnagar, 13/8/2015

JHARKHAND SPACE APPLICATIONS CENTER
Department of Information Technology, Govt. of Jharkhand
2nd Floor, Engineers Hostel, Dhanbad, Jharkhand-826004
Tel: 0651-240171/18 Fax: 0651-2401720

Advertisement No. JSAC/2015/7/05 Date: 13.08.2015
Recruitment Notice

Jharkhand Space Applications Centre, Govt. of Jharkhand
is conducting from the eligible candidates for recruitment of
permanent staff in the post of Junior Research Fellow (JRF)
(General) Terms & Conditions of engagement and other
qualifications and experience for the recruitment is attached
in the details to be viewed and downloaded from the website
<http://jsac.jharkhand.gov.in> or www.jharkhand.gov.in
(E-mail: jsac@jharkhand.gov.in)

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
राष्ट्रिय लोक सेवा आयोग
संविदात सेवा विज्ञापन

संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

राजीव गान्धी ज्य.
रा.ग. प्रदत्तन निराकरण बोर्ड
देशीय संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

राजीव गान्धी ज्य.
रा.ग. प्रदत्तन निराकरण बोर्ड
देशीय संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

संविदात सेवा विज्ञापन संख्या: 17/08/2015/10/2015

जिला

हारी परेशानी

अधिकांश प्रभावित



ऑटो चालकों ने मनाया आजादी पर्व

मुना (बुरो)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नवदुनिया के लोग ने ऑटो चालकों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में ऑटो चालकों ने आजादी पर्व मनाया। कार्यक्रम में ऑटो चालकों ने आजादी पर्व मनाया।

जेन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप ने किया पौधारोपण

मुना (बुरो)। जेन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप ने नवदुनिया के अंगणवाड़ी में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में जेन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप ने पौधारोपण किया।

जुआ फंड खेलते तीन को पकड़ा, पांच मौके से भागे

आपदा (निमु)। जेन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप ने नवदुनिया के अंगणवाड़ी में पौधारोपण किया।

आपदा (निमु)। जेन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप ने नवदुनिया के अंगणवाड़ी में पौधारोपण किया।

सूचना
 राजा मारवाड़ी जी एडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है।
 संपादक (निमु)। जेन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप ने नवदुनिया के अंगणवाड़ी में पौधारोपण किया।

संज्ञोहन
 नवदुनिया के लोग ने ऑटो चालकों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

बताई जा रही व्यवस्था
 नवदुनिया के लोग ने ऑटो चालकों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया।



काम कराया जाएगा
 नवदुनिया के लोग ने ऑटो चालकों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बीनागंज, जिला-गुणा (अ.प्र.)

दूरभाष- 9261005218, 9261005219, 9261005220
 फोन- 9261005218, 9261005219, 9261005220
 आसपास, बीनागंज 20, पिन- 201105

// द्वितीय चारन नीलामी सूचना //

बीनागंज समिति बीनागंज की अध्यक्षता में नवदुनिया के लोग ने ऑटो चालकों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

| क्र. | वाहन का प्रकार | भांडन | आधार संख्या | अन्य महत्वपूर्ण सूचना |
|------|----------------|-------|-------------------|-----------------------|
| 1 | गाड़ी | 2501 | 5013-02 दिल्ली | हालात में अच्छी |
| 2 | गाड़ी | 2501 | 03-29-2015 दिल्ली | अच्छी स्थिति में |

नीलामी की शर्तें :-
 1. वाहन का मालिकाना हक बीनागंज समिति के पास होना चाहिए।
 2. वाहन का मालिकाना हक बीनागंज समिति के पास होना चाहिए।
 3. वाहन का मालिकाना हक बीनागंज समिति के पास होना चाहिए।

अध्यक्ष
 कृषि उपज मंडी समिति, बीनागंज
 बीनागंज (अ.प्र.)

BCA 5000
PGDCA 10000
NCA 10000
MSB 10000
 नवदुनिया के लोग ने ऑटो चालकों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टेकर मार्किंग एरिया गैज कामलक्ष विजयपुर, गुना दूरभाष-07544274098

ई-मेल 10.mpacbguna26@gmail.com

मेसर्स नेशनल वॉटर सेन्ट्रलमेंट एजेंसी की कॅम्प-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फ़ेस-2, जिला-अशोकनगर की प्रस्तावित लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015 से संबंधित महत्वपूर्ण डाक की पावती

| क्र० | पत्र क्रमांक | दिनांक | संबंधित अधिकारी/कार्यालय का नाम | प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर |
|------|--------------|---------|--|--|
| 1. | 620 | 14/8/15 | जिला कलेक्टर, कार्यालय अशोकनगर | प्र.अ. पं.गडा जिला अशोकनगर 17-8-15 |
| 2. | 618 | 14/8/15 | महाप्रबन्धक, जिला सद्योग एवं व्यापार कॅम्प, जिला-अशोकनगर। | जिला अशोकनगर |
| 4. | 616 | 14/8/15 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत, अशोकनगर। | जिला अशोकनगर 14/8/15 |
| 5. | 618 | 14/8/15 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन्मपट्ट पंचायत, चंदेरी, जिला-अशोकनगर। | जिला अशोकनगर 14/8/15 |
| 6. | | | क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भोपाल। | |



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अशोकनगर पंचायत चंदेरी।



क्षेत्रीय कार्यालय, नरम प्रसूधन दिव्यवण बोर्ड

डॉक्टर राकेश ऐरिया गैल कालेडर विजयपुर, पुन प्रमाण 27544274322

2 31 2015

विजयपुर, दिनांक 14.08.2015

क्रमांक 616
619

श्री का/प्र.नि.बो/2015

- 1. नरम प्रसूधन दिव्यवण बोर्ड का कार्यवाही शुरू करने के लिए।
- 2. नरम प्रसूधन दिव्यवण बोर्ड का कार्यवाही शुरू करने के लिए।
- 3. मुख्य प्रशासक अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही शुरू करने के लिए।
- 4. क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत

विषय- मेसर्स मेसनल वीटर इंस्ट्रुमेंट एजेंसी की केंद्र-वेतवा लिंक प्रोजेक्ट फंडा 2, जिला-अशोकनगर जेड, भारत सरकार की पर्यावरण प्रशासक अधिकारीना ई.आर.डी. नोटिफिकेशन क्रमांक एस.प्र. 1553 दिनांक 14.08.2015 के अनुसार लोपा सुधार की कार्यवाही के लिए।

प्रार्थना- कालेडर दिनांक-अशोकनगर के अनुसार क्रमांक नंबर दिनांक 14.08.2015

विषयगत- लोपा है कि मेसर्स मेसनल वीटर इंस्ट्रुमेंट एजेंसी की केंद्र-वेतवा लिंक प्रोजेक्ट फंडा 2, जिला-अशोकनगर जेड, भारत सरकार की पर्यावरण प्रशासक अधिकारीना ई.आर.डी. नोटिफिकेशन क्रमांक एस.प्र. 1553 दिनांक 14.08.2015 के अनुसार लोपा सुधार की कार्यवाही शुरू करने के लिए।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग की अधीनस्थ अशोकनगर जेड, भारत सरकार की पर्यावरण प्रशासक अधिकारीना ई.आर.डी. नोटिफिकेशन क्रमांक एस.प्र. 1553 दिनांक 14.08.2015 के अनुसार लोपा सुधार की कार्यवाही शुरू करने के लिए।

क्रमांक 621 श्री का/प्र.नि.बो/2015
प्रतिशोधित

कालेडर दिनांक-अशोकनगर के अनुसार क्रमांक नंबर दिनांक 14.08.2015 के अनुसार लोपा सुधार की कार्यवाही शुरू करने के लिए।

O/C
क्षेत्रीय अधिकारी
विजयपुर, दिनांक 14.08.2015

Handwritten signature and stamp: **Handwritten Signature**
क्षेत्रीय कार्यालय / OFFICE
पर्यावरण प्रशासक / Environment & Forest Officer
विजयपुर, भारत / Vijayapur, India
पता / Address: (विजयपुर)
फोन नंबर / Phone No: 4622175

क्षेत्रीय अधिकारी
विजयपुर, भारत

विषय:-कैन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना भाग
 दिस्वनी, जिला-सिबपुरी/अशोकनगर बागव राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, (जल संसाधन नदी
 विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु
 परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आयोजित लोक सुनवाई दिनांक
 18.09.2015 का कार्यवाही विवरण -

1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 (ई) दिनांक 14.09.2008 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015, दिन-शुक्रवार को शास. माध्यमिक विद्यालय मिरौद, विकासखण्ड - चन्देरी, जिला-अशोक नगर (म.प्र.) में सम्पन्न की गई। लोक सुनवाई जिला अपर कलेक्टर श्री एस.के. सेबले की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री पी.सी.उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी, विजयपुर जिला-गुना श्री आर.के. रोहिताश, कार्यपालन यंत्री सहित बोर्ड के अन्य अधिकारी उनके सहायक के रूप में उपस्थित थे।
2. पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना दिनांक 14.09.2008 के प्रावधानों के अनुसार लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015 के संबंध में आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र "भन्निका", "नई दुनिया" तथा "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिनांक 18.08.2015 को कराया गया था। प्रस्तावित परियोजना के संबंध में पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट, कार्यपालक सार (हिन्दी एवं अंग्रेजी) इस कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय कलेक्टर अशोकनगर, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अशोकनगर, कार्यालय जिला पंचायत अशोकनगर, कार्यालय जनप्रद पंचायत चंदेरी, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड-७ मोपाल, तथा मुख्यालय MOPU प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-5 अरेरा कालोनी मोपाल में जनसामान्य के उपलोकन हेतु निम्नानुसार एक माह पूर्व रखता दी गई थी।
3. दिनांक 18.09.2015 को लोक सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री एच.एन. दीक्षित मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ, श्री ओ.पी.सिंह कुशवाह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, श्री एस. सी.अवस्थी, अधीक्षण अभियंता ग्वालियर, श्री एस.आर.माहोर, अधिशासी अभियंता, ग्वालियर, श्री सी.पी.एस. सेंगर, अधिशासी अभियंता, झाँसी, श्री अफरोज आलम, डिप्टी डायरेक्टर, लखनऊ, श्री अमर श्री नायक, अधिशासी अभियंता, श्री संजय कुमार सिंघल, सहायक अधिशासी अभियंता, श्री सुरेश बाबू मिश्रा, सहायक अभियंता, इसी प्रकार वाफकोस से श्री एस.एन.दीक्षित, जय मुख्य अभियंता, श्री अभित शर्मा, अभियंता, श्री पी.डी.कोरी, कार्यपालन यंत्री, ज.सं.वि., खनियौथाना, श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार, चंदेरी तथा स्थानीय नागरिकगण उपस्थित हुए जिनका उपस्थिति पत्रक संलग्न है। लोक सुनवाई में 71 आमजनो ने दावे/ आपत्ति/सुझाव दिये।
4. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री ओ.पी.सिंह कुशवाह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली द्वारा श्री एस.के.सेबले, अपर कलेक्टर, अशोकनगर, श्री एस.आर.माहोर, अधिशासी अभियंता द्वारा श्री पी.सी. उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री एस.के.सिंघल, सहायक अधिशासी अभियंता द्वारा श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार, चंदेरी का स्वागत किया गया। इसी तारतम्य में आयोजक म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री आर.के.रोहिताश, कार्यपालन यंत्री द्वारा मंच का संचालन करते हुए उपस्थित नागरिकों का स्वागत किया गया। उत्पश्चात् बोर्ड के श्री पी.सी.उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की अधिसूचना दिनांक 14.09.2008 के अनुसार उपस्थित जनसामान्य को लोक सुनवाई के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। श्री एस.के.सेबले, अपर जिला कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा उपस्थित नागरिकों को प्रस्तावित परियोजना से आसपास के क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा रोजगार विकास संबंधी जानकारी का परिचय देकर लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

7-11-15

6. प्रस्तावित लोअर उर बांध (डैम) परियोजना के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों/ग्रामवासियों से परियोजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, सुझाव, आपत्ति, टीका टिप्पणी लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया तथा लिखित प्रश्नों को आमंत्रित करने हेतु 'सुझाव/विचार/आपत्ति/टीका-टिप्पणी प्रपत्र' नागरिकों में वितरित कराया गया जिसके फलस्वरूप 71 सुझाव/आपत्ति/विचार प्राप्त हुए जो मूलतः संलग्न हैं। नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से भी प्रमुख रूप से जमीन अधिग्रहण संबंधित जानकारी पूछी गई, जिन पर श्री एस.के.सेबले, अपर कलेक्टर, अशोकनगर तथा श्री ओ.पी.सिंह कुशवाह, अधीक्षण अभियंता, एन.डब्ल्यू.डी.ए., नई दिल्ली द्वारा नागरिकों की जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्या/जिज्ञासा का समाधान किया गया। प्राप्त लिखित आवेदनों के संबंध में अभिकथन (स्टेटमेंट) तथा आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना ग्राम बिन्दुवनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर के अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में लिपिबद्ध किया गया। उक्त स्टेटमेंट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मूलतः संलग्न है। तदनुसार उपस्थित लोगों के द्वारा प्रस्तुत सुझाव/आपत्ति/विचार/टीका-टिप्पणी के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

- परियोजना में आसपास के ग्रामवासियों की कृषि भूमि तथा गहनों का उचित मुआवजा देने की मांग प्रमुख रूप से की गई है।
- परियोजना प्रारम्भ होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग मुख्य रूप से की गई।

7. केन-बेतवा लिंक परियोजना, फेज-11 के अंतर्गत लोअर उर बांध परियोजना की लोक सुनवाई की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई जिसके छायाचित्र एवं वीडियो सी.डी. मूलतः संलग्न हैं। सभी बिन्दुओं पर लोक सुनवाई के सारांश से नागरिकों को अवगत कराया गया है। परियोजना से गांववालों की अधिग्रहित भूमि, कुओं, मकानों के मुआवजों को और अधिक दिये जाने हेतु प्रभावित लोगों द्वारा मांग की गई है तथा गांववालों द्वारा स्थानीय नागरिकों को इस परियोजना में रोजगार की मांग की गई है। परियोजना से गांव वालों द्वारा भविष्य में लाभ एवं विकास की आशा व्यक्त की गई है। तदनुसार लोक सुनवाई के संबंध में जनसामान्य की आशकाओं का समाधान होने पर अपर कलेक्टर, श्री एस.के.सेबले, ने कहा कि प्रभावितों को जमीन का मुआवजा परियोजना प्रारम्भ के समय निर्धारित दर अनुसार दिये जाने की बात कही गई। तत्पश्चात् श्री पी.सी.उच्चारिया क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थानीय नागरिकों को धन्यवाद देते हुए प्राप्त सभी मौखिक एवं लिखित सुझावों, टीका टिप्पणियों, आपत्तियों को मूलतः अग्रहित करने कावत आश्वस्त किया गया। लोक सुनवाई की कार्यवाही से प्राप्त निष्कर्ष के मुख्य बिन्दुओं को नागरिकों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित नागरिकों से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण होने की घोषणा की गई। समस्त जनसामान्य नागरिकों को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं अपने विचारों को निर्भीक रूप से रखने के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया तथा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई। म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री आर.के.सोहतास, कार्यपालन यंत्रों द्वारा प्रसारण, लोअर उर बांध परियोजना के अधिकारियों सहित जनसामान्य का आभार व्यक्त किया गया।

(पी.सी.उच्चारिया)
क्षेत्रीय अधिकारी,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, गुना

(एस.के.सेबले)

अपर कलेक्टर एवं

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अशोकनगर

(ओ.पी.एस.कुशवाह)
Superintending Engineer

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
National Water Development Agency
205 पॉल्क शेवन / 205 Polk Shevan

नया दिल्ली / R. K. Shuman, New Delhi-65

5. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की कॉम-वेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध ग्राम दिदावनी, जिला शिवपुरी/अशोकनगर परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के श्री ओ.पी.सिंह कुशावाह अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, बाणकोस के श्री एस.एम. दीक्षित, उप मुख्य अभियंता द्वारा दी गई, जो निम्नानुसार है :-
- प्रस्तावित बांध स्थल म.प्र.के शिवपुरी और अशोकनगर जिले की सीमा पर स्थित तहसील-खनिगौधाना में ग्राम-दिदावनी के पास उर नदी पर स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिवपुरी/दत्तिया जिलों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को सिंचाई तथा घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करना है।
 - प्रस्तावित परियोजना में कुल 2218 मीटर लम्बा व 45 मीटर ऊंचा संयोजित बांध बनाया जाएगा। नदी के बांधे किनारे पर 91.26 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर प्रस्तावित है। लोअर उर बांध का एफ.आर.एल. 380 मीटर रखा गया है। एफ.आर.एल. पर जलस्तरावन क्षेत्र 2723.70 हैक्टेयर है। परियोजना से शिवपुरी/दत्तिया जिलों में 329.67 एम.सी.एम पानी का प्रयोग करते हुए 150 प्रतिशत सिंचाई क्षमता की अधिकता सहित 67,570 हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त नहर के आसपास में पड़ने वाले गांवों और शहरों में पीने की पानी की 6 एम.सी.एम पानी की आपूर्ति की जाएगी जिससे लगभग 1.65 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
 - प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 3730 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। जल स्तरावन क्षेत्र और नहर नेटवर्क के अंतर्गत आने वाली कुल भूमि कम्पस: 2723.70 और 1056 हैक्टेयर है। परियोजना के लिए लगभग 1038.243 हैक्टेयर वन भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा।
 - भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन व पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा व पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधान का ध्यान में रखा जाएगा तथा परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्स्थापन योजना की तैयारी हेतु श्रेष्ठ विकल्पों की सिफारिश की गई है।
 - सभी परियोजना प्रभावितों को जो विस्थापित होंगे उन्हें 150000.00 प्रति परिवार की दर से आवास निर्माण सहायता दी जाएगी।
 - पशु गृह के निर्माण हेतु 25000 रु न्यूनतम या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार उपयुक्त एक बार की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - प्रत्येक विस्थापित परिवार को परिवार शिफ्ट करने, भवन सामग्री, सामान तथा मशुओं हेतु 50000.00 रु. की एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - भूमि खोने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को कार्य की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु 3000.00 रु प्रतिमाह के समतुल्य मासिक जीविका भत्ता दिया जाएगा।
 - अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनु.जा. व अनु.जन.जाति को जीविका भत्ते के अतिरिक्त 50000.00 रु के समतुल्य राशि प्राप्त होगी।
 - प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 50000.00 रु का पुनर्वास भत्ता दिया जाएगा।
 - पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन हेतु 23891.522 लाख रु का कुल बजट रखा गया है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-2 के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना क्रम दिदावनी, जिला-सिवपुरी/अशोकनगर हेतु "शासकीय माध्यमिक विद्यालय पिपरीद, विकासखण्ड-चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)" में दिनांक 18.09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों का विवरण एवं निराकरण।

| क्र.स. | आवेदक का नाम | आपत्ति एवं सुझाव | निराकरण |
|--------|---|--|--|
| 1 | श्री जाहर सिंह परिहार पुत्र श्री तोरनसिंह परिहार ग्राम-लिधौरा चंदेरी जिला-अशोकनगर 07697031953 | हमारे परिवार का एक सदस्य नौकरी में लिया जाये। हमारे परिवार को रहने के लिए जमीन दी जाये। मुआवजा 10 लाख बीघा की दर से तथा पक्के एवं कच्चे मकानों/झुगियों का वर्गफूट के हिसाब से बाजार रेट से मुआवजा दिया जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा भूमि के मूल्य का निर्णय लिया जाएगा। |
| 2 | श्री बलवान आदिवासी पुत्र श्री लघम सिंह आदिवासी ग्राम-लिधौरा, अशोकनगर जिला- | हमारे लिए रु 10 लाख प्रति बीघा मुआवजा चाहिये। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। कृषि के कार्य नि:शुल्क किए जाये। रहने के लिए प्लॉट दिया जाये तथा मुआवजा सीधे बैंक खाते में जाला जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविक योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित परिवारों को बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 3 | श्री जगरथसिंह, रामदीन पुत्र श्री ग्यारसा आदिवासी ग्राम-डांग बैरसिया, जिला-अशोकनगर | अम, अमरुद, नींबू तथा सीताफल इत्यादि पेड़ों के लिए मुआवजा का प्रावधान किया जाये। | सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 4 | श्री चंद्रनान सिंह राजपूत पुत्र श्री पीतम सिंह राजपूत ग्राम ब्यावदा, जिला-अशोकनगर, 9407200102 | खूब क्षेत्र की जमीन के बदले जमाने, मकानों के बदले मकान दिए जाये। जिन लोगों को मुआवजा देना है उन्हें एक साल पहले मुआवजा दिया जाये ताकि वे अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें। पेड़-पौधों का मुआवजा भी दिया जाये। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 5 | श्री परमाल सिंह राजपूत, | बाजार से ज्यादा मुआवजा | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | पुत्र श्री रघुवीर सिंह राजपूत चंदेरी जिल- अशोकनगर | परियोजना के तहत दिया जाये। प्रकटे मकान बनाये जाये। परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा पेड़-पौधों का मुआवजा भी दिया जाये। | पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा भूमि के मूल्य का निर्णय लिया जाएगा। परिवोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 6 | श्री ओमपाल सिंह केवट पुत्र श्री नथूलाल केवट, ग्राम-पिपरीद, जिला- अशोकनगर, 8989242594 | निवेदन है कि मुझे बाध बनने में कोई आपत्ति नहीं है और हम गाँव वालों को नौकरी दी जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 7 | श्री इंदरसिंह गुर्जर पुत्र श्री जवर सिंह गुर्जर ग्राम रक्तेरा, तह.चंदेरी, जिला- अशोकनगर | मेरा मूल कार्य कृषि है अतः अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाये तथा मेरे बच्चों को नौकरी दी जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। परिवोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 8 | श्री जानकी पुत्र श्री गम्भीरा, ग्राम-रखेरा, जिला- अशोकनगर | मेरी जमीन डूब क्षेत्र में है। कृपया मुझे जमीन के बदले जमीन तथा पेड़ पौधों का मुआवजा दिया जाये। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। सरकारी नीतियों के अनुसार वृक्षों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। |
| 9 | श्री शरीफ खॉ पुत्र श्री अकबर खॉ ग्राम-रखेरा, जिला- अशोकनगर | ग्राम-रक्तेरा का रहने वाला हूँ, मेरी जमीन में जितने पेड़ लगे हैं उनका रिकॉर्ड करगजों पर लिया जाये। | मुआवजा देने के लिए सभी विद्यमान वृक्षों के रिकार्ड को ध्यान में रखा जाएगा। सरकारी नीतियों के अनुसार वृक्षों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। |
| 10 | श्री लाजीराम पुत्र श्री भगवान लाल, ग्राम-ख्यावदा, जिला- अशोकनगर | मेरी जमीन बांध के डूब क्षेत्र में है। मेरी जमीन का उचित मुआवजा तथा प्रकटे मकान मिलना चाहिये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 11 | श्री विश्वनाथ सिंह सोलंकी | 15 लाख रु मुआवजा दिया | परियोजना प्रभावित परिवारों को |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | पुत्र श्री जोगल सिंह सोलंकी ग्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला- अशोकनगर | जाये। नौकरी दी जाये। मकान के बदले मकान दिया जाये। जो जमीन खरीदे उसकी रजिस्ट्री खर्च न लिया जाये। हमारे पशुओं का भी मुआवजा दिया जाये। विस्थापित किए जाने पर सागान लाने ले जाने हेतु पूरी व्यवस्था किया जाये। | पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 12 | श्री परमल सिंह राजपूत पुत्र श्री जसरथ सिंह राजपूत ग्राम-ख्यावदा, जिला- तहसील-चंदेरी, अशोकनगर | निवेदन है कि मैं अपने ग्राम-ख्यावदा में कृषि का कार्य करता हूँ और 10 बीघा जमीन है उसी पर कब्जा है, प्रदूत नहीं हुआ है। कृपया जमीन एवं नौकरी दी जाये। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की पात्रता की पुष्टि की जाएगी। परियोजना प्रभावित परिवारों की पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 13 | श्री इंदर सिंह अशोकनगर | निवेदन है कि मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। मेरा मूल कार्य कृषि है। अतः अधिक से अधिक मुआवजा तथा मेरे बच्चों को नौकरी दी जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |
| 14 | श्री कप्तान सिंह, ग्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला- अशोकनगर | मेरी जमीन दुबकोट में है। कृपया जितनी जमीन जाएगी उतनी ही जमीन देने का कष्ट करें। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। |
| 15 | श्री जबपाल सिंह राजपूत पुत्र श्री बलवीर सिंह राजपूत ग्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला- अशोकनगर, 9406952452 | निवेदन है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। 10 लाख एकड़ के हिस्से से मुआवजा दिया जाये जिससे कि हमारे परिवार न उखड़े और हम घर बसा सकें। साथ ही सब सुविधाये दी जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। |
| 16 | श्री मोहनलाल पुत्र श्री कमल | जमीन के बदले उतनी ही | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | अशोकनगर | जमीन दी जाये। पेड़ों का उचित मुआवजा दिया जाये। | उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 17 | श्री पम्पू लोधी पुत्र श्री नरायण सिंह ग्राम नयाखेड़ा, तहसील-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | हमारे पास पानी होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई आगति नहीं है। | हम सभी आपकी टिप्पणी/विचारों का स्वागत करते हैं। |
| 18 | श्री सयाम सिंह पुत्र श्री मौजीलाल ग्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | जमीन का मुआवजा कितना मिलेगा? क्या जमीन के बदले जमीन मिलेगी? मकान के लिए जमीन मिलेगी? बच्चों के स्कूल की क्या व्यवस्था होगी? | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। |
| 19 | श्री सरुपा पुत्र श्री कुंजा ग्राम-बिठला, जिला-अशोकनगर | गैरा गॉव डूब क्षेत्र में आ रहा है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। 10 लाख एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाये। मेरी पूरी जमीन सिंचित है। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमे व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 20 | श्री होरल पुत्र श्री रगना, ग्राम-बरसिया, तह-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | बांध बनने पर हमारी जमीन जाएगी। जमीन का मुआवजा कितना मिलेगा। बांध बनना बाहिये परंतु मुआवजा अच्छा मिलना बाहिये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 21 | श्री कल्याण पुत्र श्री खुमना ग्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | जमीन के बदले जमीन दी जाये। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय नियमानुसार लिया जाएगा। |
| 22 | श्री दशरथ पुत्र श्री ईश्वर सिंह ग्राम-कूपगढ़, जिला-अशोकनगर | मेरे गांव की जमीन डूब में आ रही है। बिना खेती एवं जमीन गांव में रहकर क्या करेंगे? इसलिए बांध न बनाये जाये। यदि बांध बनता है तो इरी गुणवत्ता की जमीन बदले में गांव के पास ही दी जाये। प्रत्येक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाये। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 23 | श्री नाथूराम अहिरवार पुत्र श्री मंगेराम अहिरवार, ग्राम-लिधौरा, जिला-अशोकनगर, 8989143360 | हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमारे लिए 10 लाख रु बीघा मुआवजा चाहिये। हमारे लिए नौकरी दी जाये। रहने के लिए जगह दी जाये। हमारे जे काम कृषि के रुके हैं, जैसे कुआँ, पेड़ पीधे रिकॉर्ड में निशुल्क बढ़ाये जाये। मुआवजा सीधे बैंक खाते में जला जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों का मुआवजा दिया जाएगा। निर्धारित मुआवजे की राशि प्रभावित व्यक्ति के सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। |
| 24 | श्री हनुमता सिंह गुर्जर पुत्र श्री दयाराम गुर्जर ग्राम-रखतौरा, जिला-अशोकनगर | पेड़ पीधों का मुआवजा दिया जाये। | सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 25 | श्री उदतसिंह गुर्जर पुत्र श्री जालराम ग्राम-रखतौरा, तह. -चंदेरी, जिला-अशोकनगर | निवेदन करता हूँ कि आप हमें 50 प्रतिशत मुआवजा देने की स्वीकृति देने की कृपा करें। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। कुंआँ क्षेत्र की जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 26 | श्री शिशुपाल सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह राजपूत, ग्राम-बीठला, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर | निवेदन है कि हमारी जमीन, पूरा गाँव दृष्टिकोण में जो रखा है। अतः जमीन, घर तथा पेड़ पीधों का उचित मुआवजा दिया जाये। | सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों, कुआँ का मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 27 | श्री कृपाल सिंह राजपूत पुत्र श्री राजाराम सिंह अशोकनगर | जमीन, कुआँ और मकान का सही मुआवजा दिया जाये और हमारी जमीन पर कुआँ दर्ज नहीं किया गया है उसे खसरा खतौनी में दर्ज किया जाये। | सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों, कुआँ का मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 28 | श्री आनंद सिंह पुत्र श्री भारत सिंह ग्राम-बीठला, जिला-अशोकनगर | हमारा गाँव डूबक्षेत्र में आ रहा है। अतः प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। जमीन के बदले जमीन दी जाये अथवा 10 लाख का मुआवजा दिया जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमे व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 29 | श्री कोमल पुत्र स्व.श्री सिरयार ग्राम-रक्तेर, जिला-अशोकनगर | हमारा गाँव डूबक्षेत्र में आ रहा है। अतः प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। जमीन के बदले जमीन दी जाये अथवा 5 लाख बीघा की दर से मुआवजा दिया जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 30 | श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह ग्राम-रक्तेर, जिला-अशोकनगर | हमारा गाँव डूबक्षेत्र में आ रहा है जिससे मेरा व अन्य लोगों की जीविका प्रभावित हो रही है। अतः प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। जमीन के बदले जमीन दी जाये अथवा 6 लाख बीघा की दर से मुआवजा दिया जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 31 | श्री कृपाल सिंह अहिरवार, पुत्र श्री हरीराम अहिरवार ग्राम-लिधौरा, जिला-अशोकनगर | हमारे लिए 10 लाख रु बीघा मुआवजा चाहिये। हमारे लिए नौकरी दी जाये। रहने के लिए प्लॉट दिया जाये। हमारे जो कम कृषि के रुके है, जैसे कुआँ, पेड़ पीछे रिकॉर्ड में निशुल्क बढ़ाये | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | जाये। मुआवजा सीधे बैंक खाते में डाला जाये। | अधिसूचना, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 32 | श्री इनरत सिंह पुत्र श्री भगुनलाल गुर्जर ग्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | हम लोगों के पास 10 बीसवा जमीन है। उस 05 भाई है। निवेदन है कि हमें आप जमीन देने की कृपा करें। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। |
| 33 | श्री चंद्रमान सिंह लोधी पुत्र श्री गोकुल सिंह लोधी ग्राम-लिधौर, जिला-अशोकनगर, 9406578690 | हमारे लिए 10 लाख रु बीघा मुआवजा चाहिए। हमारे लिए नौकरी दी जाये। रहने के लिए प्लॉट दिया जाये। हमारे जो काम कृषि के रुके हैं, जैसे कुर्जी, पेंड पीघे रिकॉर्ड में निशुल्क चढ़ाये जाये। मुआवजा एक किस्त में सीधे बैंक खाते में डाला जाये। | भूमि अधिसूचना, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्राक्कान जीविका योजना में दिया गया है। सरकारी नीति के अनुसार वृद्धों का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 34 | श्री जशरथ सिंह आदिवासी पुत्र श्री ग्यास्सा आदिवासी ग्राम वैरसिया, जिला-अशोकनगर | जमीन के बदले जमीन तथा मकान दिया जाये या 10 लाख का मुआवजा दिया जाये। राईटी लेवल की जमीन नहीं ले सकते अतएव मुआवजा सीटी लेवल का देने की कृपा करें। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि लागत/मुआवजे का निर्णय लिया जाएगा। |
| 35 | श्री बानू सिंह पुत्र स्व.श्री देवी सिंह ग्राम-रक्तेरा जिला-अशोकनगर | मेरे गांव की जमीन डूब में आ रही है, जिसमें मेरी जमीन भी है। अतः प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। 20 लाख बीघा की दर से मुआवजा दिया जाये। मुआवजे की राशि बैंक खाते में जमा की जावे। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्राक्कान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिसूचना, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 36 | श्री वीर सिंह गुर्जर पुत्र श्री लालाराम गुर्जर ग्राम-भाण्डरी, तहसील-बंदेरी, जिला-अशोकनगर | मेरे परिवार में 15 सदस्य हैं। मेरा कोई भी व्यवसाय नहीं है। मेरा कार्य कृषि है। जमीन डूब क्षेत्र में आने से मेरे परिवार बर्बाद हो जाएगा। अतएव निवेदन है कि अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 37 | श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह, ग्राम-लिधौरा, जिला-अशोकनगर | मेरे गाँव की जमीन पूर्णतः डूब क्षेत्र में आ रही है। दूसरी जगह कहीं भी जमीन नहीं मिल रही है। अतः मेरी जमीन जिस गुणवत्ता की है उसी गुणवत्ता की जमीन तथा उसी ही जमीन मुझे तथा गाँव के प्रत्येक परिवार को दी जावे। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 38 | श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री महाराजसिंह गुर्जर, ग्राम-कुपगढ़ जिला-अशोकनगर | निवेदन है कि मेरे ग्राम में सर्वे हुआ था। ऐसा न हो कि शासन से लाभ भी न मिले और जमीन भी डूब जाये। | 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा कि आपकी जमीन भी चली जाए और शासन से लाभ भी न मिले। |
| 39 | श्री नारायण सिंह पुत्र श्री घन्नालाल अशोकनगर, 9691502631 | इस बांध परियोजना से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बांध में मेरी 30 बीघा जमीन डूब में आ रही है। | आपको बांध के बनने से कोई आपत्ति नहीं है। यह टिप्पणी सराहनीय है। |
| 40 | श्री महेश कुमार अहिरवार पुत्र श्री नाथूराम अहिरवार, ग्राम-लिधौरा, जिला-अशोकनगर | हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे लिए सिटी लेबल के हिसाब से मुआवजा दिये जाये। और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। रहने के लिए जगह दी जाये। कुओं, पेड़ पौधे रिकॉर्ड में निशुल्क बढ़ाये जाये। मुआवजा सीधे बैंक खाते में डाला जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। सरकारी नीति के अनुसार कुओं, कुओं का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 41 | श्री रामसिंह पुत्र श्री धूमन सिंह ग्राम-भाण्डरी, जिला-अशोकनगर | इस बांध से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी जमीन जो ग्राम-रवतेश में है, डूब में जा रही है। जमीन तथा पेड़ों का उचित मुआवजा चाहिये ताकि मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके। | सरकारी नीति के अनुसार कुओं, कुओं का मुआवजा दिया जाएगा। 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा। |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 42 | श्री सहजाद खाँ पुत्र श्री खाजू खाँ ग्राम-भाण्डरी, सहसूल-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | ग्राम-रक्तेरा में मेरी जमीन है। जमीन का ज्यादा रं ज्यादा मुआवजा दिया जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा। |
| 43 | श्री गोविंद सिंह राठौड़ पुत्र श्री कमल सिंह राठौड़ अशोकनगर | दस परियोजना से जितने ग्राम डूब में आ रहे हैं, उन परिवार के प्रेज्युट सदस्य को नौकरी दी जाये। पैदा पीछे कुआ के लिए मुआवजा की व्यवस्था है या नहीं ? | परियोजना प्रभावित परिवारों को पत्रता व सरकारी नीति के अनुसार योजनाएं दिए जाएंगे। इनके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों कुओं का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 44 | श्री पवन सिंह यादव पुत्र श्रीपत सिंह ग्राम-लिघौरा, सहसूल-चंदेरी, जिला-अशोकनगर, S424725231 | निवेदन है कि बाघ निर्माण करते हैं तो 12 लाख बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिये। भारत सरकार जल बचतों जल स्रोतों अनियमित के तहत सरकार ने लाखों जनता के हित का निर्णय लिया वह सही है। राजस्व विभाग के कार्य निःशुल्क किये जाये। मुआवजा राशि सीधे खाते में डाला जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमे व मकान का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 45 | श्री सुंदर सिंह जी पुत्र श्री वीरसिंह जी अशोकनगर | निवेदन है कि हमारी बातों पर ध्यान दे। हमारा गाँव जलबंद पिछड़े इलाके में बसे होने के कारण हम अत्यंत दुखी है। कृपया बाघ नहीं बने व कलेक्टर रेट से 10 गुना मुआवजा मिले, तभी हम लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। क्योंकि जंगल में हम लोगों को भवेशी से अधिक लाभ था। इससे हमारी रोजी रोटी पूर्ण रूप से थी। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा। |
| 46 | श्री चंद्रपाल सिंह गौर पुत्र श्री जगदीश सिंह ग्राम-बीठला, सहसूल-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | निवेदन है कि जो 12 गाँव की जमीन डूबक्षेत्र में आ रही है उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाये। | जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 47 | श्री मोनू राजा पुत्र श्री सीताराम सिंह ग्राम-बीठला, तहसील-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | मैं गुजारिश करता हूँ कि हमे अपने हाल में छोड़कर लोअर उर बाँध का निर्माण नहीं किया जाये। | परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। हानिकर प्रभावों को कम करने हेतु विस्तृत पर्यावरणीय योजना तैयार किया गया है। प्रभावित परिवारों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। |
| 48 | श्री पवन यादव पुत्र श्रीपत यादव ग्राम-लिधौरा, तह चंदेरी, जिला-अशोकनगर | हमें बाँध नहीं चाहिये। | परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। हानिकर प्रभावों को कम करने हेतु विस्तृत पर्यावरणीय योजना तैयार किया गया है। प्रभावित परिवारों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। |
| 49 | श्री प्यारेलाल आदिवासी पुत्र श्री ग्यारसा आदिवासी अशोकनगर | हम आदिवासियों को वन विभाग के पट्टे दिये गये हैं। उस भूमि का मुआवजा मिलेगा या नहीं। कृपया सूचना देवे। | सरकारी नीतियों के अनुसार जनजातियों को वन भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा। |
| 50 | श्री यलराम पुत्र श्री भगवद सिंह ग्राम-पिपरीद, जिला-अशोकनगर | मैं ग्राम का समर्थन करता हूँ। भराव क्षेत्र के कारण हमारे कुओं में पानी रहेगा तथा पीने के पानी के हैण्डपंप भी चलेंगे। ग्राम पिपरीद की जमीन को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें। | वर्तमान स्कीम में आस पास के गाँवों में सिंचाई सुविधाएं देने की संभावना शामिल नहीं है इस पर परियोजना के कार्यान्वयन के समय विचार किया जाएगा। |
| 51 | श्री फूलसिंह पुत्र श्री मेयालाल ग्राम-पिपरीद, जिला-अशोकनगर | पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अतः लोअर उर बाँध से नहरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाये प्रदान करें। मेरे खेत में कुआ या द्यूबवेल लगाये जाये। | वर्तमान स्कीम में आस पास के गाँवों में सिंचाई सुविधाएं देने की संभावना शामिल नहीं है इस पर परियोजना के कार्यान्वयन के समय विचार किया जाएगा। |
| 52 | श्री सेदपालजी बुंदेला पुत्र श्री शंकर सिंह ग्राम-लिधौरा, जिला-अशोकनगर | निवेदन है कि हमारे मकान का मुआवजा चंदेरी के दर से वर्गफुट से दिया जाये। हमारे नाम की जमीन नहीं है। हमारे बच्चों का पालन पोषण कराने करेगा। हम वन भूमि जबरदस्ती जोतेंगे। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान आदि हेतु मुआवजा दिया जाएगा। |
| 53 | श्री गोकुल सिंह पुत्र श्री भगुन सिंह, ग्राम-लिधौरा, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर | हमारे लिए डैम नहीं चाहिये क्योंकि डैम बनने से हमे बहुत परेशानी होगी। | परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। हानिकर प्रभावों को कम करने हेतु विस्तृत पर्यावरणीय योजना तैयार किया गया है। |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 54 | श्री जगशम पुत्र श्री ग्यासीलाल, ग्राम-लिघौरा, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर 8226016548 | जमीन का मुआवजा 12 लाख से ज्यादा दिया जाना चाहिये। हमारे नोमिनेशन, स्टवारे किये जाये। जिसकी जमीन है उसी के बैंक खाते में मुआवजा राशि जाली जाये। रहने के लिए शहर में फ्लैट मिलना चाहिये और राजस्व विभाग से संबंधित सभी कार्य निशुल्क किये जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान आदि हेतु मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित परिवारों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 55 | श्री रामपाल तशकार पुत्र श्री मुलाव वंशकार, ग्राम-लिघौरा, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर, 8089836354 | हमारे लिए 10 लाख रु बीघा मुआवजा चाहिये। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। रहने के लिए प्लॉट दिया जाये। हमारे जो काम कृषि के रुके हैं जैसे कुआँ, पेड़ पौधे रिकॉर्ड में निशुल्क बढ़ाये जाये। मुआवजा एक किस्त में सीधे बैंक खाते में जाला जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जैविका योजना में दिया गया है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मुआवजे का वितरण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा देगा जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 56 | श्री गब्बर सिंह बुदेला पुत्र श्री सरदार सिंह बुदेला एवं ग्रामवासी ग्राम-लिघौरा, तह. चंदेरी, जिला-अशोकनगर, | हम समस्त दूधक्षेत्र ग्राम-लिघौरा के ग्रामवासियों का कहना है कि हम बाध नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ना चाहते। यदि हम अपनी जन्मभूमि, अपना गाँव छोड़ेंगे तो हमारा व हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। | परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए उचित आवश्यक है। हानिकार प्रभावों को कम करने हेतु विश्वस्त पर्यावरणीय योजना तैयार किया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान आदि का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 57 | श्री हरदास हरिजन पुत्र श्री भुजआ हरिजन, ग्राम-लिघौरा, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर, | 10 लाख रु का बीघा मुआवजा दिया जाये। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। हमारे मकान का मुआवजा वर्गफिट से दिया जाये और हमारे राजस्व विभाग के कार्य किये जाये। मुआवजा एक किस्त में सीधे हमारे बैंक खाते में जाला जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जैविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के |


| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान आदि का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 58 | श्री मुकेश अहिरवार पुत्र श्री धनूराग अहिरवार ग्राम-लिघौर, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर | हमारे लिए 10 लाख रु बीघा मुआवजा चाहिये। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। रहने के लिए प्लॉट दिया जाये। हमारे जो काम कृषि के रुके हैं, जैसे नामांकन, कुओं, पेड़ पौधे रिकॉर्ड में निःशुल्क मढ़ाये जाये। इसी आधार पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। इसलिए एक हेक्टेयर जमीन दी जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान आदि का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 59 | श्री सियाराम अहिरवार पुत्र श्री हरदास हरिजन ग्राम-लिघौर, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर | निवेदन है कि मेरी जमीन का मुआवजा 10 लाख रु बीघा दिया जाये। और मेरे मकान का मुआवजा वर्ग फिट से दिया जाये। मेरी पत्नी अंगी है अतएव मुझे नौकरी देने की कृपा करें। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान आदि का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 60 | श्री रामपाल सिंह पुत्र श्री पीरसिंह अशोकनगर 9403974162 | मेरी जमीन ड्यू में जा रही है। मकान नहीं ड्यू रहे हैं। हमें मकान का मुआवजा भी दिया जाये। इस बात को लिखित में दिया जाये कि मकान का मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद सारी सुविधायें दिये जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान आदि का मुआवजा दिया जाएगा। नियमानुसार समस्त सुविधाएँ जिला प्रशासन के निर्णय से उपलब्ध कराई जाएगी। |
| 61 | श्री शिवराज सिंह यादव पुत्र श्री धीरज सिंह यादव ग्राम-पगारा, जिला-अशोकनगर | हम समस्त ग्राम-पगारा निवासियों की सहमति है कि बांध नहीं बनना चाहिये। | परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। हानिकार प्रभावों को कम करने हेतु विस्तृत पर्यावरणीय योजना तैयार किया गया है। |
| 62 | श्री गुरजीत सिंह, बलजीत सिंह मनजित कौर, गुरजान सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह अशोकनगर, 9406388522 | डेग अगर बनता है तो सबसे पहले 3-5 लाख जमीन का मुआवजा मिलना चाहिये। जो शासकीय पट्टे है उनको | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | भूस्वामी क्रिया है क्या उनको मुआवजा मिलेगा ? जो रोज के पट्टे है उनका मुआवजा भी मिलेगा ? नये बजट 2013-14 के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिये। डेम बनना चाहिये। | मकान आदि का मुआवजा दिया जाएगा। अन्य निर्णय जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार लिए जाएंगे। |
| 63 | श्री श्रीरसिंह लोधी पुत्र श्री गोकुल सिंह लोधी ग्राम-लिधौरा, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर | मेरा गाँव हूय क्षेत्र में आ रहा है। अतः मुआवजा 10 लाख बीघा की दर से दिया जाये तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना सुनिश्चित करे जिससे हम सभी की जीविका पूर्व की तरह चलती रहे। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संघर्षन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान आदि का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 64 | श्री शिशुपाल सिंह यादव पुत्र श्री भगवान सिंह यादव ग्राम-लिधौरा, तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर 9406508503 | 10 लाख रु बीघा का मुआवजा दिया जाये। हमारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। रहने के लिए प्लाट दिया जाये। हमारा मुआवजा हमारे खाते में एक ही किस्त में दिया जाये। राजस्व विभाग में जो काम डाला है वो निःशुल्क किया जाये। हमारे मकान का मुआवजा सिटी लेवल का दिया जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संघर्षन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की रशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 65 | श्री जसमन सिंह यादव, पुत्र श्री संकर सिंह यादव ग्राम-लखारी, जिला-अशोकनगर | ग्राम-लखारी इस परियोजना के अंतर्गत आशिक रूप से दूधक्षेत्र में आ रही है। अतः निवेदन है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाये। परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी मिलनी चाहिये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संघर्षन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |


| | | | |
|----|--|---|---|
| 66 | श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री देवचंद गुर्जर कुपगढ जिला-अशोकनगर | जमीन हूब में आ रही है। अतः जमीन के बदले उसी गुणवत्ता की जमीन दी जाये या मुआवजा 5 लाख की दर में दिया जाये। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। |
| 67 | श्री पल्लूराम अहिरवार पुत्र श्री उददाराम अहिरवार ग्राम-लिधौरा, जिला-अशोकनगर | हमारे लिये 10 लाख रु बीघा का मुआवजा दिया जाये। हमारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। हमारा मुआवजा हमारे खाते में डाला जाये। हमें कोई आपत्ति नहीं है। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |
| 68 | श्री नेतराम अहिरवार पुत्र श्री भैयालाल अहिरवार ग्राम-लिधौरा, जिला-अशोकनगर, 8989143360 | हमारे लिये 10 लाख रु बीघा का मुआवजा दिया जाये। रहने के लिए जगह दी जाये। हमारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। हमारा मुआवजा हमारे खाते में डाला जाये। हमें कोई आपत्ति नहीं है। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। मुआवजे की राशि प्रभावितों के बैंक खाते में सीधे डाली जाएगी। |
| 69 | श्री गोहर सिंह गुर्जर पुत्र श्री जवाहर सिंह गुर्जर ग्राम-स्वतैरा, तहसील-चंदेरी, जिला-अशोकनगर, 9407247923 | मेरे गाँव स्वतैरा की जमीन हूब में जा रही है और गाँव नहीं जा रहा है। जमीन, मकान और पशुओं का भी मुआवजा दिया और रहने के लिए जगह दी जाये। | भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। |
| 70 | श्री रामदास अहिरवार पुत्र श्री धनूराम अहिरवार, ग्राम-लिधौरा, तहसील-चंदेरी, जिला-अशोकनगर | हमारे लिये 10 लाख रु बीघा का मुआवजा दिया जाये। रहने के लिए जगह दी जाये। हमारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। हमारे लिए शहर के हिसाब से घर का मुआवजा दिया जाये और हमारा मुआवजा हमारे खाते में डाला जाये। | परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा की राशि प्रभावित के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 71 | श्री हमरत सिंह एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-ख्यावदा, जिला-असोकनगर | हम सभी लोग इस डेग का विरोध करते हैं। हम इस जमीन पर ही निर्भर हैं। बांध से हमें फायदा नहीं है। जो सरकारी जगह घेरे हुए है उसका क्या होगा ? | परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। होनेकर प्रभावों को कम करने हेतु विस्तृत पर्यावरणीय योजना तैयार किया गया है। परियोजना के निर्माण का निर्णय प्रशासन लेगा। |
|----|--|--|---|


 (पी.सी.चौरिया)
 क्षेत्रीय अधिकारी,
 म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 विजयपुर, गुन्ना



 (एस.के.सेबले)
 अपर कलेक्टर एवं
 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
 असोकनगर


 (ओ.पी.सिंह कुशवाह)
 अधीक्षण अभियन्ता
 Superintending Engineer
 राष्ट्रीय जल विकास आधिकारण
 National Water Development Agency
 205 पालिका भवन / 205 Palka Bhawan
 भारत के दूत, नई दिल्ली / R. K. Mission, New Delhi-66

STATEMENT OF THE ISSUES RAISED BY THE PUBLIC AND THE COMMENTS OF THE PROponent DURING PUBLIC HEARING DATED 18/09/2015 CONDUCTED FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF LOWER ORR DAM AT VILLAGE - DIDAUNI DISTT.- SHIVPURI/ASHOKNAGAR (M.P.) UNDER KEN - BETWA LINK PROJECT PHASE-II

PUBLIC HEARING PLACE - GOVT. MIDDLE SCHOOL PIPAROLI, TEHSIL - CHANDERI, DISTT - ASHOKNAGAR (MP)

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|---|
| 1. | Mr. Jahar Singh Parihar s/o Mr. Toran Singh Parihar Village- Lidhora, MohanPur Chanderi, Dis: AshokNagar Mob.- 7697031953 | One member of my family should be given employment. Land for resettlement to be given Rs. 10 lakh/ bigha compensation and for Kutchra and Pucca houses, market rate (sq.ft) may given. | Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Land cost shall be decided by district administration. |
| 2. | Mr. Balwan Aadiwasi s/o Mr. Udham Singh Aadiwasi, Village- Lidhora, Dist. AshokNagar | Rs. 10 lakh/ bigha compensation for land and one member per family of every PAFs to be given employment. Agricultural facilities should be done free of cost. Plots to be given for as resettlement. Compensation should be directly deposited in Bank. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |
| 3. | Mr. Jagrath Singh, Mr. Ramdin s/o Mr. Gyarasa Aadiwasi, Village- Daang Bairasia, Dist. AshokNagar | Compensation should be made for trees such as Mango tree, Guava, Lemon, sugar apple trees etc. | Compensation of trees shall be given as per the government policy. |
| 4. | Mr. Chandrabhan Singh Rajput s/o Mr. Preetam Singh Rajput Village- Khyavada, Dist. AshokNagar Mob. - 9407200102 | Land for land and house for house to be provided for PAFs of submergence. Compensation should be given at least one year before the commencement of project so that they can start their works. Compensation should also be given for trees. | Availability of land shall be decided by district administration. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Compensation of trees shall be done as per the government policy. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|---|--|
| 5. | Mr. Parmal Singh Rajput s/o Mr. Raghuveer Singh Rajput, Chanderi, Dist. AshokNagar | Compensation for land should be given above market rate. Pacca houses should be given. one member per family of every PAFs to be given employment. Compensation should also be given for trees. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Ac., 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. Compensation of trees shall be given as per the government policy. |
| 6. | Mr. Ompal Singh Keval s/o Mr. Nathhula' Kevat Village- Pipraud, Dist. AshokNagar Mob.- 8989242594 | I have no objection for construction of dam and I suggest to give employment to villagers. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 7. | Mr. Indar Singh Gurjar s/o Mr. Javar Singh Gurjar, Village- Raktera, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | My land is coming under submergence. Please gives us enough compensation and give employment to my children's. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 8. | Mr. Janaki s/o Mr. Gambhira Village Raktora, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | My land is coming under submergence. Please give us land for land and compensation to trees. | Availability of land shall be decided by district administration. Compensation of trees shall be given as per the government policy. |
| 9. | Mr. Sharif Khan s/o Mr. Akbar Khan, Village- Raktera, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | I am staying in Village Raktera and I request that records of all the trees in my land may be taken. | Record of all existing trees shall be considered for awarding compensation. Compensation of trees shall be given as per the government policy. |
| 10. | Mr. Lajram s/o Mr. Bhagwan Lal, Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | My land is coming under submergence. Please gives us enough compensation and also we should get pacca houses. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|--|--|
| 11. | Mr. Vishwanath Singh solanki s/o Mr. Komal Singh Solanki, Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | A compensation of Rs.15 lakh should be given Employment, house for House should be given. Registration fees should not be taken for buying of new land. Compensation for our livestock should be given. Provide all facilities at the time of resettlement. | Land cost shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |
| 12. | Mr. Parmal Singh Rajput s/o Mr. Jasrath Singh Rajput Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | I am a farmer from village Khyavada and in possession of 10 bigha land for which patta is not granted. Land and employment to be given. | Land eligibility shall be confirmed by District Administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 13. | Mr. Inda Singh Dist.- AshokNagar | There are 10 members in my family. Our main occupation is agriculture. Maximum compensation and employment to children to be given. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 14. | Mr. Kaptan Singh, Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | My land is going in the submergence. Land for land to be given. | Availability of land shall be decided by district administration. |
| 15. | Mr. Jaypal Singh Rajput s/o Mr. Balveer Singh Rajput Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob. 9406962452 | One member of each affected family may be given employment. Rs 10 lakh/bigha rate may be given. All other facilities may also be extended. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|--|
| 6. | Mr. Mohanlal s/o Mr. Karnalu Dist. AshokNagar | Land for land to be given. Compensation for trees to be given. | Availability of land shall be decided by the district administration. Compensation of trees shall be given as per the government policy. |
| 17. | Mr. Fappu Lodhi s/o Mr. Narayan Singh Village- Nayakhera, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We don't have any objections. We can do anything once we have water. | We all welcome and appreciate your opinion/views. |
| 18. | Mr. Sarigram Singh s/o Mr. Mojilal Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | How much compensation is given? Is land for land adopted? Do we get land for our houses and schooling facility? | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Availability of land shall be decided by district administration. |
| 19. | Mr. Sarupa s/o Mr. Kunja Village- Bthala, Dist.- AshokNagar | Our village is getting submerged. One member per family of every PAFs to be given employment. Compensation at Rs 10 lakh/bigha. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 20. | Mr. Horal s/o Mr. Ragana Village- Bairas'ya, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We will loose our lands due to dam. Dam should come up but good compensation for land to be given. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 21. | Mr. Kalyan s/o Mr. Khumana, Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Land for land to be given | Availability of land shall be decided as per rules by district administration. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|---|---|
| 22. | Mr. Dashraaj s/o Mr. Eshwan Singh, Village- Koopgad, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Our village is getting submerged. What we will do without land. Therefore cam should not come. If dam has to come then, alternate same quality of land to be given at nearby village. One member per family of every PAFs to be given employment. | Availability of land shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 23. | Mr. Nathuram Ahirwar s/o Mr. Maggeram Ahirwar, Village- Lidhoura, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob- 8889143266 | We do not have any objection but we want compensation at Rs. 10 lakh/ bigha. We should be given employment. Resettlement benefits to be given. Our trees, wells etc should be entered in the revenue records. Compensation should be deposited in the bank. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Compensation of trees shall be done as per the government policy. The amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAF's. |
| 24. | Mr. Hanumant Singh Gurjar s/o Mr. Dayaram Singh Gurjar, Village- Rakhtera, Dist.- AshokNagar | Compensation of trees to be given. | Compensation of trees shall be given as per the government policy |
| 25. | Mr. Udai Singh Gurjar s/o Mr. Lalaram Village- Rakhtera, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | 50 % compensation to be approved. One member per family of every PAFs to be given employment. Full compensation for lands coming in the submergence. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|--|
| 26. | Mr. Shishupal Singh s/o Mr. Nihal Singh Rajput Village- Beethala, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Our land and entire village is getting submerged. Hence, appropriate compensation of trees, wells, houses and land to be given. | Compensation of trees, wells shall be given as per the government policy. The compensation for and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 27. | Mr. Kripal Singh Rajput s/o Mr. Rajaram Singh Dist.- AshokNagar | Appropriate compensation of trees, wells, houses and land to be given. | Compensation of trees, wells shall be done as per the government policy. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 28. | Mr. Anand Singh s/o Mr. Bharat Singh Village- Bithala, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Our village is getting submerged. One member per family of every PAFs to be given employment. Land for land and compensation at Rs. 10 lakh/ bigha. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Availability of land shall be decided by district administration. |
| 29. | Mr. Komal s/o Lt. Mr. Siryar Village- Rakhtera, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Our village is getting submerged. One member per family of every PAFs to be given employment. Land for land and compensation at Rs. 5 lakh/ bigha. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. Availability of land shall be decided by district administration. The compensation for land and homestead shall be given as |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|--|--|
| | | | per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 30. | Mr. Mahendra Singh s/o Mr. Kalyan Singh Village- Rakhtera, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Our village is getting submerged which will affect our livelihood. One member per family of every PAFs to be given employment. Land for and and compensation at Rs. 6 lakh/ bigha. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. Availability of land shall be decided by district administration. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 31. | Mr. Kripal Singh Ahirwar s/o Mr. Hariram Ahirwar, Village- Lidhoura, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Compensation at Rs. 10 lakh/ bigha. We should be given employment. Plots for our living. Our farming works like wells, trees etc. are held up may be got entered in the record free of cost. Compensation should be sent directly into Bank account. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". The farming works which are held up due to non-entry in the record may be pursued to get done from concerned officers of State Govt. This amount of compensation shall be deposited directly into Bank account. |
| 32. | Mr. Imrat Singh s/o Mr. Bhagun Lal Gurjar, Village- Kanyawada, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We have 10 biswa land and we are 5 brothers. Land for land to be given. | Availability of land shall be decided by district administration. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|---|--|
| 33. | Mr. Chandrabhan Singh Lochi s/o Mr. Gokul Singh Lodhi, Village- Lidhora, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob.- 9406576690 | Compensation at Rs. 10 lakh/ bigha. We should be given employment. Plots for our living. Our trees, wells etc should be entered in the revenue records. Compensation should be deposited in the bank. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. Compensation of land and trees shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". The amount of compensation shall be deposited directly into Bank account. |
| 34. | Mr. Jashrath Singh Aadiwasi s/o Mr. Gyarasa Singh Aadiwasi, Village- Barasiya, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Either compensation of Rs. 10 lakh or land in lieu of land should be given. If land of city level is not feasible then at least compensation should be of city level. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 35. | Mr. Babu Singh s/o Lt. Mr. Devi Singh, Village- Rakhtera, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | The land of my village is coming under submergence area which includes my land as well. Hence, a member of every family should be given a job. Compensation of Rs. 20 lakh/bigha should be given and the same should be deposited in the bank account. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Mode of disbursement of Compensation shall be done as decided by govt. |
| 36. | Mr. Veer Singh Gurjar s/o Mr. Lalaram Gurjar Village- Bhandri, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | My family has 15 members and do not have any jobs. My occupation is farming. My family will be ruined as the land is coming in submergence area. Hence, it is requested to kindly give the maximum compensation possible. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|--|--|
| 37. | Mr. Gyan Singh s/o Mr. Gokul Singh Village- Lidhaura, Teh- Chanderi, Dist.- AshokNagar | My entire village land is coming under submergence area and also not able to find land anywhere else. Hence, the same value of land which my land accounts for as well as the land should be provided to me and to every family in the village. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 38. | Mr. Virendra Singh Gunar s/o Mr. Maharaj Singh Gurjar Village- Roopgad, Dist.- AshokNagar | Survey was conducted in my village. It should not happen that no benefit is accorded and land also gets submerged. | You will definitely get compensation for land, if your land will come under submergence. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 39. | Mr. Narayan Singh s/o Mr. Dhannalal, Dist.- AshokNagar Mob - 969150263 | We have no problem with this Dam project. In this project our 30 bigha land is coming in submergence area. | You do not have any objection by construction of Dam. These views are appreciating. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 40. | Mr. Mahesh Kumar Ahirwar s/o Mr. Nathuram Ahirwar Village- Lidhaura, Dist.- AshokNagar | We do not have any problem. But we want compensation equal to that of city level, member of every family should be given a job and place to live. Wells trees and shrubs should be given free of cost in record. Compensation amount should be deposited directly to bank account. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of FAFs. Compensation of trees, wells shall be done as per the government policy. Amount of compensation shall be deposited in the Bank account of PAF's. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|--|--|
| 41. | Mr. RamSingh s/o Mr. Thuman Singh Village- Bhandri, Dist:- AshokNagar | We do not have any problem with this dam project. My land which comes in village area is coming under submergence area. Appropriate Compensation for land and trees should be given so that my family can be taken care of. | We all appreciate your views. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Compensation of trees, wells shall be done as per the Govt. policy. |
| 42. | Mr. Shehzad Khan Gurjar s/o Mr. Khwaju Khan Village- Bhandri, The - Chanderi, Dist:- AshokNagar | My land comes in village area. Maximum possible compensation for the land should be given. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" |
| 43. | Mr. Govind Singh Rathor s/o Mr. Kamal Singh Rathor, Dist.- AshokNagar | The villages which are coming under submergence area due to this project, graduate members of those families should be given a job. Is facility for compensation of wells, trees and shrubs is available or not? | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. Compensation of trees, wells shall be done as per the government policy. |
| 44. | Mr. Pawan Singh Yadav s/o Mr. Shripat Singh, Village- Lodhaura, Dist.- AshokNagar Mob.- 9424725231 | It is requested that is Dam is constructed then compensation of Rs. 12 lakh/ bigha should be given. The decision to benefit lakh of people by this Save water stop water campaign of Indian government is right. Works related to revenue department should be made free. Compensation amount should be deposited directly in the account. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". The amount of compensation shall be deposited directly in to Bank account of PAF's. |
| 45. | Mr. Sundar Singh Ji s/o Mr. Veer Singh Ji, Dist:- AshokNagar | It is requested to kindly consider our requests. We are extremely sad as our village comes in very poor region. Either dam should not be constructed or compensation equal to 10 times more than collector rate should be given, only | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|---|
| | | then we will get food and job. Because in forest we were benefited more with the animals. We had our complete living with it. | |
| 46. | Mr. Chandrapal Singh Gour s/o Mr. Jagdish Singh Village- Bithala, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | It is requested that the land of 12 villages that is coming under submergence area should be given land only in lieu of it. | Availability of land shall be decided by district administration. Decision for providing land or compensation shall be decided as per Govt. policy. |
| 47. | Mr. Monu Raja s/o Mr. Sitaram Singh Rajput, Village- Bithala, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | It is requested that leave us on our own and Lower Orr dam should not be constructed. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. |
| 48. | Mr. Pawan Yadav s/o Mr. Shripat Yadav, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We do not need dam | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. |
| 49. | Mr. Pyarelal Aadiwasi s/o Mr. Gyarasa Aadiwasi, Dist.- AshokNagar | We tribesmen have been given Patta of forest land. Will we get compensation of that land or not? Kindly confirm. | Compensation of forest land for tribes shall be made as per government policy. |
| 50. | Mr. Bairam s/o Mr. Bhagawat Singh, Village- Pipraud, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | I am in favour of dam. Due to water fill, there will be water in our wells as well as hand pumps for drinking water will work. Kindly provide irrigation facility to village Pipraud. | We all appreciate your favorable views about the dam. The possibility of extending irrigation facility to certain near by villages not covered in the present scheme shall be looked into at the time of implementation of project. |
| 51. | Mr. Phoo Singh s/o Mr. Braicyalaal Village- Pipraud, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | There is no facility for water. Hence, with Lower Orr dam, provide irrigation facilities through canals in the entire area. | The possibility of extending irrigation facility to certain near by villages not covered in the present scheme shall be looked into at the time of implementation of project. |
| 52. | Mr. Sertpal ji Burdele s/o Mr. Shankar Singh, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Compensation of our house should be given as per sq. ft rate in Chanderi Tehsil. We do not have land in our name. Who will take care of our children? We have to till forest land forcefully. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|---|--|
| 53. | Mr. Gokul Singh s/o Mr. Bhagun Singh, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We do not need dam because we will have to face lot of problems because of it. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. |
| 54. | Mr. Jagram s/o Mr. Gyasilal, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob.- 8226016548 | The compensation amount of more than Rs. 12 lakh should be given for the land. It should be allotted and distributed as per our names. The compensation amount should be deposited directly to respective person bank account. We should get a flat in city and the work related to revenue department should be made free. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAF's. |
| 55. | Mr. Rampal Vanshkar s/o Mr. Gulab Vanshkar, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob.- 8969836354 | We need compensation of Rs. 10 lakh/ bigha. Member of every family should be given a job. A Plot should be given for stay. Our work related to farming like wells, trees, shrubs should be recorded free of cost. Compensation amount should be deposited in one go directly in bank account. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAF's. |
| 56. | Mr. Gabbar Singh Burdela s/o Mr. Sardar Singh Buncela & villagers, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We all villagers say that we don't want the dam to be constructed as we don't want to leave our birth land. If we do so our as well as the future of our children will be uncertain. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |


| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|--|--|
| 57. | Mr. Hardas Harijan s/o Mr. Bhujua Harijan, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. One member per family of every PAFs to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts in one instalment. Compensation for our house should be as per city rates. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 58. | Mr. Mukesh Ahirwar s/o Dhanuram Ahirwar, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. One member of our family to be given employment. Flats to be given for resettlement | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 59. | Mr. Siyaram Ahirwar s/o Mr. Hardas Harijan, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | It is requested that the Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given for my land. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 60. | Mr. Rampal Singh s/o Mr. Veer Singh, Dist.- AshokNagar Mcb.- 3406974152 | My land is coming under submergence but no house Compensation for my house should also be given It should be given in writing that compensation will be provided for the house. After this all the facilities should be provided. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |


| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|--|--|
| 61. | Mr. Shivraj Singh Yadav s/o Mr. Dhiraj Singh Yadav, Village-Pagara, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We all villagers of Village-Pagara are not willing for the construction of this Dam. | The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. |
| 62. | Mr. Gurjeet Singh, Mr. Bajjeet Singh, Manjeet Singh Kaur, Gurgyan Singh s/o Sukhdev Singh, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob:- 9406588522 | If dam is to be constructed, then compensation of Rs. 3-5 lakhs should be given. Do we get compensation for the cropped lands in the government pattas and range pattas? Compensation as per new R&R policy should be adopted. Dam should come. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Other decision shall be taken as per rule by district administration. |
| 63. | Mr. Veer Singh Lodhi s/o Mr. Gokul Singh Lodhi, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | My village is coming under submergence therefore Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Also one member per family of every PAFs to be given employment to earn their living as earlier. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 64. | Mr. Shishupal Singh Yadav s/o Mr. Bhagwan Singh Yadav, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar MOB.- 9406508503 | Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. One member of our family to be given employment. Plot to be given for resettlement. Compensation to be deposited in our bank accounts in one installment. Compensation for our house should be as per city rates. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAF's. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|---|
| 65. | Mr. Jasman Singh Yadav s/o Mr. Shankar Singh Yadav, Village- Lakhari, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | As per this scheme Village- Lakhari is coming under submergence. It is therefore requested that enough compensation is given. One member per family of every PAFs to be given employment. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 66. | Mr. Sitaram Gurjar s/o Mr. Devchand Gurjar, Teh.- Roopgad, Dist - AshokNagar | Land is coming under submergence. and for land and compensation shall be given at the rate of 5 Lakh. One member per family of every PAFs to be given employment. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. |
| 67. | Mr. Palluram Ahirwar s/o Mr. Uddaram Ahirwar, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Compensation of Rs 10 Lakh per bighra to be given. Resettlement should be provided One member of our family to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts. We don't have any problem. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAFs. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|---|---|--|
| 68. | Mr. Netaram Ahirwar s/o Mr. Bhaiyalal Ahirwar, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob. 9889143360 | Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Resettlement should be provided. One member of our family to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts. We don't have any problem. | Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAF's. |
| 69. | Mr. Mohar Singh Gurjar s/o Mr. Jawahar Singh Gurjar, Village- Rakhtera, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar Mob.- 9407247926 | My land is coming under submergence but not the whole village Rakhtera. Compensation should be given for land, house as well as animals. Also provide resettlement. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". |
| 70. | Mr. Ramdas Ahirwar s/o Mr. Dhanuram Ahirwar, Village- Lidhora, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha should be given. Resettlement should be provided. One member per family of every PAF's to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts as per city rates. | The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAF's. Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAF's. |

| S.No. | Name of Person | Issues Raised | Response |
|-------|--|--|--|
| 71 | Mr. Hamrat Singh and All villagers, Village- Khyavada, Teh.- Chanderi, Dist.- AshokNagar | We all are against the construction of the dam. We all are dependent on our land only and construction of dam is of no use to us. What will happen to those who are occupying government land? | The project is very essential for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. |


 (P.C. Uchariya)
 Regional Officer,
 MP Pollution Control Board,
 Vijaipur, Distt-Guna













 (S.K. Seble)
 Additional Collector and
 A.D.M. Ashoknagar (M.P.)
















 (O.P. Singh Kushwah)
 अधीक्षण अभियन्ता
 Superintending Engineer
 राष्ट्रीय जल विकास अग्निकरण
 National Water Development Agency
 305 पॉलीटॉन भवन / पी. पी. पोल्के शेखर
 वार.के.पुरम, नई दिल्ली / R. K. Puram, New Delhi-110088














विषय :- मेसर्स नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी कॅन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेरा-2, जिला-अशोकनगर की प्रस्तावित बांध (डैम) परियोजना हेतु पर्यावरणीय रवीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015 में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का उपस्थिति पत्रक ।

दिनांक - दिनांक 18.09.2015, दिन-शुक्रवार, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ।

स्थान - शास.माध्यमिक विद्यालय पिपरौद, विकासखण्ड-चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

| क्र. | उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद | पता | हस्ताक्षर |
|------|--|---------------------------------------|--|
| 1. | रमेश. डे. लेवले अपर कलेक्टर (AEM) | कलेक्टर कार्यालय अशोकनगर |  18-9-15 |
| 2. | पी. सी. उचाविषा सहाय्य अधिकारी | म. उ. उड्डयन विभाग कोटे भुवनेश्वर |  |
| 3. | एन. पी. सिंह कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास परिषद | नई दिल्ली, सुभाष नगर |  18/9/15 |
| 4. | हर्षनाथ राय, यंत्राध्यक्ष, कृषि आयोग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास परिषद, लखनऊ | |  |
| 5. | S.C. ANWAR MAJSE, NWDA, Gwalior (MP) | 12 Seela, City Centre, NWDA Gwalior |  |
| 6. | सिया राम महेश, डी. पी. डी. आर. राजनिकेत, ग्वालियर | 12, सादा भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर |  18/9/15 |
| 7. | प्रिन्सिपल इंजीनियर, उमगुणसर्जक, वायव्योस लिमिटेड | 76C, फ्लैट 18, गुडवाय, डी.पी.आर. |  18/09/15 |
| 8. | अनिल शर्मा, अधिकांश पर्यावरण, राज्यास मिनिस्ट | 76C, फ्लैट-18 गुडवाय, डी.पी.आर. |  18/9/15 |
| 9. | सुरेश लाल मिश्रा, सहायक अधिकांश राज्यास मिनिस्ट | NWDA, 12 Seela Bhawan, Gwalior |  |
| 10. | संजय कुमार सिंघानिया, सहायक अधिकांश अधिकांश राज्यास मिनिस्ट | 12 Seela Bhawan, City Centre, Gwalior |  18/9/15 |
| 11. | शिव गंवर सिंह गुर्जर, नायब सहायक अधिकांश राज्यास मिनिस्ट | MT चंदेरी |  |



| | | | |
|-----|---|--|---|
| 12. | डा. ए. ए. नारायण इं. इं. कानून वि. वि. मंगलूर | P-3, (18/11/15) प्रीति (18/11/15) रिस मंगलूर |  |
| 13. | पॉइंट मॉन रिचरिंग अनुसंधान अभियंता, वि. वि. मंगलूर | Rajahat Coby Shank |  |
| 14. | अफरोडा अतिथि 3-नि | रि. ज. वि. अति. मंगलूर |  |
| 15. | वी. ए. अती (अ. वि. मंगलूर) | अतिथि मंगलूर मंगलूर, मंगलूर |  |
| 16. | Mahesh Khandiyu | विद्यार्थी मंगलूर |  |
| 17. | A. P. Rajalakshmi | रि. ए. वि. मंगलूर मंगलूर |  |
| 18. | Dr. S. P. Mishra Dr. P. Mishra | फार्मसी मंगलूर |  |
| 19. | M. S. Ramani | R. College Mangalore |  |
| 20. | S. K. Dixit A/En | WRD Mangalore |  |
| 21. | P. K. Koli DM | WRD Mangalore |  |
| 22. | Pooja Kumar Gupta Computer Operator | WRD Khaniyalka |  |
| 23. | R. K. Rohitash, E.E. | R.O. M.P.S. C.B. Ganga |  |
| 24. | Kailash Kumar Delaiya, Personal Secretary | RO MPPCB, Vijaypur, Guna |  |
| 25. | J. K. Pagaraya, Jr. Sci. | RO MPPCB Guna |  |








| | | | |
|-----|---|--|---|
| 26. | M. K. Nagdeve, U.d.C. | MPPCB Vijaypur Circle |  18/07/2015 |
| 27. | Jitendra Jalniger | Guna |  18/7/2015 |
| 28. | Suresh Kadar, dharwad | MPPCB, Warner Circle |  |
| 29. | H. K. Sanketasa S.D.O. | W.R.D Asanur |  18/09/15 |
| 30. | K. N. Sharma Sub Engg | W.R.D Asanur |  18.9.15 |
| 31. | A. A. Khan Sub Engg | W.R.D Chikar |  10/4/2015 |
| 32. | B. P. Jua | W.R.D |  |
| 33. | श.नाम रान अभियंता राज्या राज्याचे कार्यालय (व. वि. वि. वि.) राज्याचे कार्यालय (व. वि. वि. वि.) | राज्याचे कार्यालय राज्याचे कार्यालय |  |
| 34. | Arun Chouhan S/E | राज्याचे कार्यालय राज्याचे कार्यालय |  |
| 35. | P. K. Sharma A E | NWDA |  |
| 36. | R. K. Mishra JE | NWDA |  |
| 37. | G. S. Soni Junior Engineer | NWDA Sholapur |  |
| 38. | R. K. Bijariya Junior Engineer | NWDA Gwalior |  |
| 39. | | | |

विषय :- मेसर्स नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी कैन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-2, जिला-अशोकनगर की प्रस्तावित बांध (डैम) परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015 में उपस्थित नागरिकगणों का उपस्थिति पत्रक ।






दिनांक - दिनांक 18.09.2015, दिन-शुक्रवार, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ।

स्थान - शास.माध्यमिक विद्यालय पिपरौद, विकासखण्ड-चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

| क्रमांक | उपस्थित नागरिक का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---------|--|--------------------------------|---|
| 1. | श्री इन्दर सिंह डी० श्री लालाराम | ग्राम: सानेरा म. चन्देरी | इन्दर सिंह |
| 2. | श्री वीर सिंह डी० श्री लालाराम | do - | वीर सिंह |
| 3. | श्री परमान्त सिंह डी० श्री रजनीराम सिंह | ग्राम डांगवेरौरी म. चन्देरी |  |
| 4. | श्री हनुमन्त सिंह डी० श्री इपाराम | ग्राम: खजुरा म. चन्देरी | हनुमन्त सिंह |
| 5. | श्री इन्दर सिंह डी० श्री जवाहर सिंह | ग्राम खजुरा म. चन्देरी | इन्दर सिंह |
| 6. | श्री अमरपाल डी० श्री मरनकुन्दु | ग्राम खजुरा म. चन्देरी | अमरपाल |
| 7. | श्री अमरपाल डी० श्री नन्दुमान | ग्राम खजुरा म. चन्देरी | अमरपाल |
| 8. | श्री अरुण सिंह डी० श्री लालाराम | ग्राम खजुरा | अरुण सिंह |
| 9. | श्री अरुण सिंह डी० श्री श्रीराम सिंह | ग्राम खजुरा म. चन्देरी | अरुण सिंह |
| 10. | श्री अरुण सिंह डी० श्री रंजीत सिंह | ग्राम खजुरा म. अशोकनगर | अरुण सिंह |
| 11. | श्री अरुण सिंह डी० अरुण | ग्राम खजुरा |  |

| | | | |
|-----|---|-------------------------|---|
| 12. | श्री वागवी S/O श्री गभीर | श्याम रज्जुवा |  |
| 13. | श्री जयराजसिंह S/O श्री बुडमा | श्याम काँडी |  |
| 14. | श्री- परमानंद सिंह S/O सपन सिंह | श्याम रज्जुवा | |
| 15. | श्री श्री मोहम्मद S/O श्री-सली मोहम्मद | श्याम मनीषादानी नवीन |  |
| 16. | श्री तिरसा S/O श्री मोतीलाल | श्याम पधरा | तिरसा |
| 17. | श्री जयसिंह S/O श्री-अर्जुन | श्याम पधरा | खेसिम |
| 18. | श्री काँडी S/O-काँडी | श्याम पधरा | काँडीया |
| 19. | श्री मुल्तासि सिंह S/O मेहरकाय सिंह | श्याम आगड | मुल्तासि सिंह |
| 20. | श्री कासाण S/O श्री हरमनया | श्याम वीरना |  |
| 21. | श्री सुनील S/O श्री हल | श्याम वीरना | सुनील |
| 22. | श्री-चतुर् S/O-केशरिया | श्याम वीरना | चतुर् |
| 23. | श्री काँडी S/O-श्री-हरफुडा | श्याम मनी |  |
| 24. | श्री तिरसा S/O-सिंह | ॥ ५ |  |
| 25. | श्री रामदियाल S/O श्री केशरिया | श्याम वीरना |  |

| | | | |
|-----|--------------------------|--------------|-----------------|
| 26. | मानुप्रताप सिंह कुज्वेला | लिधौरा | मानुप्रताप सिंह |
| 27. | च. दे. मानसिंह | खिथावदा | च. दे. मानसिंह |
| 28. | राम बाले शर्मा | रुआवदा | राम बाले शर्मा |
| 29. | ईश राना | | |
| 30. | वारेलाम विपरेंद | | वारेलाम |
| 31. | दुरोराम | विपरेंद | दुरोराम |
| 32. | जाहरसिंह | पारा | जाहरसिंह |
| 33. | देवी सिंह तोमर | डोंग बैरसिया | देवी सिंह |
| 34. | गोपालसिंह गौर | डोंग बैरसिया | गोपालसिंह |
| 35. | मजी दरगा | विपरेंद | मजी दरगा |
| 36. | हर गाम | पेपरेंद | |
| 37. | ललारा म- | विपरेंद | |
| 38. | हर पाल | दरगौर | |
| 39. | इमरान | अ. गौर | |

| | | | |
|----|---------------------|--|---|
| 40 | यशमाला | रुद्रेशी |  |
| 41 | पुष्पसिखा |  |  |
| 42 | शुभा | मिपरी | शुभा |
| 43 | श्रीशिव | पिपरी | श्रीशिव |
| 44 | केवली | पिपरी |  |
| 45 | प्रतापसिंह | पिपरी | प्रतापसिंह |
| 46 | जगदीश | जोगीपुर | जगदीश |
| 47 | जे. विद्यासिंह रावत | वैशाली | जे. विद्यासिंह |
| 48 | अशोकसिंह | रुद्रेशी | अशोकसिंह |
| 49 | सुभाचंद्र | रुद्रेशी | सुभाचंद्र |
| 50 | रामचंद्र | रुद्रेशी |  |
| 51 | नारायणसिंह | जोगी | नारायणसिंह |
| 52 | रामसिंह | गाडरी | रामसिंह |

53

रामदेवक लोधी

श्री कला कि शायरी

राजदेव
18/09/2015 ए.ए.ए.

जोगिनी बिहारी

श्री कला की शायरी

जोगिनी

54

कमल सिंह

कविता

कमल सिंह

55

सुलेखा सिंह

कविता

सुलेखा सिंह

56

सुलेखा सिंह

कविता



57

वीरेन्द्र सिंह

कृपण 6

वीरेन्द्र सिंह

58

एक नाम

रघुवीर



59

शशि शर्मा

ग्राम रघुवीर

शशि शर्मा

60

शिव रंजन सिंह

कविता

शिव रंजन सिंह

61

शशि शर्मा

कविता

शशि शर्मा

62

अर्जुन

कविता



63

शशि शर्मा

कविता

कविता

64

शशि शर्मा

कविता

शशि शर्मा


65

शशि शर्मा

कविता

शशि शर्मा

| क्र.सं. | नागरिक का नाम/पिता का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Krishan Kumar Singh | Machhali | |
| 66 | विनोद विनोद | ग्राम पिपरोड़ ग्राम पिपरोड़ | Darshdeep |
| 67 | मिश्र | देवता रस्ता | मिश्र |
| 68 | बी.पू.भा.भा | पिपरोड़ | बी.पू.भा.भा |
| 69 | बी.पू.भा.भा | देवता रस्ता | बी.पू.भा.भा |
| 70 | वीर सिंह | मोठरी | वीर सिंह |
| 71 | राजराज सिंह | पिपरोड़ | |
| 72 | राजराज सिंह | पिपरोड़ | |
| 73 | वीर सिंह | पिपरोड़ | वीर सिंह |
| 74 | मिश्र | पिपरोड़ | मिश्र |
| 75 | मिश्र | पिपरोड़ | |
| 76 | मिश्र | सुवाचल | मिश्र |

| | | | | |
|----|-----|--|-------------|---|
| 77 | 26. | श्री पूरुष श्री० श्री. विष्णुदास | श्री० श्री० |  |
| 78 | 27. | श्री रत्न श्री० श्री हरदुभा | " " | रत्न |
| 79 | 28. | श्री नारायण सिंह श्री० श्री० जेनाथ सिंह | " " | नारायण |
| 80 | 29. | श्री सुनयती श्री० श्री सूर्यपति | " " | सुनयती |
| 81 | 30. | श्री राधा श्री० श्री बालाचंद्र | " " | राधा |
| 82 | 31. | श्री भूरा श्री० श्री केशव | " " | भूरा |
| 83 | 32. | | | |
| | 33. | | | |
| | 34. | | | |
| | 35. | | | |
| | 36. | | | |
| | 37. | | | |
| | 38. | | | |
| | 39. | | | |

केन-बेतवा लिंक परियोजना फेस-11 के अंतर्गत लोअर उर बाँध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम-पिपरोद, तहसील-चन्देरी, जिला-अशोक नगर, दिनांक - 18.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, जिला-गुना
आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

ANNEXURES-III

**PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING
HELD IN DISTRICT DATIA**

क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

क्रमांक

क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2015

ग्वालियर, दिनांक

प्रति,

सदस्य सचिव,

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भोपाल

विषय:- पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-II के अंतर्गत, राम बैनोर जिला-दतिया में संपन्न हुयी लोक सुनवाई आपत्त।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4726 दिनांक 12.08.2015

उपरोक्त विषयांतर्गत केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-II के अंतर्गत, राम बैनोर जिला-दतिया में संपन्न हुयी लोक सुनवाई दिनांक 19.09.2015 को कलेक्टर जिला-दतिया की अध्यक्षता में संपन्न हुयी जनसुनवाई द्वारा जिला दतिया हेतु लोक सुनवाई बावत प्रशासनिक व्यय राशि रु. 50000 के रु. 002658 दिनांक 14.08.2015 को इस कार्यालय में जमा कराया गया है। कार्यवाही विवरण मूल प्रति सहित 02 प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

क्रमांक 3 अ 3 क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2015

ग्वालियर दिनांक 3/10/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी, आई.टी. शाखा, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर भूतनाथ कर सजावट की उपरोक्त इकाई से संबंधित लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

कार्यपालन चंगी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, सिटी सेंटर, ग्वालियर जिला-ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

880
3/10/15

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-II के अंतर्गत दिदावनी गांव, जिला-शिवपुरी के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत दतिया जिले में संपन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण दिनांक 19.09.2015

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 तथा संशोधित दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुसार केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-II के अंतर्गत दिदावनी गांव, जिला-शिवपुरी/अशोक नगर के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत दतिया जिले में प्रस्तावित नहर तथा पर्यावरणीय प्रभाव बावत ग्राम नौनेर जिला-दतिया में दिनांक 19.09.2015 को लोक सुनवाई की प्रक्रिया संपन्न की गयी। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय दतिया द्वारा इस सुनवाई हेतु कलेक्टर दतिया को नामांकित किया। (संलग्नक-1) अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार लोक सुनवाई के संबंध में सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 18.08.2015 को किया गया। (संलग्नक-2)

लोक सुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश हिन्दी व अंग्रेजी सहित कलेक्टर कार्यालय, जिला-दतिया, मुख्य कार्यपालन अधिलारी, जिला पंचायत, दतिया, ग्राम पंचायत नौनेर, जिला-दतिया, जिला उद्योग केन्द्र, दतिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दतिया, जिला-दतिया, क्षेत्रीय कार्यालय टन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नोपाल को आम जनता के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड की वेबसाइट पर इसको प्रदर्शित किया गया है। (संलग्नक-3) लोक सुनवाई के संबंध में आस-पास के ग्रामों में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं पोस्टर के द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया।

लोक सुनवाई श्री भास्कर लक्षकार, कलेक्टर, जिला-दतिया की अध्यक्षता में आयोजित हुयी। इस दौरान न. प्र. प्रदूषण निखंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आलोक कुमार जैन तथा बोर्ड के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के श्री एच. एन. दीक्षित, मुख्य अभियंता, श्री ओ.पी. सिंह कुशवाह, अधीक्षण यंत्री, श्री एस. सी. अवस्थी, अधीक्षण यंत्री, श्री सियाराम माहौर, कार्यपालन यंत्री, श्री अमित शर्मा, तथा श्री शिवमोहन दीक्षित, कन्सलटेंट, वाफ्कोस लिमिटेड आदि तथा आस-पास के जन प्रतिनिधि एवं ग्राम वासी भी उपस्थित थे। लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण संलग्नक-4 के अनुसार है।

सर्वप्रथम बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों तथा लोक सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। साथ ही उनके द्वारा प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रकाशन इत्यादि की मौखिक रूप से जन सामान्य को अवगत कराया गया। तत्पश्चात कलेक्टर महोदय की अनुमति से परियोजना के प्रतिनिधियों से परियोजना के बारे में जानकारी, पर्यावरणीय सुधार हेतु प्रस्ताव तथा अन्य विषयों पर जानकारी जन सामान्य को देने के निर्देश दिये गये।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री ओ.पी. सिंह. कुशवाह, अधीक्षण यंत्री तथा पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिवमोहन दीक्षित, वाफ्कोस लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत ग्राम



दिदावनी, जिला-शिवपुरी/अशोक नगर के समीप एक कांकीट तथा मिट्टी का बांध बनाया जावेगा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर होगी। इस बांध का डूब क्षेत्र अशोक नगर तथा शिवपुरी जिले में आवेगा। इस बांध से मुख्य नहर लगभग 91.26 किमी. होगी तथा इस नहर से बांच नहर भी निकाली जावेगी। जिसमें लोअर उर बांध की लागत लगभग 1.371 करोड़ होगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिवपुरी तथा दतिया जिले की पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई तथा घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करना है। इस परियोजना से लगभग 1.65 लाख लोग लाभान्वित होंगे। दतिया जिले में इस परियोजना के अंतर्गत सिर्फ नहर आवेगी तथा दतिया जिले में किसी प्रकार का डूब क्षेत्र नहीं होगा। इस परियोजना में जो भूमि अधिग्रहण किया जावेगा, उसे पुर्नवास अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना से पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव की जानकारी दी गयी।

इसके पश्चात कलेक्टर महोदय द्वारा प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में उपस्थित जन समुदाय के विचारों/अभिमत/ आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

इस अवसर पर 04 व्यक्तियों द्वारा मौखिक सुझाव, आपत्ति, टीका-टिप्पणी की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. श्री आनंदसिंह यादव, ग्राम रायपुरसानी :- यह एक अच्छी परियोजना है। इससे हमारे क्षेत्र में गरीब किसानों को फायदा होगा। पिछले छ वर्षों से क्षेत्र में वर्षा कम हुयी है। अतः यह परियोजना अत्यंत आवश्यक है। हम इस परियोजना का पूर्ण समर्थन करते हैं।
2. श्री बहादुर सिंह बुंदेला, ग्राम नौनेर :- हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं। इससे हमारे क्षेत्र में फायदा होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहर में पुलिया नहीं होने के कारण हम लोगों को परेशानी होती है, इसे सुधार किया जावे।
परियोजना अधिकारी का उत्तर - यह समस्या हमारी परियोजना से संबंधित नहीं है। परंतु जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एन. पी. दाथम लोक सुनवाई स्थल पर उपस्थित थे। अतः उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि निरीक्षण कर, पुलिया बनाकर समस्या का निराकरण किया जावेगा।
3. श्री जसवंत सिंह चोहान, ग्राम नौनेर :- यह बहुत अच्छी योजना है, जिससे हम सभी लाभान्वित होंगे। हम इसका स्वागत करते हैं।
4. श्री हरनाग सिंह परगार, ग्राम नौनेर :- यह एक अच्छी परियोजना है। इससे हमको फायदा होगा। कृपया यह नहर कौन-कौन से ग्रामों से गुजरेगी, इसकी जानकारी देवें।
परियोजना अधिकारी का उत्तर - श्री सिंह, अधीक्षण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि यह नहर दतिया जिले में 17 गांवों से गुजरने की संभावना है, जिसमें नौनेर भी शामिल है। उनके द्वारा इन गांवों की सूची को पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान 09 व्यक्तियों द्वारा लिखित में सुझाव, आपत्तियां प्रस्तुत की गयीं, जिसमें से 06 सुझाव परियोजना से संबंधित हैं। प्रस्तुत सुझाव, आपत्तियों का उत्तर परियोजना अधिकारी द्वारा दिया गया। प्रस्तुत सुझाव, आपत्तियां तथा जवाब संलग्न हैं। (संलग्नक-5) तत्पश्चात अपर कलेक्टर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आम नागरिकों, ग्रामवासियों द्वारा इस



परियोजना के संबंध में जो आपत्ति, सुझाव, टीका-टिप्पणी, शंकायें व्यक्त की गयीं हैं, उसे मूलतः संबंधित संस्था को प्रेषित किया जावेगा। इस प्रकार की परियोजना से आम नागरिक जागरूक होते हैं तथा उनके द्वारा आस-पास के विकास कार्यों की जानकारी तथा सुझाव प्राप्त होते हैं, जिससे परियोजना बनाने में तथा समस्या के निराकरण में मदद मिलती है। प्रस्तुत सुझाव पर विचार करते हुये भारत सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जावेगा। उक्त लोक सुनवाई प्रक्रिया की वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी भी करायी गयी। (संलग्नक-6)

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा लोक सुनवाई कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी जन समुदाय को दी गयी तथा अवगत कराया गया कि अनुमोदित कार्यवाही विवरण की छायाप्रति जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र दतिया, ग्राम पंचायत नौनेर इत्यादि को प्रेषित की जावेगी। अंत में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर दतिया तथा उपरिच्यत जन समुदाय, गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया गया।


(अलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर


(भस्कार लक्षकार)
कलेक्टर

कलेक्टर कार्यालय, दतिया

4

सतलुज- 12

कार्यालय कलेक्टर जिला दतिया मप्र

क्रमांक-क्यू/सी.ब्रा./9-21/1/2015

दतिया,दिनांक 19/08/2015

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर के पत्र क्रमांक 3246/क्षे.का.प्र.नि.के./ग्वा/2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा शिवपुरी और अशोक नगर जिले की सीमा पर स्थित तहसील खनियाधाना में स्थित ग्राम विधुनी के पास एक बांध प्रस्तावित है। प्रस्तावित बांध से 19.26 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर प्रस्तावित की गई है। जिसका दतिया जिले में भी कमांड एरिया है। दतिया जिले के कमांड एरिया के ग्रामों के संबंध में म.प्र. नियंत्रण बोर्ड द्वारा कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट हेतु लोक सुनवाई 19.09.2015 को की जाना है।

अतः उक्त पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु कलेक्टर दतिया की ओर से श्री भास्कर लक्षाकार कलेक्टर दतिया को प्रतिनिधि के रूप में नाम नामांकित किया जाता है।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)


डिप्टी कलेक्टर
जिला दतिया म.प्र.

प्रतिलिपि :- 4/557
17-8-15

1. श्री भास्कर लक्षाकार कलेक्टर महोदय दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि आप श्री भास्कर लक्षाकार कलेक्टर दतिया से सम्पर्क स्थापित कर लोक सुनवाई का स्थान नियत कराने की सुनिश्चिता करें।


डिप्टी कलेक्टर
जिला दतिया म.प्र.

14/8/15

दैनिक भास्कर, दिनांक 18.08.2015

स्वातिपर, मंगलवार 18 अगस्त, 2015

सेंटरल कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टैन-प्लान नगर, स्वतंत्रता रोड
कोलोनरी, ग्वालियर (म.प्र.)- 474006 (दूरभाष नं. 0751-2472020)

लोक सुनवाई की सूचना

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन क्रमांक एम.ओ. 1533 (E) दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-II के अंतर्गत डिंडोनी (Dindoni) गांव के पास प्रस्तावित 'सोअर उर बांध' जिला शिवपुरी एवं अशोक नगर की पर्यावरणीय स्थिति हेतु आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा उक्त परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन प्रतिवेदन (Environmental Impact Assessment Study Report) उसका कार्यपत्रक सार (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) का एक प्रस्तावनों की खींच कॉपी (सी.डी.) में प्रस्तुत की है, जो वन-समाय के अवलोकनार्थ जिलाध्यक्ष कार्यालय दतिया, जिला पंचायत कार्यालय, दतिया, कार्यालय सरपंच ग्राम-नौनेर, जिला दतिया तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर सहित म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगी एवं इच्छुक नागरिक इसका अवलोकन कर सकते हैं।

अतः जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, फेस-II के अंतर्गत डिंडोनी गांव के पास प्रस्तावित सोअर उर बांध जिला-शिवपुरी एवं अशोक नगर से होने वाले पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर (म.प्र.) में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 19/09/2015 दिन-शनिवार को ग्राम-नौनेर तहसील दतिया, जिला दतिया के शासकीय भवन (स्कूल/पंचायत भवन) के समीप में दोपहर 12:00 बजे से प्रारंभ होगी। इच्छुक नागरिक उपरोक्तानुसार लोक सुनवाई में सम्मिलित होकर भी प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, फेस-II के अंतर्गत डिंडोनी गांव के पास प्रस्तावित 'सोअर उर बांध' जिला शिवपुरी एवं अशोक नगर के संबंध में अपना मत लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

टाईम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 18.08.2015

**क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दीनदयाल नगर,
हाजसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर (म.प्र.)-474006
(दूरभाष नं. 0751-2472020)**

लोक सुनवाई की सूचना

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी ई-आई.ए. नोटिफिकेशन क्रमांक यूआ.ओ.1523 (E) दिनांक 14.08.08 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-11 के अन्तर्गत खिडीनी (Oldauni) गाँव के पास प्रस्तावित 'खोअर खर बाँध' जिला-शिवपुरी एवं अशोक नगर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, (जल संचालन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन प्रतिवेदन (Environmental Impact Assessment Study Report) उसका कार्यपालक भाग (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) तथा उक्त पर्यावरण की गोरट कॉपी (सी.डी.) में प्रस्तुत की है, जो जन-सामान्य के उपलोकनार्थ जिलाध्यक्ष कार्यालय दतिया, जिला शिक्षायात कार्यालय दतिया, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दतिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया, जिला दतिया, कार्यालय वरपर ग्राम-तोतेर, जिला-दतिया तथा क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर सहित म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगी एवं इच्छुक नागरिक इसका अवलोकन कर सकते हैं।

अतः जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, फेस-11 के अन्तर्गत खिडीनी गाँव के पास प्रस्तावित 'खोअर खर बाँध' जिला-शिवपुरी एवं अशोक नगर से होने वाले पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी मुद्दाएँ, विचार टीका-टिप्पणी अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर (म.प्र.) में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 19.08.2015 दिन-शनिवार को ग्राम-तोतेर, तहसील दतिया, जिला दतिया के शासकीय भवन (स्कूल/पंचायत भवन) के सभाग में दोपहर 12:00 बजे से शारंभ होगी। इच्छुक नागरिक उपरोक्तानुसार लोक सुनवाई में तमिल लेख होकर भी प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-11 के अन्तर्गत खिडीनी गाँव के पास प्रस्तावित 'खोअर खर बाँध' जिला-शिवपुरी एवं अशोक नगर के संरक्ष में अपना मत लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

Sc/-

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

सं. नं. 07

क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

क्रमांक 7264 /सेकाप्रनिबो/व्वा/2015 ग्वालियर, दिनांक 14/8/15
प्रति,

1. कलेक्टर महोदय, जिला दतिया
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, नोनेर, तहसील दतिया जिला दतिया
4. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दतिया
5. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,
केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
लिनक रोड, नं.3, रविशंकर नगर, भोपाल
6. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दतिया, जिला दतिया

विषय:- पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अंतर्गत प्रस्तावित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-II के अंतर्गत डिडोनी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध जिला शिवपुरी अशोक नगर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में।


संदर्भ:- बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्र. 4726 दिनांक 12.8.2015

उपरोक्त विषय के बारे में लेख है कि पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अंतर्गत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-II के अंतर्गत डिडोनी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध जिला शिवपुरी अशोक नगर की प्रस्तावित किया है। इस परियोजना से दतिया जिले में भी कमाण्ड ऐरिया आवेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रकाशित पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 में दी गई अनुसूची के अनुसार सभी प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत इकाई द्वारा नियमावली प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं तथा इकाई द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, जिसकी एक प्रति समस्त दस्तावेजों सहित संलग्न है।

उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19.09.2015 नियत की गई है। लोक सुनवाई शासकीय हाईस्कूल के पास, ग्राम नोनेर (दिनांक) दतिया में सुबह 12:00 बजे से प्रारंभ होगी। प्रोजेक्ट से संबंधित ड्राफ्ट ई.आई.ए.कार्यपालिक स्तर (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) तथा इसकी हिन्दी अंग्रेजी में सॉफ्ट कॉपी आम जनता के अवलोकनार्थ आपके कार्यालय में प्रदर्शित किए जाने हेतु

संलग्न भेजी जा रही है। नियमानुसार आपसे निवेदन है कि उक्त जानकारी पर आम जनता के अवलोकनार्थ आपके कार्यालय में प्रदर्शित करने की कृपा करें। इस आशय की सूचना आम जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई है। आप भी आपके सूचना पटल पर उक्त जानकारी प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार



क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

पृ. क्रमांक 3265 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2015
प्रतिलिपि:-


ग्वालियर, दिनांक 14/8/015

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर कलेक्टर, जिला-दतिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
3. प्रभारी आई.टी. शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ अवेधित कर लेख है कि कृपया उपरोक्त इकाई से संबंधित सभी जानकारी नियमानुसार बोर्ड की वेब साईट में अप लोड करने का कष्ट करें।
4. कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, सिटी सेंटर, ग्वालियर। कृपया लोक सुनवाई की सूचना मुनादी के माध्यम से प्रभावित गांव के आसपास के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।







क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



सं. 03

| | |
|---|---|
|  | क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर (म.प्र.)-474008 |
|---|---|

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-11.
 जिला-दतिया की प्रस्तावित जन सुनवाई दिनांक 19.09.2015 से संबंधित
 महत्वपूर्ण डाक की पावती

| क्र. | पत्र क्रमांक | दिनांक | संबंधित अधिकारी/ कार्यालय का नाम | प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर |
|------|--------------|---------|--|---|
| 1. | 3264 | 14-8-15 | जिला कलेक्टर, कार्यालय दतिया, जिला-दतिया |  |
| 2. | 3264 | 14-8-15 | महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं केन्द्र, जिला-दतिया |  17-8-2015 |
| 3. | 32-64 | 14-8-15 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-दतिया |  17-8-15 |
| 4. | 3264 | 14/8/15 | अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जिला-दतिया |  SD 17/8/15 |
| 5. | 3264 | 14-8-15 | सरपंच ग्राम पंचायत-नोनेर, जिला-दतिया |  |
| 6. | 3264 | 14/8/15 | क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भोपाल (Express by Post) | |

उपस्थिति पत्रक

प्रस्तावित कैन बेरावा लिंक प्रोजेक्ट फेस-II के अंतर्गत डिडोनी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध जिला शिवपुरी अशोक नगर की पर्यावरणीय स्वीकृति में उपस्थित अधिकारी एवं जणमात्य नागरिक ।

स्थल : शासकीय हाईस्कूल के पास, ग्राम जोनेर (दिनारा) दतिया
परियोजना स्थल : डिडोनी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध जिला शिवपुरी अशोक नगर

| क्र. | नाम | पदनाम | संस्था का नाम | हस्ताक्षर |
|------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. | श्री भास्कर लक्ष्मायार | कलेक्टर | स्त्रिता दतिया | |
| 2. | आलोक कुमार जैन | क्षेत्रीय अधिकारी | म.उ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर | |
| 3. | श्रेया लाल मिश्रा | सोडर | राज्य परिवहन बोर्ड | |
| 4. | वीरेंद्र कटार | SDM, Dattia. | साक्षात्कार प्रशासनिक अधिकारी | |
| 5. | जीमित शर्मा | अभिमत पर्यवेक्षण | राज्य परिवहन बोर्ड | |
| 6. | विमल मोहन दीक्षित | उपमुख्य अभिमत | राज्य परिवहन बोर्ड | |
| 7. | सिमाशम मधेर | अभिमत अभिमत | राज्य परिवहन बोर्ड | |
| 8. | अनिल चंद्र चव्हाण | अभिमत अभिमत | NWA क्वार्टर | |
| 9. | दलीपरायण श्री शर्मा | सुपर अधिकारी | रा.ज.वि.अ. क्वार्टर | |
| 10. | आरपी सिंह कुशवाह | सहायक अभिमत अभिमत | राज्य परिवहन बोर्ड | |

राज्य परिवहन बोर्ड
ग्वालियर

(2)


| क्र. | नाम | पदनाम | संस्था का नाम | हस्ताक्षर |
|------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 11 | चन्द्र पाल सिंह सैण | अधि. अभिपत्र | ब.प.स.न. | |
| 12 | अंशुमति ठालम उनि | रा.प्र.वि.स. लक्ष्मण | रा. ज. वि. स. म.स. 737 | |
| 13 | पी.डी. शर्मा | कर्मचारी | राज्य नर परिषद अभिपत्र | |
| 14 | एन.पी. व्यास | कर्मचारी सूरी | E.E. Datta | |
| 15 | एस.पी. जै | कर्मचारी सूरी | डि.डी. जयसिंग सूरी | |
| 16 | अरवि-ए शर्मा | उप-मार्ग | राज्य नर परिषद म.स. 737 | |
| 17 | S. K. Sharma | APRU | म.स. 737 | |
| 18 | G. Gyanani | librarian | म.स. 737 | |
| 19 | जी. डी. कोली | मार्ग-प्रदा | राज्य नर परिषद अभिपत्र | |
| 20 | श्री प्रो. वि. सु. शर्मा | म.स. 737 | राज्य नर परिषद अभिपत्र | |
| 21 | ए.ए. सु. लोधी | सूरी | राज्य नर परिषद अभिपत्र | |
| 22 | ए.ए. सु. लोधी | कर्मचारी सूरी | राज्य नर परिषद अभिपत्र | |
| 23 | आर.के. श्री शर्मा | कर्मचारी | राज्य नर परिषद अभिपत्र | |
| 24 | विजय कुमार शर्मा | सूरी | राज्य नर परिषद अभिपत्र | |

25 राजकीय मि.स. म.स. 737











(2)

| क्र. | नाम | पदनाम | संस्था का नाम | हस्ताक्षर |
|------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 26 | कैलाश | कारक | नीनेर | कैलाश |
| 27 | ओमकारसिंह | व्यवस्थापक | नीनेर | ओमकारसिंह |
| 28 | धर्मदेववाल्मीकि | | नीनेर | धर्मदेववाल्मीकि |
| 29 | बालकृष्ण | कृषक | नीनेर | बालकृष्ण |
| 30 | जयप्रसन्न सिंह | कृषक | नीनेर | जयप्रसन्न सिंह |
| 31 | शिवचरण कुशवाह | कृषक | नीनेर | शिवचरण |
| 32 | मदन | कृषक | नीनेर | |
| 33 | इंदुमीनाल | कृषक | नीनेर | इंदुमीनाल |
| 34 | शुभाभाभा | व्यवस्थापक | नीनेर | शुभाभाभा |
| 35 | वैशंपति | कृषक | नीनेर | वैशंपति |
| 36 | अनंदसिंह | पंचसामंजसपुरसानी | | अनंदसिंह |
| 37 | इंद्रसिंह | कृषक | नीनेर | इंद्रसिंह |
| 38 | पेशसिंह | कृषक | नीनेर | पेशसिंह |
| 39 | जगन्नाथसिंह | कृषक | नीनेर | जगन्नाथसिंह |

(2)

| क्र. | नाम | पदनाम | संस्था का नाम | हस्ताक्षर |
|------|------------------|-------|---------------|--|
| 40 | रामलखन महिवाल | कृषक | नौरंग | रामलखन |
| 41 | गणेश सिंह मिश्रा | कृषक | नौरंग | गणेश सिंह मिश्रा |
| 42 | सुरजाम पाण्डे | कृषक | नौरंग | सुरजाम पाण्डे |
| 43 | बलराम | कृषक | नौरंग | बलराम |
| 44 | डा. मंगेश | विमान | नौरंग | डा. मंगेश |
| 45 | शिवशंकर | कृषक | नौरंग | शिवशंकर |
| 46 | गणेशजीलाल पाण्डे | कृषक | नौरंग | गणेशजीलाल |
| 47 | महेश | कृषक | नौरंग | महेश |
| 48 | सुरजाम महिवाल | विमान | नौरंग | सुरजाम |
| 49 | नेशनल | विमान | नौरंग | नेशनल |
| 50 | पद्म पाण्डे | | नौरंग | पद्म पाण्डे |
| 51 | जडापुर सिंह | | नौरंग | जडापुर सिंह |
| 52 | हरजामसिंह | कृषक | नौरंग | हरजामसिंह |
| 53 | देवदत्त | विमान | नौरंग |  |

(8)

| क्र. | नाम | पदनाम | संस्था का नाम | हस्ताक्षर |
|------|-----------------------|----------------|---------------|---|
| 54 | वल्कल अनिराम पारखे | दृषक पुस्तक | रेव कार्गट |  शिवराज |
| 55 | | | | |
| 56 | शिवचरन शिवराज | दृषक मजदुरी | नोकर नोकर | शिवराज शिवराज शिवराज |
| 57 | | | | |
| 58 | मी ज प र तावसिंह | सिंह | सालथ | वीजेश शंभर |
| 59 | वैजनाथ शिंदे | शिंदे | नोकर |  |
| 60 | रामा | मजदुरी | नोकर |  |
| 61 | सोनावाडी शिंदे | मजदुरी | नोकर |  |
| 62 | फुला | मजदुरी | नोकर |  |
| 63 | लाक्ष्मी | मजदुरी | नोकर |  |
| 64 | हरबो | मजदुरी | नोकर |  |
| 65 | भागवती | मजदुरी | नोकर |  |
| 66 | पुत्रविधा | मजदुरी | नोकर |  |
| 67 | हजूराम | मजदुरी | नोकर |  |

| क्र. | नाम | पदनाम | संस्था का नाम | हस्ताक्षर |
|------|-------------------|-------|---------------|---------------|
| 68 | देवसिंह पाल | खेती | ना. न. र. | देवसिंह |
| 69 | जलकृष्ण सिंह खेती | खेती | ना. न. र. | जलकृष्ण |
| 70 | मोतीलाल खेती | खेती | ना. न. र. | |
| 71 | द. बाबू खेती | खेती | ना. न. र. | द. बाबू |
| 72 | श्रीवालीनाथ खेती | खेती | वि. न. र. | वि. न. र. |
| 73 | विश्वनाथ | | ना. न. र. | |
| 74 | सुजा सिंह | | ना. न. र. | सुजा सिंह |
| 75 | मुरीधन | | ना. न. र. | |
| 76 | रामकुमार सिंह | | ना. न. र. | |
| 77 | व. वि. प. म. | खेती | ना. न. र. | व. वि. प. म. |
| 78 | गोहर सिंह | खेती | ना. न. र. | गोहर सिंह |
| 79 | दीपक कुमार | खेती | ना. न. र. | दीपक कुमार |
| 80 | देवसिंह | खेती | ना. न. र. | देवसिंह |
| 81 | प्रा. म. सिंह | खेती | ना. न. र. | प्रा. म. सिंह |

लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत लिखित सुझाव/आपत्तियों का विवरण

| क्र. | आपत्तिकर्ता/सुझाव देने वाले व्यक्ति का नाम | विवरण | परियोजना अधिकारी का उत्तर |
|------|--|--|--|
| 1. | श्री छदामीलाल अहिरवार, ग्राम नौनेर | परियोजना अधिकारी से अनुरोध है कि नहर का पानी ऊंचाई के कारण सभी किसानों को खेती हेतु मिलेगा। | प्रस्तावित नहर ग्रेविटी फ्लो पर आधारित है जिस कारण पानी ऊंचाई पर पहुँचाना सम्भव नहीं होगा। हालांकि किसान अपनी सुविधानुसार पानी का उपयोग कर सकते हैं। |
| 2. | श्री घनश्याम अहिरवार, ग्राम नौनेर | केन-बेतवा के प्रोजेक्ट हेतु काम करने के लिये क्या मजदूरी होगी, तथा काम करने वालों को मकान की व्यवस्था होगी। ग्राम नौनेर को इसका लाभ मिलना चाहिये। | परियोजना से ग्राम नौनेर को सिंचाई व पीने के पानी का लाभ मिलेगा। परियोजना के कार्य हेतु मजदूरी कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय होगी। |
| 3. | श्री ओंकार सिंह | इस परियोजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्षेत्र में सूखा के कारण किसान परेशान हैं। पानी से किसान खुशी महसूस करेंगे। | धन्यवाद |
| 4. | श्री जय प्रताप सिंह परमार, ग्राम नौनेर | हम सभी ग्रामवासी आपकी परियोजना से खुश हैं। | धन्यवाद |
| 5. | श्री रामपाल सिंह परमार, ग्राम नौनेर | आपके इस कार्यक्रम तथा इस परियोजना से बहुत खुश हूँ। इस योजना से गाँव के बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। | धन्यवाद |
| 6. | श्री अनंत सिंह यादव, सरपंच रायपुर सानी | हमारे ग्राम को सिंचाई का लाभ होगा। इस परियोजना से ग्राम का जल स्तर बढ़ेगा। इस परियोजना से समस्त ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नहर से सभी को सुविधा होगी। | धन्यवाद |

| | | | |
|----|---|--|---------------------------|
| 7. | श्री बालकदास महाशय, ग्राम नौनेर | ग्राम नौनेर में कारेकुअर का मंदिर है। जहां पर पीने का पानी नहीं है। मंदिर में हैंडपंप लगवाने की कृपा करें। | परियोजना से संबंधित नहीं। |
| 8. | सुश्री पूजा अहिरवार, ग्राम नौनेर | हमारे कुआ का ररता है। इसे पक्की कराने की कृपा करें। | परियोजना से संबंधित नहीं। |
| 9. | श्री सीताराम परिहार, ग्राम काम्हर मडैयन | हमारी जगीन का बटवारा 100 साल से नहीं हुआ है। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि बटवारा किया जावे। | परियोजना से संबंधित नहीं। |



(एस.आर. माहोर)
अधिशायी अभियंता
अ.प्र., राज.वि.अ., ग्वा.

केन-बेतवा लिंक परियोजना फेस-11 के अंतर्गत लोअर उर बाँध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम-नौनेर, तहसील-दतिया, जिला-दतिया, दिनांक - 19.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर
जिला : ग्वालियर
आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

केन-बेतवा लिंक परियोजना फेस-11 के अंतर्गत लोअर उर बाँध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम-नौनेर, तहसील-दतिया, जिला-दतिया, दिनांक - 19.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर
जिला : ग्वालियर
आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL WATER DEVELOPMENT AGENCY



WAPCOS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

76 C, Sector 18, Gurgaon - 122015, Haryana, INDIA

Tel. 0124-2397396, Fax. 0124-2397392

[Email: environment@wapcos.gov.in](mailto:environment@wapcos.gov.in)

DECEMBER 2015